खण्ड–35, अंक–06
गुरूवार, 22 अग्रहायण, शक संवत्, 1934
(दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 ई०)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 35 में 07 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति – – –	'क'
नियम– 310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग	1–2
प्रश्नोत्तर	2–106
श्री मदन कौशिक स0वि0स0 ने लोक महत्व की सूचनाओं पर कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में व्यवस्था दिये जाने की मांग – – –	106–107
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं – – –	107–108
प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के बावजूद भी काशीपुर शुगर मिल लि0 काशीपुर द्वारा अभी तक पेराई सत्र शुरू न करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	108–109
नानकमत्ता स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	109
विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के ग्राम–कौला, पाटल्यूं तथा विकास खण्ड पोखड़ा के तिमलीखाल गांव के जंगल में लगी आग बुझाने में झुलसने से हुई महिला की मृत्यु पर मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	109–110
विधान सभा क्षेत्र सल्ट स्थित सराईखेत, मछोड़ एवं स्याल्दे में आई0टी0आई के संचालन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	110
ग्राम डाण्डा लखौण्ड तथा डाण्डा नूरीवाला मे राजकीय गांधी क्रीडा स्थल व ग्राम समाज की भूमि पर बिल्डर प्रतीक रिसोर्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा अनधिकृत कब्जा एवं खुर्द–बुर्द करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – – –	110–111
राज्य बनने से अब तक लोक निर्माण विभाग में डी0पी0सी0 न होने से स्थायी विभागाध्यक्ष न मिलने से कार्यों में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना – –	111–112
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर पुनः चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत) – – –	112–113
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	113–115

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मर्दसू के मजरे ग्राम सुईना, धावड़ा गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	115
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा बावनधार के मजरे ग्राम झावगी, जैदर के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – – –	115
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मटोगी के मजरे के ग्राम रैढा निगरोड़ा, खेड़ा, हरलोईथात, ढाकनी धार, कुरजील, दूमन थात गाँवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिक (उपस्थापित) – – –	115
जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मलेर के मजरे के ग्राम क्वागी, बयाडीखील, माडुंवा गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) – –	116
श्री मदन कौशिक स0वि0स0 द्वारा कल की कार्यसूची के मद संख्या–1 (प्रश्न) आज की कार्य सूची में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न – – –	116–117
नियम–65 की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय –	117–128
प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव समय पर न कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न – – –	128–130
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) – –	130–132
उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित) – – –	132
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत) – –	132–146
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)	146
उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012	147
नत्थियां – – –	148–190

'क'

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री विजय बहुगुणा
10–श्री गणेश गोदियाल
11–श्री गणेश जोशी
12–श्री चन्दन राम दास
13–श्री चन्द्र शेखर
14–डा0 जीत राम
15–श्री तीरथ सिंह
16–श्री दान सिंह भण्डारी
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री दिनेश धनै
19–श्री नवप्रभात
20–श्री नारायणराम आर्य
21–श्री पुष्कर सिंह धामी
22–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24–श्री प्रदीप बत्रा
25–श्री प्रीतम सिंह
26–श्री प्रीतम सिंह पंवार
27–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
28–श्री फुरकान अहमद
29–श्री बंशीधर भगत
30–श्री भीमलाल आर्य
31–श्री मदन कौशिक
32–श्री मदन सिंह बिष्ट
33–श्री मनोज तिवारी
34–श्री मयूख सिंह
35–श्री माल चन्द
36–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
37–श्री यतीश्वरानन्द
38–श्री यशपाल आर्य
39–श्री राजकुमार
40–श्री राज कुमार ठुकराल
41–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
42–श्री राजेश शुक्ला
43–श्री ललित फर्स्वाण
44–श्री विक्रम सिंह नेगी
45–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
46–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
47–श्री बिशन सिंह चुफाल
48–श्रीमती शैला रानी रावत
49–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
50–श्री संजय गुप्ता
51–श्री सरवत करीम अंसारी
52–श्रीमती सरिता आर्या
53–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
54–श्री सुबोध उनियाल
55–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
57–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58–श्री सुरेन्द्र राकेश
59–श्री हरक सिंह रावत
60–श्री हरबन्स कपूर
61–श्री हरिदास
62–श्री हरीश धामी
63–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64–श्री हेमेश खर्कवाल

गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-310 में एक सूचना है। माननीय अध्यक्ष जी, पाँच रुपये गन्ने का मूल्य सरकार ने बढ़ाया, लेकिन दूसरा शासनादेश करके सवा पाँच रुपया किसानों से वापस ले लिया। किराये के रूप में पहले पाँच रुपये लेते थे, अब सवा दस रुपया शुरू कर दिया लेना। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है माननीय अध्यक्ष जी, (व्यवधान) नियम-310 की सूचना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय कौशिक जी, नियमानुसार उठाइये।

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मैंने नियमानुसार दिया है, नियम-310 में दिया है। पाँच रुपया गन्ने का मूल्य बढ़ाया और सवा पाँच रुपया वापस ले लिया दूसरे रास्ते से। यह किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-310 में यह व्यवस्था है (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)-

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, इसको नियम-58 में सुन लें। क्योंकि आपने पाँच रुपये गन्ने की कीमत बढ़ायी और किराये के द्वारा सवा पाँच रुपया आपने वापस ले लिया। यह सरकार का रुख बिलकुल खराब है। मान्यवर, हमारा आपसे निवेदन है कि इसको नियम-58 में सुन लें, क्योंकि यह प्रदेश के गन्ना किसानों का मामला है। यह बहुत ही गम्भीर इसलिए हो गया कि पाँच रुपया तो आपने बढ़ाया वाहवाही लेने के लिए और किराये से आपने वापस ले लिया। इसमें शासनादेश तक हो गये एक दिन में, इतनी

जल्दी हो गया मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है कम से कम इसे नियम–58 में सुन लें। मान्यवर, क्योंकि यह प्रदेश का मामला है, यहाँ का नहीं है, पूरे प्रदेश का मामला है कि सरकार की क्या मजबूरी आ गयी थी कि एक ही दिन में शासनादेश कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

जो व्यवस्था है उसके अनुसार आप इसे दें। (व्यवधान) इसे आप नियम–58 के बाद दीजिए, उसके बाद बताएंगे।

श्री अजय भट्ट–

ठीक है, मान्यवर।

"प्रश्नोत्तर"

तारांकित प्रश्न

विधान सभा क्षेत्र घनसाली अन्तर्गत गोनगढ़ पट्टी में" बाल गंगा–गोनगढ़ पम्पिंग पेयजल" की निर्माण योजना

*1–श्री भीमलाल आर्य–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत गोनगढ़ पट्टी पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार "बालगंगा–गोनगढ़ पम्पिंग पेयजल" योजना का निर्माण करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)

जी हाँ।

विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत गोनगढ़ पट्टी में पेयजल समाधान हेतु बालगंगा नामक गधेरे से गोनगढ़ ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्रस्ताव विचाराधीन है।

गोनगढ़ ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत 10 ग्राम पंचायतों की 62 बस्तियों(11एन.सी.02पी.सी. तथा 49 एफ.सी. श्रेणी) को योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। एफ.सी.श्रेणी की बस्तियों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण बस्तियों का प्रास्थिति परिवर्तन की कार्यवाही भारत सरकार से अनुमोदन लेकर की जानी होगी। तत्पश्चात योजना का प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मेरा जो क्षेत्र गोनगढ़ क्षेत्र है, विगत 4–5 वर्षों से "बालगंगा गोनगढ़ पम्पिंग पेयजल योजना" का निर्माण करने की मांग हमने सरकार से की है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि एफ0सी0 श्रेणी की बस्तियों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक होने के कारण बस्तियों के प्रास्थिति परिवर्तन की कार्यवाही भारत सरकार से अनुमोदन लेकर की जानी होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसका एक टाइम लिमिट हो जाना चाहिए, कि कितने दिनों के अंदर भारत सरकार से यह अनुमोदन करा लेंगे, चूँकि मान्यवर, यह बहुत ही ज्वलंत विषय है, इसलिए मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है माननीय मंत्री जी से, कि इस पर टाइम लिमिट हो जाना चाहिए कि कितने दिन के अंदर भारत सरकार से अनुमोदन लिया जाएगा और कितने दिन के अंदर इसका प्राक्कलन गठित कर योजना के निर्माण की कार्यवाही की जाएगी ? श्रीमान, यह मैं आपके माध्यम से जवाब चाहता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य विधान सभा घनसाली श्री भीमलाल आर्य जी के संज्ञान में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां पेयजल में जो भी योजना का निर्माण होता है उसका जो सर्वेक्षण किया जाता है, वो बस्तियों के आधार पर होता है। अब 25 प्रतिशत जो बस्तियां उसमें आ गयी हैं, उसकी श्रेणी में नही आती हैं, एफ0सी0 श्रेणी ज्यादा है। एफ0सी0 की बस्तियां 49 हैं। उसके लिए एक प्रक्रिया है मान्यवर, और उस प्रक्रिया के माध्यम से उसका टाइम शेड्यूल हमारे पास है। जो टोटल बस्तियां होंगी उसमें सम्मिलित बस्तियों का संयुक्त निरीक्षण, दो महीना उसमें लगता है, उसके बाद जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डी0डब्ल्यू0एस0सी0) के माध्यम से जब वहाँ से प्रस्ताव आता है तो उसमें एक माह का समय लगता है। उसके बाद तीसरा फेज जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डी0डब्ल्यू0एस0एम0) के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फिर एक महीने का समय लगता है। महीने–महीनेवार उसकी बैठकें होती हैं और उसके बाद भारत सरकार की वेबसाइट ऑनलाइन इंट्री करने की अवधि के लिए पूरा एक महीना लगता है। प्रारम्भिक प्राक्कलन गठन की अवधि एक महीने की होती है और प्रारम्भिक प्राक्कलन की स्वीकृति और धन आवंटन में लगने वाली अवधि डेढ़ माह है। इस प्रकार कुल मिला करके जो यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पूरे 12 माह का समय होता है और उसमें जो मीटिंगें होती हैं, जो ग्राम स्तर पर जो समितियां तय करती हैं, उसके आधार पर जिला स्तर से, स्टेट से ले करके, तब वो केन्द्र को भेजी जाती हैं। केन्द्र से उसमें संशोधन होकर जब आ जाता है तब जाकर किसी योजना के प्राक्कलन के आदेश हम देते हैं।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अब तक इस विषय पर प्रारम्भिक कार्यवाही क्या हुई है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, प्रारम्भिक कार्यवाही यह है कि समूह के माध्यम से जो प्रस्ताव आया था उसमें सरकार ने यह माना है कि यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की जाए, उसी आधार पर यह कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही गतिमान है।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, किस स्तर पर कार्यवाही चल रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसका सर्वेक्षण होगा। जो मैंने टाइम के हिसाब से बताया।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मैं जानना चाहूँगा कि यह तो इतनी लम्बी चौड़ी प्रोसीडिंग है, लेकिन इस योजना की प्रारम्भिक स्थिति क्या है ? ठीक है, जिले से आएगा राज्य से जाएगा और भारत सरकार में जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति तो सुनिश्चित हो जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ। आप भली–भाँति जानते हैं कि जो 62 तोक हैं गोनगढ़ पट्टी में, वहाँ पर पानी की भयावह स्थिति है, गर्मियों में वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाती है। आपने जिला स्तर पर क्या निर्देश दिये हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को पहले ही बता चुका हूँ। जिसकी जो पेयजल की समस्या है, वैसे तो पेयजल की समस्या तो पूरे प्रदेश में है, उसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर पूरा सर्वे कराया है उसके तहत हर विधान सभा वार हम व्यवस्था कर रहे हैं कि जो बस्तियां एफ0सी0 के अन्तर्गत हैं वहाँ पर कैसे केन्द्र की संस्तुति ली जाए इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है और कार्य योजना के तहत जो व्यवस्था है उसमें एक वर्ष का समय लगता है। इतना जरूर है कि जो मीटिंगें होती हैं, उन मीटिंगों में मैं चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य भी उस मीटिंग में अपने सुझाव दे सकते हैं। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो आपका सुझाव आएगा उसको हम अग्रेतर ले सकते हैं, उसमें कार्यवाही तेजी से करा सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसमें थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। नम्बर–1 क्या यह योजना सैद्धान्तिक तरीके से स्वीकृत हो गई है? नम्बर दो आपने जो फेजेज एक, दो, तीन, चार और पाँच बताए। तो वर्तमान में यह योजना किस फेज पर चल रही है ? यह माननीय सदस्य ने पूछा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस योजना की जो बात है वह योजना अभी विचाराधीन है, इसके सर्वेक्षण की बात आई है और जब प्रस्ताव आया तब विभागीय स्तर पर हमने उसका सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण में जो रिस्पांस आया है, उसी के तहत हमने जवाब दिया है कि टोटल जब सर्वे हुआ उसमें इसके अन्तर्गत 10 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं। पेयजल योजना का नाम है "गोनगढ़ ग्राम समूह लिफ्ट पम्पिंग योजना"। उस आधार पर जब सर्वे हुआ तो उसमें यह पाया गया कि टोटल इसमें 62 बस्तियां आई। 62 बस्तियां में से 11 बस्ती एन0सी0 है तथा 2 पी0सी0 हैं और 49 एफ0सी0 हैं जो फुल कवर्ड हैं। अगर फुल कवर्ड बस्तियाँ हैं उनको कवर करने की बात है जब तक उनका मानक चेंज नहीं होगा, प्राविधान चेंज नहीं होगा। यह प्राविधान चेंज के लिए हमको केन्द्र से परमिशन लेनी पड़ती है तो उसी के तहत यह सारी कार्यवाही गतिमान है, जो कार्यवाही गतिमान है उसको फेजवाइज माननीय नेता प्रतिपक्ष चाहें तो मैं इसकी सूचना आपको भेज सकता हूँ। यह फेजवाइज है कि जिले में बैठक कब होगी उसका समय कितना है उसके बाद मण्डल की और फिर प्रदेश में उसके बाद जो सेन्ट्रल को भेजने की सीमा है वह निर्धारित रूप से दी गई है। इसमें निश्चित तौर से मेरा पूरे माननीय सदन से निवेदन है क्योंकि हर विधान सभा क्षेत्र से यह माँग आई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि सभी माननीय सदस्य अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र में जो भी पम्पिंग योजनाएं हैं जो भी ग्रेविटी की योजना हैं उसके संदर्भ में जो यह जिला स्तर पर बैठक होती है वह अपने सुझाव उसमें संकलित करने की कृपा करें तो योजना के क्रियान्वयन में सहूलियत होगी। यह सदन के माध्यम से आपके सामने विचार है।

विधान सभा क्षेत्र घनसाली अन्तर्गत स्यूरी, खभोगी, चुरैड़ा, नौली, लोदस, आर्स पट्डगांव नौली किरेथ आदि गांवों में पेयजल योजना

*2–श्री भीमलाल आर्य–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत स्यूरी, खभोगी, चुरैड़ा नौली, लोदस, आर्स, सौंप, गंगी, गेंवाली, पिनस्वाड़, रगड़ी, धैरका, समणगांव, सौड़, खाल, बुढ़वा, गेंवली, पट्डगांव नौली किरेथ आदि गांव पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

नौली पेयजल योजना पर ग्रीष्म ऋतु में स्राव कम होने के कारण पेयजल संकट बना रहता है ग्रामीणों द्वारा नई योजना की मांग की जा रही है। आर्स गांव में पेयजल आपूर्ति अपर्याप्त है तथा घैरना में योजना क्षतिग्रस्त है। शेष ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुचारू है।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, आज पूरे उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पेयजल, सड़क एवं स्वास्थ्य के कारण पलायन चरम सीमा पर है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश लोग अमेरिका, जापान एवं बाहरी देशों में रहते हैं। हम लोग टी0डी0सी0 के माध्यम से भारत सरकार को कर देते हैं। मान्यवर, वह लोग जब गाँव आते हैं तो उनको पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। अभी–अभी सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो आर्स, सौंप गाँव हैं वहाँ पर झाला, सौंप और आर्स पेयजल योजना का निर्माण किया जाना था, लेकिन आज तक निर्माण नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भीमलाल आर्य जी, आप प्रश्न तो पूछें।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि जो स्यूरी, खभोगी, चुरैड़ा, नौली, लोदस, आर्स, सौंप आदि गाँव, जो रोड साइड के हैं, इन गाँवों में गर्मियों के दिनों में टैंकरों के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है और जो दूर–दराज के गाँव हैं उन पर खच्चरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती है। मान्यवर, हमने इन गाँव के पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे हैं। लेकिन अभी तक इन योजनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इन गाँव को पेयजल आपूर्ति सरकार कब तक उपलब्ध कराएगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपने अपने क्षेत्र के बारे में जो पेयजल समस्या बतायी है तो उनमें से मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि जो नौली पेयजल योजना है, उसमें गर्मियों के समय स्रोत सूख जाता है। इसलिए सरकार की साफ मंशा है कि जहाँ पर पानी की कमी आती है, वहाँ पर दो प्रकार से पानी की व्यवस्था हम करते हैं। पहली व्यवस्था यह है कि जहाँ पर बिलकुल पानी नहीं आ रहा है वहां पर पानी की व्यवस्था टैंकरों के माध्यम से की जाती है और जहाँ पर दूर–दराज गांव हैं वहां पर पानी की व्यवस्था खच्चरों से की जाती है। मान्यवर, जो हमारे माननीय सदस्य की चिन्ता है और जो आर्स गाँव की पेयजल योजना की बात कह रहे हैं। वह योजना वर्ष 2010–11 में स्वीकृत हुई है लेकिन जहाँ पर स्रोत हैं वहाँ पर विवाद हो गया है और विवाद के कारण पेयजल योजना के निर्माण में दिक्कत आ रही हैं। मान्यवर, घनसाली विधान सभा क्षेत्र के जो माननीय सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे इस मामले का निस्तारण स्थानीय लोगों के साथ बैठकर कर लें तो योजना के निर्माण में गति होगी और लोगों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विगत वर्षों से देहरादून में पानी की समस्या को देखते हुए एक पेयजल योजना बनायी गयी थी। (कई माननीय सदस्यों के बैठ–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न केवल घनसाली विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है, इसलिए इस प्रश्न पर सवाल पूछें।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, माननीय जोशी जी, अभी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न पर संतुष्ट जवाब चाहता हूँ कि आप केवल एक योजना की बात न करें बल्कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के गाँव स्यूरी, खभोगी, चुरैड़ा, नौली, लोदस, आर्स, सौंप, गंगी, गेंवाली, पिनस्वाड़, रगड़ी, धैरका, समणगांव, सौड़ आदि गाँवों में पेयजल का स्थायी समाधान क्या है ? यह तो आपने वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है। मान्यवर, अगर स्थायी समाधान नहीं है तो कितने दिनों के अन्तर्गत इन गाँवों में पेयजल का स्थायी समाधान हो जाएगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है तो उसका जवाब देना चाहता हूँ आपने जो नौली गाँव की बात कही है। उसमें गाँव द्वारा नयी योजना की मांग की

जा रही है सरकार के संज्ञान में यह योजना है और इस पर कार्यवाही गतिमान है। दूसरी जो लोदस गाँव की बात कही है उसमें जल आपूर्ति की जा रही है, आर्स गाँव में योजना विवादित है, उसमें अगर आप मदद कर दें तो अच्छा होगा ताकि काम आगे बढ़ सके और सौंप गाँव की जो बात कही है उसमें जल आपूर्ति हो रही है, रगड़ी गाँव की बात कही है उसमें रख–रखाव जल संस्थान के पास है और इसमें जलापूर्ति हो रही है और बीच में जो टूट–फूट हुई थी उसके लिए वर्ष 2012–13 में रख–रखाव के लिए प्रस्ताव जिला स्तर पर है।

मान्यवर, समणगाँव की बात है तो समणगाँव में स्वैप के अन्तर्गत यह कार्य प्रस्तावित है उसी के तहत व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पर भी पानी लोगों को मिल रहा है। आपने सौड़, खाल और बढ़ुवा गाँव की बात की है तो निश्चित तौर से वहाँ पर रख–रखाव का कार्य जल संस्थान के द्वारा किया जा रहा है और जलापूर्ति हो रही है, गेंवली की जो बात आपने कही है तो वहाँ पर स्वैप के माध्यम से कार्य हुआ है और वहाँ पर जलापूर्ति हो रही है, स्यूरी योजना जलापूर्ति सुचारू रूप से चल रही है, खमोगी में भी आपकी जलापूर्ति की व्यवस्था हो गई है, अक्टूबर तक उसमें पानी चला है बीच में कुछ व्यवधान आया है, योजना कहीं पर डैमेज हुई है वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है और गेंवली में भी पेयजल योजना से लोग लाभान्वित हैं योजना पर जलापूर्ति हो रही है, गंगी में जलापूर्ति हो रही है, गेंवाली में योजना में विगत वर्ष में वहाँ पर टूट–फूट हुई है और वहाँ रख–रखाव के माध्यम से व्यवस्था की गई है और जलापूर्ति वहाँ पर भी की जा रही है और अन्य जो गाँव में माननीय विधायक जी ने घैरना की बात की है तो उसके अन्तर्गत योजना का जो रख–रखाव है वह ग्राम सभा के अन्तर्गत है और उसमें भी जो योजना क्षतिग्रस्त हुई है, जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसकी व्यवस्था की जा रही है। कुरेणना के मामले में जो आपने जिज्ञासा प्रकट की है उसमें योजना रख–रखाव में है, उसके बजट की बात हो रही है। बुढ़वा में रहने के स्थान को स्वजल के माध्यम से ग्राम सभा को हस्तांतरित की जा चुकी है वहाँ पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है, नौली में भी इसी तरह की व्यवस्था है, यहाँ पर जो काम चल रहा है वह प्रगति पर है, निकट भविष्य में जल्द से जल्द गाँव वालों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और किरेथ के चौडीगाथ में जो व्यवस्था की बात आई है तो वहाँ पर भी जलापूर्ति हो रही है और इसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी की जो चिन्ता है वह निश्चित तौर से जायज है और सूचनाओं के आधार पर हमें जो सूचना मिली है उसमें ग्राम प्रधान, जो जिस गाँव का है उनके भी पत्र हमारे पास आ चुके हैं कि यहाँ पर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है।

श्री भीमलाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वास्तव में सरकार की मंशा उत्तराखण्ड में जो हमारे पेयजल विहीन गाँव हैं इनकी समस्याओं का समाधान

करना नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में मेरी बातों में असत्यता है या आपकी बातों में असत्यता है तो इसके लिए जाँच कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और जाँच कमेटी उस गाँव का भ्रमण करे और वास्तव में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से है या नहीं है इस रिकार्ड को आपके माध्यम से सरकार को दे और यह कितने दिन के अन्दर यह व्यवस्था हो जायेगी, यह मैं सदन के माध्यम से आश्वासन चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने जो आपने गाँव बताये हैं उन सब के बारे में विस्तार से यह बता दिया है कि इनकी स्थिति पेयजल के सम्बन्ध में क्या है, तो उसके बाद जाँच कमेटी बनाने का औचित्य नहीं होता है।

प्रदेश में दुर्गम या सुगम स्थानों में शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु मानक

*3–श्री अजय टम्टा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु सुगम और दुर्गम के क्या मानक रखे गए हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली–2011 यथा संशोधित–2012 प्रख्यापित हैं। जिसमें स्थानान्तरण हेतु सुगम और दुर्गम के मानक निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं:–

1. अतिसुगम क्षेत्र विद्यालय–नगर निगम तथा नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में स्थित विद्यालय, तथा ऐसे जनपद मुख्यालय, जहाँ नगर निगम/नगर पालिका परिषद् अभिसूचित नहीं हैं, में स्थित विद्यालय, जिन्हें अतिसुगम क्षेत्र विद्यालय के रूप में निर्धारित किया जाए।

2. सुगम क्षेत्र के विद्यालय– अतिसुगम क्षेत्र विद्यालय से इतर ऐसे विद्यालय जहाँ शहरी क्षेत्र हेतु अनुमन्य मकान किराया भत्ता देय है और जो ऐसे शहरी क्षेत्र की परिधि में तथा इस परिधि से तीन कि०मी० तक की पैदल दूरी पर स्थित है, तथा जहाँ ऐसा मकान किराया भत्ता देय न हो, वहाँ नगर निगम, नगर पालिका परिषद, जनपद मुख्यालय, तहसील, टाउन एरिया, विकास खण्ड मुख्यालय, मुख्य कस्बे तथा उनकी दो कि०मी० परिधि में स्थित विद्यालय, तथा ऐसे अन्य विद्यालय जिन्हें सुगम क्षेत्र विद्यालय के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

   परन्तु यह कि मैदानी क्षेत्र में उक्त निर्धारण के अतिरिक्त मोटर/जीप मार्ग से तीन कि०मी० की पैदल दूरी तक अवस्थित विद्यालय सुगम क्षेत्र विद्यालय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

3. दुर्गम क्षेत्र विद्यालय–

(क) पर्वतीय क्षेत्र– अतिसुगम क्षेत्र विद्यालय तथा सुगम क्षेत्र विद्यालयों से इतर मोटर/जीप मार्ग से पाँच कि0मी0 की पैदल दूरी तक अवस्थित विद्यालय।

(ख) मैदानी क्षेत्र– अतिसुगम क्षेत्र विद्यालय तथा सुगम क्षेत्र विद्यालयों से इतर मोटर/जीप मार्ग से तीन कि0मी0 से पांच कि0मी0 की पैदल दूरी तक अवस्थित विद्यालय।

4. अति दुर्गम क्षेत्र विद्यालय– अतिसुगम क्षेत्र विद्यालय, सुगम क्षेत्र विद्यालय तथा दुर्गम क्षेत्र विद्यालयों से इतर मोटर/जीप मार्ग से पाँच कि0मी0 से अधिक एवं 10 कि0मी0 पैदल दूरी तक अवस्थित विद्यालय।

5. उच्च प्राथमिकता क्षेत्र विद्यालय– अतिदुर्गम क्षेत्र में स्थित मोटर/जीप मार्ग से 10 कि0मी0 से अधिक पैदल दूरी पर अवस्थित विद्यालय तथा ऐसे अन्य विद्यालय जिन्हें उच्च प्राथमिकता क्षेत्र विद्यालय के रूप में वर्गीकृत किया जाय।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर में कॉलम–2 में दिया गया है कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद, जनपद मुख्यालय, तहसील, टाउन एरिया, विकास खण्ड मुख्यालय को सुगम की श्रेणी में रखा गया है और वहीं बिन्दु संख्या–3 (क) में पर्वतीय क्षेत्र में दुर्गम स्थान पर माने गये हैं, तो मेरा कहना यह है कि वास्तव में जो भौगोलिक स्थिति है, मेरी विधान सभा क्षेत्र का जो मुख्यालय ताकुला ब्लाक के गणनाथ में कहीं से कहीं तक 8–9 कि0मी0 तक मोटर मार्ग के लिए रोड नहीं है, तो वह मुख्यालय गणनाथ ब्लाक का मुख्यालय है और मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि यह जो कह रहे हैं कि मुख्यालय को सुगम मानेंगे और वहीं वह मुख्यालय लगभग 12 कि0मी0 दूर है, तो इन परिस्थितियों में इसमें कहीं पर भी इस नीति का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय टम्टा जी, आप सीधे प्रश्न करें।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि इन चीजों का इस नीति में क्यों विवरण नहीं किया गया है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ ये जो विद्यालयी शिक्षा स्थानान्तरण नीति का प्रकरण है यह बहुत ही कॉम्प्लीकेटेड है। इस पर जो स्थानान्तरण नीति वर्ष 2011 की बनी थी। शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग

है, जिसमें लगभग 80 हजार कर्मचारी कार्य करते हैं। इसमें जो सबसे अधिक बात आती है वह जो हमारे माननीय अध्यापकगण हैं, उसमें हमारे जो अधिकारीगण हैं उनकी जो ट्रांसफर की नीति है, वह हमारे कार्मिक विभाग के अन्तर्गत गवर्न होती है, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं और तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, इनकी जो स्थानान्तरण की नीति है वह हमारी नियमावली के तहत गवर्न होती है। चूंकि नियमावली बार-बार बनी है, इसके अन्तर्गत विगत सत्र में जो बात आयी थी, वह बात यह थी कि लोगों ने जगह-जगह यह बात की, कि दुर्गम-सुगम की वजह से सारा मामला हेल्डअप है तो इस पर हमारी सरकार के माध्यम से यह तय हुआ है कि जो दिक्कतें सुगम-दुर्गम में आयी थी, वास्तव में दिक्कतें आयी थी, यह हम भी स्वीकार करते हैं, सरकार को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। मान्यवर, शिक्षक भी हमारे ही कर्मचारीगण हैं, यदि कोई 22 साल से किसी दुर्गम क्षेत्र में रहा है और आज वहाँ रोड चली गयी है, उसे सुगम में माना अगर, तो यह अन्यायपूर्ण है, इसे हम स्वीकार करते हैं। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में जो लोगों की तरफ से प्रस्ताव आये हैं, शिक्षक संघों के माध्यम से आये, माननीय सदस्यों के माध्यम से आये और पूरे प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आये हैं। सरकार ने इन पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया है और जीरो सत्र घोषित किया है, और यह जीरो सत्र घोषित करने के दो मकसद थे। पहला मकसद यह था कि सुगम-दुर्गम के निर्धारण में बहुत दिक्कतें थी, बहुत कमियाँ थी, उसको सर्च आउट किया जाए। दूसरा मकसद जीरो सत्र घोषित होने का कारण यह था, चूंकि काफी समय हो चुका था तो मिड सत्र में स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं समझा। जिस पर सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस समय जीरो सत्र घोषित किया जाए और अगला जो सत्र स्थानान्तरण का होगा, उसमें बकायदा हमारे शिक्षक संघ के जो पदाधिकारीगण हैं उनके माध्यम से प्रस्ताव मांगे गये हैं, वे आ चुके हैं, जिला स्तर पर बैठकें हुई, हमारे जो सी0ई0ओ0 हैं, डी0ओ0 हैं बेसिक से लेकर जूनियर तक इनके बीच मे बकायदा शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, इन पर इनके प्रस्ताव आये। चूंकि सुगम-दुर्गम से सबसे ज्यादा पीड़ित हमारे शिक्षक संवर्ग के लोग थे, उन्हीं के संघ के माध्यम से प्रस्ताव आया, ये प्रस्ताव आ चुके हैं। ये शासन स्तर पर विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, दुर्गम-सुगम के क्या मानक हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

मान्यवर, सुगम-दुर्गम के मानक में यह तय किया गया कि जो पहले था उसी के कारण यह विवाद हुआ और दुर्गम-सुगम में पहले यह माना गया था कि जहाँ पर दो किलोमीटर के अंदर रोड पक्की हो, उसे सुगम और जहाँ पर रोड पक्की न हो, उसे दुर्गम में माना गया। यह फिजिबिली ठीक नहीं था, इसे हमने भी स्वीकार किया। इसमें

संशोधन की बात की गयी और इसमें कार्यवाही गतिमान है, पूरे प्रस्ताव आ चुके हैं सुगम–दुर्गम का जो निर्धारण है वह निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी होगा।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्वयं स्वीकारा है कि जो सुगम–दुर्गम के मानक हैं उनकें कहीं न कहीं कोई कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम अगले सत्र तक करेंगे। मान्यवर, जो जमीनी हकीकत है वास्तव में, इस बात का निर्धारण भी हमें आज करना चाहिए क्योंकि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की हालत बड़ी खराब है। जिनको आपने सुगम कहा, वहाँ पर आज शिक्षक नहीं हैं। मान्यवर, 15–15 दिन तक आंदोलन हो रहे हैं। विगत दिनों माननीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला 10 तारीख से लेकर 3 जुलाई तक। वहाँ पर 24 टीचर होने चाहिए, मगर वहाँ पर 8 टीचर हैं। ऐसे ही मेरे यहाँ मनांद में, जो सुगम क्षेत्र है वहां पर टीचर ही नहीं हैं, सिर्फ इस कारण से नहीं हैं, चूंकि आपका विद्यालय सुगम में आता है और सुगम में आने के कारण हम सब लोगों को अपने–अपने क्षेत्रों में जाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। मान्यवर, सुगम–दुर्गम की इन विसंगतियों को हमें देखना अति आवश्यक है। हम तहसील मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय तो कह रहे हैं, लेकिन हमें उस तहसील मुख्यालय और ब्लाक मुख्यालय की रोड की दूरी को भी ध्यान में रखना होगा, ऐसी भी विसंगतियां हैं। मान्यवर, मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि जिला स्तर पर आपकी जो भी कमेटियां बनती हैं, आपके विभाग के कर्मचारी बनाते हैं जो भी उनके चिरपरिचित नजदीकी हैं। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

माननीय टम्टा जी, आप सीधे प्रश्न करें।

श्री अजय टम्टा –

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यही है, आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह नीति गलत है। मेरा प्रश्न यही है कि क्या आप इस नीति को तत्काल परिवर्तित करेंगे और क्या जमीनी हकीकत की कोई नीति बनाने जा रहे हैं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि नीति कोई गलत नहीं हैं। उसके क्रियान्वयन के जो मानक हैं, उसमें जरूर कुछ कमी आयी है, उस कमी को दूर किया जा रहा है सभी स्तर से, जिला स्तर से, मण्डल स्तर से और प्रदेश स्तर से पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह आग्रह करना चाहता हूँ, सम्मानित विधायकगण से मेरा अनुरोध है कि उसमें अगर आपके कुछ सुझाव हैं, तो आप सुझाव दे सकते हैं, उनको इन्क्लूड कर लेंगे।

श्री हरीश धामी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र धारचूला है, वह राजधानी से 650 किलोमीटर दूर है और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, बरसात के समय में दैवीय आपदा से तमाम मोटर सुविधाएं बन्द हो जाती हैं। जाड़ों के समय सड़कों में बर्फ जमी रहती है।

श्री अध्यक्ष—

सीधे प्रश्न कीजिए।

श्री हरीश धामी—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो दुर्गम और अति दुर्गम का मानक है मोटर रोड से 5 किलोमीटर का, मेरा अनुरोध है कि मेरे पूरे क्षेत्र धारचूला को अतिदुर्गम क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि हमारे यहाँ जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो वह अतिदुर्गम के हिसाब से हो। (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र धारचूला को अतिदुर्गम घोषित करेंगे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सम्मानित सदस्य की जो चिन्ता है, उस पर ऑलरेडी विचार किया जा चुका है। इसी दिसम्बर माह में बैठक होने जा रही है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। सभी क्षेत्रों में सुगम और दुर्गम की जो शिकायत थी, उसी पर सरकार ने एक्सरसाईज की है, उसी के माध्यम से जो प्रारूप बन कर आया है, उस प्रारूप में मैं यह चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरे सदन से मेरी प्रार्थना है कि आपके क्षेत्र में भी अगर कोई कंफ्यूजन है, तो आप भी दे सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि एक अध्यापक को कितने वर्ष में अति दुर्गम से दुर्गम में और फिर सुगम में लाने की नीति है, जिसके आधार पर एक अध्यापक जो पहले से नियुक्त है या उसकी नई नियुक्ति हुई है, तो इसका क्या मानक है कि उसको इतने वर्ष तक अति दुर्गम में रहना होगा, फिर इतने वर्ष तक दुर्गम में और फिर सुगम में।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य का प्रश्न बहुत ही चिन्ताजनक है इस पर सरकार मन्थन कर रही है, लेकिन जहाँ तक एक अध्यापक की आपने बात की है, दो प्रकार के अध्यापक हैं, एक अध्यापक वे हैं, जिनकी नियुक्ति फ्रेश होती है, फ्रेश जो

नियुक्ति होती है, वह दुर्गम में होती है। दूसरी कैटेगरी के अध्यापक वे हैं, जिनका प्रमोशन होता है। जिनका प्रमोशन होता है, उनको भी दुर्गम में जाना होता है। इसी के तहत सारी व्यवस्था संचालित होती है। इसमें अगर कोई बीमार हैं, तो विभाग उसका संज्ञान लेता है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो सवाल किया था, अध्यापक चाहे फ्रेश नियुक्ति वाला हो या उसका प्रमोशन आप कर रहे हो, कितने वर्ष तक आप उसको अति दुर्गम में रखेंगे और कितने वर्ष दुर्गम में रखेंगे और फिर सुगम में लाएंगे ? इसकी क्या नीति है, इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मानननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो फ्रेश अप्वाइंटमेंट हैं, उसको कम से कम 3 वर्ष तक दुर्गम में रहना होता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और यह सूचना देना चाहता हूँ कि अब जो अप्वाइंटमेंट हो रहे हैं, बेसिक में, उसमें सरकार ने ब्लॉक कैडर कर दिया है और ब्लॉक कैडर के हिसाब से नियुक्तियाँ प्रारम्भ हो चुकी हैं।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। अति दुर्गम में कितने वर्ष तक वह रहेगा और उसके बाद कितने वर्ष में सुगम में लाएगा ? (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने सिर्फ बेसिक का बताया, और भी अध्यापक हैं, माध्यमिक में हैं और दूसरी जगह हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, अति दुर्गम में अध्यापक 2 वर्ष रहेगा और दुर्गम से सुगम में आने में 8 वर्ष का समय लगेगा और जो अति सुगम में 2 वर्ष का समय है। मान लीजिए कोई बीमार है, तो उसको कन्सीडर किया जाता है। इस तरह से नीति बनी है। इसमें सारा फॉलोअप होता है और उसी तरह से कर्मचारियों की नियुक्ति होती है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि सुगम और दुर्गम नीति को सरकार ने स्वयं मान लिया कि यह गलत है, इसलिये हमने सत्र का शून्य किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाया गया ट्रांसफर एक्ट, जिसको इस सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है, आज की स्थितियों को देखते हुये पुनः लागू करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, इस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है नीति के अनुसार ही सारा कार्य किया जाएगा।

श्री नारायणराम आर्य—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षकों की कमी है, लेकिन आज की ही कार्य सूची में माननीय पूरन सिंह फर्त्याल जी द्वारा पूछे गये एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि शिक्षा विभाग से 36 अध्यापकों को........

श्री अध्यक्ष—

आप इस प्रश्न पर आए और इसी से सम्बन्धित अनुपूरक पूछें।

श्री नारायण राम आर्य—

मान्यवर, यह भी इसी प्रश्न से जुड़ा है कि जब प्रदेश में शिक्षकों की कमी है तो 36 अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश और स्वजल में भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी, तो क्या सरकार इन 36 अध्यापकों को अपने मूल विभाग में वापस लाएगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, यह प्रक्रिया गतिमान है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नारायणराम आर्य—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि प्रक्रिया गतिमान है।

श्री बिशन सिंह चुफाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, वह दुर्गम और अति दुर्गम में हैं और सभी जगह एकल अध्यापक हैं, क्योंकि उसमें नई नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं और पदोन्नति द्वारा रिक्त पद भरे जाते हैं। लेकिन पदोन्नति होने के बाद भी कोई जाने को तैयार नहीं है, जिस कारण दुर्गम क्षेत्र में एकल अध्यापक होने के कारण साल भर में आधे से अधिक दिन विद्यालय बन्द रहते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार वहां पर अध्यापक भेजने की कोई व्यवस्था करेगी या स्थानीय व्यक्तियों को मानदेय पर रखने की कोई व्यवस्था है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, उसके तहत कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हैं। लेकिन यह व्यवस्था की जा रही है कि जहां पर अध्यापकों की कमी है, वहां पर प्रमोशन और नई नियुक्तियों के माध्यम से अध्यापकों की व्यवस्था की जाए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, उनमें नई नियुक्तियां कर नहीं सकते हैं, प्रमोशन में लोग जा नहीं रहे हैं तो ऐसे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो नहीं जाना चाह रहा है, उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसके लिये भी नियम बना दिया है कि आगे आपका प्रमोशन नहीं होगा।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत जीर्ण–शीर्ण पड़ी बीरोंखाल वि0ख0 के अन्तर्गत बाड़ाडांडा पेयजल योजना का पुनर्निर्माण

*4–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल विकास खण्ड के अन्तर्गत बाड़ाडांडा पेयजल योजना से नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है और यह योजना जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना के पुनर्निर्माण/पुनर्गठन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा योजना से नियमित एवं व्यवस्थित जलापूर्ति कब तक की जाएगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्तमान में योजना से व्यवस्थित जलापूर्ति की जा रही है और योजना जीर्ण–शीर्ण स्थिति में नहीं है।

योजना के पुनर्निर्माण/पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं हैं।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा श्री दलीप सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत कोटेश्वर शशिखाल और हंशीढुंगा गुजरकोट में वर्ष 2006 में स्वीकृत दो पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में।

*5–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा की सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटेश्वर शशिखाल और हंशीढुंगा गुजरकोट में दो पेयजल योजनाएं 2006 से स्वीकृत हैं तथा विभागीय अनदेखी के कारण इनकी डी0पी0आर0 आज तक नहीं बन पाई है ?

क्या सरकार उक्त दोनों पेयजल योजनाओं का शीघ्र जनहित में निर्माण कराएगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत कोटेश्वर शशिखाल पम्पिंग पेयजल योजना की अनु0लागत रू 883.10 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–2085/उन्तीस(2)/(138पेय)/2006 दिनांक 05–12–2006 द्वारा रू 20.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, एवं हंशीढुंगा गुजरकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना अनु0लागत रू 771.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या–2084/उन्तीस(2)/06–(135पेय)/2006 दिनांक 05–12–2006 द्वारा रू 20.00 लाख स्वीकृत प्रदान की गयी, परन्तु दिनांक 30–11–2006 से प्रदेश में सकल क्षेत्र में समरूप नीति (स्वैप) लागू होने के कारण योजनाओं के कार्य प्रारम्भ नहीं कराये जा सके। कोटेश्वर शशिखाल ग्राम समूह पम्पिग पेयजल योजना में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति (यू0डब्ल्यू0एस0एस0सी0) गठित कराकर उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर योजना का स्वैप आधारित विश्व बैंक पोषित कार्यक्रम में विस्तृत प्राक्कलन रू 2105.88 लाख विरचित कर लिया गया था, जिसे जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी0डब्ल्यू0एस0एम0) से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था। विश्व बैंक द्वारा बहुल ग्राम की वृहद योजनाओं पर धन उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप योजना एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 कार्यक्रम में प्राक्कलन नवीनतम केन्द्रीय दर अनुसूची के आधार पर पुनः विरचन की कार्यवाही की जा रही है।

हंशीढुंगा गुजरकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति (यू0डब्ल्यू0एस0एस0सी0) से प्राप्त कर प्लानिंग एवं सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा योजना के प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही की जा रही है।

जी हाँ।

कोटेश्वर शशिखाल पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन लो0नि0वि0 की नवीनतम दर अनुसूची के आधार पर दिनांक 31-01-2013 एवं हंशीढुंगा गुजरकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन लो0नि0वि0 की नवीनतम दर अनुसूची के आधार पर दिनांक 31-03-2013 तक विरचित किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न पूछा था, वह सल्ट विधान सभा क्षेत्र की दो पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में था, विभागीय अनदेखी के कारण आज तक उनकी डी0पी0आर0 तक नहीं बन पायी है। मान्यवर, यह हमारा सीधा प्रश्न था। माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बा सा भाषण दिया और अंत में माना है कि एक जो डी0पी0आर0 है वो 2013 को 31/01 को बनेगी और एक 31/03 को। यह जवाब बिलकुल लम्बा है, कुछ आया नहीं है स्पष्ट।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइये ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाह रहा था कि क्या अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक डी0पी0आर0 नहीं बनी है ? ये मेरा प्रश्न था।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर ,जो आपका प्रश्न था, उसी के अनुरूप पूरी जानकारी हमने आपको प्रेषित की है। यह भाषण नहीं है मान्यवर, यह पूरी जानकारी है, पहली बात, दूसरी बात आपकी जो पम्पिंग योजना है कोटेश्वर-शशिखाल जो गुजराकोट की जो दो पेयजल पम्पिंग योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, उसमें सरकार के माध्यम से कार्यवाही गतिमान है और जो आपकी चिंता है कि कब तक हो जाएगा तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनवरी, 13 तक जो डी0पी0आर0 हमारी तैयारी हो रही है, जनवरी, 13 तक बन जाएगी और उसके बाद योजना का प्राक्कलन बना करके आगे भेज दिया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मानतीय अध्यक्ष जी, वही मैं कह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी डी0पी0आर0 नहीं बनी है। 2006 से मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक डी0पी0आर0 ही नहीं बनी है तो कैसे बन जाएगा अब।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, डी0पी0आर0 बनी है। (व्यवधान) ऐसा है मान्यवर, इसमें दो चरण में बात हुई है(व्यवधान) पहले आप मेरी बात सुन लें, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का लिखित जवाब है, लिखित में आपने कहा कि कार्यवाही की जा रही है, प्राक्कलन विचलन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आप हमारा जवाब तो सुन लें। हम आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदस्य जी का जो प्रश्न है उनकी जो चिंता है, वो बिलकुल जायज है, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर जो (व्यवधान) पहली बात तो यह है माननीय अध्यक्ष जी, ये पेयजल योजना 05.12.2006 को सेंक्शन हुई है मान्यवर, और उसी बीच जो स्वैप लागू हुआ, उसकी वजह से दुबारा पुनर्नियोजन की बात आयी। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि इसकी डी0पी0आर की कार्यवाही गतिमान है। यह मैं सदन में स्पष्ट कर रहा हूँ कि जनवरी, 2013 तक डी0पी0आर0 गठित की दी जाएगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी प्रश्न भी चालू नहीं किया है। सरकार ने माना कि अभी डी0पी0आर का गठन नहीं हुआ है जनवरी तक हो जाएगी। अब मैं अपना प्रश्न करता हूँ सरकार का जवाब आया है कि 05.12.2006 को इसके लिए 20 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी थी और पीछे जवाब आ रहा है कि 30.11.2006 से प्रदेश में स्वैप लागू हो गया था। जब 30.11.2006 यानी नवम्बर के महीने से स्वैप लागू हो गया था तो दिसम्बर के महीने में 20 लाख रुपया क्यों अवमुक्त कर दिया गया ? क्या उस समय चुनाव को देखते हुए जनता को भ्रमित करने के लिए आदेश कर दिया गया था ? पहला मेरा प्रश्न यह है। पहले का जवाब आ जाए तो मैं दूसरा प्रश्न करूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह चुनाव की वजह से सेंक्शन नहीं था, यह तो तत्कालीन विधायक थे, उनकी मांग थी, उस पर जनता की तरफ से प्रेशर था, सरकार ने उसको स्वीकार किया, शासनादेश जारी किया 20 लाख रुपये उसके सर्वे के लिए, उसकी भूमि हस्तांतरण

की कार्यवाही के लिए पैसे दिये गये, लेकिन जो स्वैप के माध्यम से जी0ओ0 आया है उसके माध्यम से सारी योजनाओं पर फिर पुनर्विचार किया गया और उसी पुनर्विचार के माध्यम से अब जो योजना है, उसके माध्यम से इसकी डी0पी0आर0 गठित की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इसका मतलब सरकार मानती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका जवाब साफ आ गया है, दूसरा सवाल पूछिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जब स्वैप लागू हो चुका था, उसके बाद 20 लाख रुपये क्यों अवमुक्त कर दिये गये ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, उसके बाद नहीं दिये गये, उससे पहले दिये जा चुके थे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, 30/11 से तो स्वैप लागू हो गया है। जब नवम्बर में स्वैप लागू हो गया तो दिसम्बर में किस कानून के तहत 20 लाख रुपये अवमुक्त कर दिये गये। स्वैप के तहत कार्यवाही होनी चाहिए थी। सीधा जवाब आना चाहिए अधिकारियों की लापरवाही, कई बार मैं विभागों के चक्कर काट चुका हूँ, यहां सचिव स्तर पर भी मैं आया हूँ, लेकिन मान्यवर, मुझे दो साल से लगातार आश्वासन मिल रहा है। (व्यवधान) मान्यवर, यह मेरी विधान सभा नहीं थी, मैं अभी विधायक बना हूँ, पहले सल्ट मेरे क्षेत्र में नहीं था। अगर उस समय के जनप्रतिनिधि ने आवाज उठायी होती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप पूछना क्या चाह रहे हैं, सीधे–सीधे बताईये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि जब नवम्बर के माह में स्वैप लागू हो गया था तो दिसम्बर में क्यों धनित करने के लिए काम किया गया, यह मैं जानना चाह रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत क्लीयर प्रश्न हैं, माननीय मंत्री जी भी इसको ठीक से समझ लें आपके माध्यम से, आपका कहना है कि नवम्बर में ही स्वैप लागू हो गया था। जब स्वैप

लागू हो गया था तो तब स्वैप के अन्तर्गत ही यह योजना बननी चाहिए थी, तो फिर दिसम्बर में भी पैसा यहाँ से रिलीज क्यों कर दिया गया ? क्या वह स्वीकृत थी या नहीं? जो पैसा रिलीज किया उसको आप स्वीकृत मानते हैं या नहीं, क्या आपने उस पैसे को वापस मंगा लिया, तो यहाँ पर यह स्पष्ट आना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, पिछले 06 साल से जनता का खून पसीने का पैसा पड़ा हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इतने दिनों तक वह पैसा आपने इस तरह रिलीज कर दिया, आज सरकार कह रही है कि यह स्वीकृत नहीं हुआ, अब हम इसको आगे के लिए स्वीकृत करेंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी, लोक सेवक जो भी हो, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है, या मंत्री जी, कार्रवाई करेंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह 5–12–2006 को यह योजना स्वीकृत हुई और योजना में स्वीकृति के साथ–साथ यह व्यवस्था दी गई कि इसके सर्वे के लिए, भूमि हस्तान्तरण के लिए जिस पर खर्च होता है, 20 लाख रुपया के साथ ही स्वीकृत किया गया। बीच में स्वैप के आने से जो पैसा......(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, स्वैप बीच में नहीं, पहले आ गया था। माननीय मंत्री जी नवम्बर में स्वैप लागू हो गया था। माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत जवाब आ रहा है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो 20 लाख रुपये दिये गये उसके अन्तर्गत वहाँ पर सर्वे हुआ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, जब स्वैप लागू हो गया था तो पैसा कैसे दे दिया।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, उस योजना को नियोजित करने के लिए सर्वे के माध्यम से पैसे की बात आई, वह पैसा वहाँ लगा और जब स्वैप के माध्यम से सर्वे हुआ अब जा करके वह पूरी डी0पी0आर0 तैयार हो रही है। इस योजना को निश्चित रूप से बनाया जाएगा यह सरकार का कमिटमेंट है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय मंत्री जी ने माना कि एक डी0पी0आर0 जनवरी में बनेगी और दूसरी मार्च में बनेगी। बार–बार मेरे प्रयास करने के बावजूद, दो साल से तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी अधिकारी हर महीने आश्वासन दे रहे हैं कि डी0पी0आर0 बन जाएगी। अभी तक डी0पी0आर0 नहीं बनी है। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जो इनकी लापरवाही है, क्या इस लापरवाही के लिए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, लापरवाही बर्दाश्त हो रही है। मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यदि कार्रवाई होगी तो कब तक होगी ?

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना "वेल" में आ गये और अपनी बात "वेल" से उठाने लगे।)

श्रीमति इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस तरह से "वेल" में आना अच्छी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

जीना जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना अपने स्थान पर चले गये।)

श्री गणेश गोदियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य जीना जी ने जो प्रश्न किया है इसी प्रश्न से सम्बधित पौड़ी जिले में उसी डेट को जिस डेट का आपने उत्तर में उल्लेख किया है। उसी दिनांक को पौड़ी जिले की गोलापातल पेयजल योजना, चकलाघाट गढ़ीघाट पेयजल योजना और डिक्वारघाटा पेयजल योजना, ये तीन पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई थी जिनके शासनादेश जारी हुए हैं। जिन परिस्थितियों का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया उन्हीं परिस्थितियों के चलते स्वैप का कारण लेकर आज तक कोई योजना नहीं बनी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने शासनादेश जारी किया है, चाहे सरकार स्वैप में कराये, चाहे कहीं से भी कराये। क्या सरकार सदन में यह आश्वासन अभी देगी कि इनको एक महीने के अन्दर बनाएगी ? स्वैप में पर्याप्त नहीं है यह हमारा प्रश्न नहीं है। हमारा मकसद यह है कि वह योजनाएं बननी चाहिए। सरकार यह आश्वासन सदन में दे कि एक महीने के अन्दर काम शुरू करा देंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मानननीय अध्यक्ष जी, पैसे की कमी नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)(व्यवधान के मध्य)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय गोदियाल जी ने जो प्रश्न किया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर जीना जी, यह अच्छी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी खड़े हैं। कृपया आप बैठें जायें। (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न वैसे पौड़ी जनपद का नहीं था। मान्यवर, यह केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य) जब हमारी बारी आती है तो कहा जाता है कि विषय से हटकर प्रश्न है। (व्यवधान के मध्य)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य जी की बातों का जवाब देना चाहता हूँ, कृपया आप जवाब सुन तो लें। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य) आपकी एक–एक बात का जवाब दे रहे हैं, आप उससे सन्तुष्ट हों तो यह अच्छी बात होगी। अगर आप असंतुष्ट हैं तो हमें लिखकर दे दें और उसका समाधान कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि यहां पर और साथियों ने भी प्रश्न लगाये हैं उनका जवाब भी देना है। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य)।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो कैसे संतुष्ट हो जाएं। (व्यवधान के मध्य)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह चिन्ता का विषय है। जिन योजनाओं पर स्वैप के कारण कार्यवाही चल रही है, उन पर सरकार ने टाइम बाँड किया है। जितनी ऐसी पैंडिंग योजनाएं हैं उनका एक वर्ष तक पूरा प्राक्कलन बनाकर केन्द्र सरकार को प्रेषित करेगी तथा पैसा लाएगी और पानी पिलाएगी। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया है। (माननीय सदस्य सुरेन्द्र सिंह जीना "वेल" में आ गये और अपनी बात कहने लगे।) (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, यह गलत बात है। आपके प्रश्न का जवाब साफ आ गया है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। माननीय जीना जी, यह अच्छी बात नहीं है, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। (माननीय सदस्य श्री जीना जी अपने स्थान पर वापस चले गये।) (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं आ रहा है तो प्रश्नकाल का कोई महत्व नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत स्वीकृत नैनीडांडा पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य

*6–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नैनीडांडा पेयजल पम्पिंग योजना को स्वीकृति दे दी गई है ?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य में विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत नैनीडांडा पम्पिंग पेयजल योजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या–1118/उन्तीस (2)/12–2(39पेय)/2010 दिनांक 24.09.12 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

योजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद हरिद्वार में आई0सी0डी0एस0 द्वारा बच्चों को वितरित पौष्टिक आहार से संक्रमित रोग फैलने से बचाव हेतु अन्य पौष्टिक आहार का वितरण

*7–श्री यतीश्वरानन्द–

क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में आई0सी0डी0एस0 द्वारा जो पौष्टिक आहार बच्चों को वितरण के लिये भेजा जाता है उसमें बरसात के दिनों में कीड़े हो जाने के कारण बच्चों में हैजा, पीलिया एवं अन्य संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना रहता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस आहार की जगह बिस्किट, चना, परमल इत्यादि शुरू करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, उद्यान, संस्कृति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

जनपद हरिद्वार में संचालित 11 बाल विकास परियोजनाओं से किसी भी परियोजना स्तर से कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि बच्चों को वितरण के लिए भेजे गए पौष्टिक आहार में बरसात के दिनों में कीड़े हो जाने के कारण बच्चों को हैजा, पीलिया एवं अन्य संक्रामक रोग फैला है।

पौष्टिक आहार वितरण से बच्चों को संक्रामक रोग इत्यादि न फैलने के कारण बिस्किट, चना, परमल इत्यादि शुरू करने पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

उक्तानुसार

उक्तानुसार

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा श्री यतीश्वरानन्द का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र लालढांग वासियों की पेयजल की समस्या का समाधान

*8–श्री यतीश्वरानन्द–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र लालढांग वासियों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र वासियों में त्राहि–त्राहि मची हुई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पेयजल समस्या के समाधान हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। लालढांग विधान सभा क्षेत्र में लालढांग ग्राम समूह पेयजल योजना, 71 नग इण्डिया मार्का–11 हैण्डपम्प तथा उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 12 पेयजल योजनाओं द्वारा समुचित मात्रा में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मानकों के अनुरूप पेयजल उपलब्ध है।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा श्री यतीश्वरानन्द का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जी को, जो नियम हैं उनके आधार पर प्रश्न पूछना चाहिए। उनके प्रश्न पर कई प्रश्न हो गये हैं। जबकि उनको केवल दो प्रश्न पूछने का अधिकार है। उनके उन प्रश्नों के जवाब भी आ गये हैं। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह निवेदन है कि एक प्रश्न माननीय सदस्य श्री जीना जी ने पूछा है और उसी प्रश्न पर एक सवाल माननीय सदस्य श्री गोदियाल जी ने पूछा और दोनों का प्रश्न एक समान है। वह यह है कि इस योजना का निर्माण आप कब तक कर देंगे ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

उस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि साल भर के अन्दर सरकार इन योजनाओं पर कार्यवाही कर देगी, यह जवाब दे दिया है। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)(व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने सदन का बहिर्गमन किया।)

प्रदेश में पेयजल समस्या के समाधान हेतु सरकार की नीति व स्वरूप

*9–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में पेयजल की समस्या है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा पेयजल संग्रहण नीति बना दी गई है ?

यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा अभी तक कोई जल नीति नहीं बनायी गयी है। पेयजल संग्रहण नीति के तहत पेयजल संग्रहण हेतु जल स्रोतों के स्त्राव में कमी आ जाने के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत स्थायित्व घटक (ससटेनिबिलिटी सब हैड) से वर्षा जल संग्रहण जलाशयों के निर्माण हेतु मार्ग–दर्शक नीति शासन द्वारा निर्धारित की गई है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि यदि प्रदेश में पेयजल की समस्या है और वर्तमान संसाधनों से पेयजल समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। तो क्या पूरे प्रदेश में कोई ऐसी योजना बनायी जाएगी ? जिससे पेयजल की आपूर्ति प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक शहर में, ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में की जा सके।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है उसके जवाब में यह कहना चाहता हूँ कि सरकार वचनबद्ध है पूरे प्रदेश को

पेयजल आपूर्ति के लिए, और इसके तहत अब तक जो व्यवस्था की गई है उसमें एक सर्वे विभाग के तौर पर हमने करवाया और उसके माध्यम से तीन ग्रेड बनकर आये, तो एक जोन यह बना है जिसमें कि पेयजल स्रोत थे और वो सूख चुके हैं, सेकेण्ड केटेगरी सर्वे के माध्यम से आई है कि पेयजल स्रोत हैं लेकिन उनमें डिस्चार्ज कम हो रहा है और तीसरी कैटेगरी जो हमारी तराई का इलाका है उसमें जो पानी की समस्या है उस समस्या की निजात के लिए सरकार नीति बना रही है, तो आपके माध्यम से मैं सम्मानित विधायक जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो पेयजल की समस्याएं हैं तो मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों को यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि विभाग के तौर से हम विधान सभा वार आपके बीच बैठक करना चाहते हैं और उसके माध्यम से जो आपके क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर पेयजल के वरिष्ठ अधिकारी से ले करके और उन तमाम समस्याओं को ले करके आपके बीच और जनता के बीच संवाद होगा और जो कार्ययोजना उसमें तय होगी उसी के तहत आगे के कार्यक्रम के आधार पर योजनाओं के समाधान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि पेयजल में जो समस्या है उसको इन्होंने माना है, तो पूरे प्रदेश में हमें प्रतिदिन कितने एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है और कितनी एम0एल0डी0 पानी हो रहा है, कितनी समस्या हमारे साथ है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जहाँ तक सवाल एम0एल0डी0 का है तो वह मानक के आधार पर तय हुआ है और प्रदेश में स्रोत की कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है, तो कम से कम 40 एम0एल0डी0 पानी के एक स्रोत से पेयजल की आपूर्ति के लिए प्राविधान है जो मानक है उसी हिसाब से जहाँ पर 40 एम0एल0डी0 कम पानी के स्रोत से बात आई है तो उसी के तहत सरकार ने सर्वे करवाया है और उसमें एक कार्यक्रम तय किया है कि जो इस प्रकार के एम0एल0डी0 को पर्याप्त नहीं कर रहे हैं, एम0एल0डी0 में कमी आ गई है तो उसको पूरा करने के लिए वहाँ पर एक कार्ययोजना के माध्यम से रख–रखाव के लिए जलागम, वन विभाग और आपके मनरेगा के माध्यम से कार्ययोजना बन रही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने केवल इतना पूछा है माननीय मंत्री जी से, आपने माना कि पूरे प्रदेश में समस्या है तो पूरे प्रदेश में हमें कितने एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है एक दिन में और कितना उपलब्ध है हमारे पास, जिसकी आप नीति बनाएंगे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश में एक सी नहीं है, यह पूरे प्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग–अलग स्थितियां हैं, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ कि कम से कम 40 एम0एल0डी0 पर्याप्त मात्रा के लिए पानी की आवश्यकता होती है और जहाँ पर इसकी कमी पाई गई है वहाँ पर स्रोत संवर्द्धन की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने अलग–अलग बनाया होगा, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग, प्लेन के लिए अलग, उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कुल कितने पानी की हमारे प्रदेश में आवश्यकता है, इतना है जिसकी नीति आप बनाएंगे, जब यही नहीं बता पा रहे हैं तो कि आवश्यकता कितनी है तो नीति काहे की बनाएंगे।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जहाँ तक एम0एल0डी0 का सवाल है, जो हम 40 एम0एल0डी0 की बात कर रहे हैं, उसमें पानी की कमी नहीं है, उसमें वितरण की बात आई है और जहाँ पर पानी की कमी की बात आई है उसी के संवर्द्धन की बात है। माननीय कौशिक जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, जब आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है तो मैं भी महत्वपूर्ण जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप नक्श वर्णन चाहते हैं तो मैं उसका भी जवाब दे सकता हूँ। मान्यवर, आपकी चिन्ता स्वाभाविक है पूरे प्रदेश में पानी की बहुत कमी है, यह स्वाभाविक है, पूरे सदन की चिन्ता है और सरकार की यह पूरी जिम्मेदारी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितनी कमी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, क्षेत्रों के हिसाब से अलग–अलग कमी है, अगर आप पेयजल के सवाल पर जाएंगे तो जनपदवार सर्वे आ चुका है उसकी रिपोर्ट हम आपको प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अभी–अभी अपने जवाब में भी स्वीकारा है कि वास्तव में जगह–जगह पानी की कमी है और उसके ऑलटरनेट की व्यवस्था भी उन्होंने प्रश्न में दी है। पानी की ऑलटरनेट व्यवस्था उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और जलाशय से भी पानी संग्रह करने की नीति बनायी हैं। जहां माननीय मंत्री जी कह रहे

हैं कि पहाड़ में पानी के स्रोत सूख रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो भूमिगत जल है, उसके लिए सरकार ने कोई नीति बनायी है ? कोसी नदी एक बहुत बड़े जीवन को पेयजल उपलब्ध कराती है। मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद में 11 छोटी–छोटी नदियां निकलती हैं। धारपानी धार का पानी निरंतर नीचे जा रहा है और कोसी नदी सूखने के कगार में है। क्या ऐसा भूमिगत जल स्रोत है, उसके लिए सरकार ने कोई विशेष नीति बनायी है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार के माध्यम से सेटेलाइट से एक सर्वे हुआ, इसकी हमने रिपोर्ट मांगी है और साइंटिस्टों के बीच में जो हमारे प्रमुख सचिव/सचिव पेयजल हैं उस पर हम बैठक करने जा रहे हैं, ताकि हम योजना बनाने से पहले यह तय कर दें कि किस क्षेत्र में कितना पानी है। यदि बिना पता किये हमने योजना बना ली और सरकार ने स्वीकार कर दी और उसमें आज की तिथि में 40 एम0एल0डी0 पानी उपलब्ध है यदि पांच साल बाद यह स्रोत डाउन गया तो वह योजना बेकार हो जाएगी। मान्यवर, मैं यह सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने सेटेलाइट के माध्यम से सर्वे की बात की है उस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है आगे जो योजनाएं बनायी जाएंगी, सर्वे के आधार पर ही उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के तहत वर्षा से जल संरक्षण, जलाशयों के निर्माण के तहत, प्रदेश में कितने जलाशयों का निर्माण किया गया है। कहां–कहां पर किया गया है, इसके क्या–क्या परिणाम अच्छे या खराब निकले बताने का कष्ट करें। क्या जल पूर्ति के लिए कोई सही समाधान निकला है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो आज तक योजनाएं बनायी गयी हैं, चूंकि ये जो योजनाएं बनी हैं। इनमें पेयजल विभाग का उतना रोल नहीं है, जितना कि वन विभाग, जलागम और जो एन0जी0ओ0 कार्य कर रहे हैं उसका इसमें रोल है। इसकी रिपोर्ट मैं आपको प्रस्तुत कर सकता हूं। पेयजल विभाग का जो हमारा जिम्मा है वह यह है कि जल स्रोतों के रख रखाव हेतु हम इन विभागों के माध्यम से योजना बना रहे हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, पेयजल विभाग का कार्य पेयजल आपूर्ति कराना है। हम किस तरह से पेयजल की आपूर्ति इस प्रदेश में कर सकते हैं। क्या हम छोटी–छोटी नदियों में झील

बनाकर, बांध बनाकर पेयजल की आपूर्ति कर सकते हैं ? इस विषय पर पेयजल विभाग को सोचना चाहिए, चूंकि और विभागों को अन्य कार्य करने होते हैं। क्या इस तरह के कोई कार्यक्रम पेयजल विभाग करेगा ? चूंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब गर्मियां आएगी, हर जगह पर पानी की कमी होती है तब वैकल्पिक माध्यमों से पानी की आपूर्ति करायी जाती है। इसलिए इसमें कोई ठोस उपाय किये जाएं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, पेयजल विभाग पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है।

जनपद हरिद्वार में आई0सी0डी0एस0 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक भोजन न मिल पाने पर सरकार द्वारा कार्यवाही

*10–श्री यतीश्वरानन्द–

क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में आई0सी0डी0एस0 द्वारा जो पौष्टिक आहार बच्चों को वितरण के लिए भेजा जाता है उसको प्रत्येक माह न देकर 6–6 माह बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नहीं पहुँच पा रहा है ?

क्या सरकार इस घोर लापरवाही के विषय पर कोई कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद हरिद्वार में संचालित 11 बाल विकास परियोजनाओं में समय–समय पर जो पौष्टिक आहार बच्चों के वितरण के लिये प्राप्त होता है उसे तुरन्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को वितरण हेतु पहुँचाया जाता है।

बच्चों के पौष्टिक आहार वितरण में ऐसी कोई घोर लापरवाही प्रकाश में नहीं आयी है, जिससे कि कोई कार्रवाई की जा सकें।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री यतीश्वरानन्द जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीधे प्रश्न करें।

श्री माल चन्द–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में कितने हैण्ड पम्प हैं ? मैं यह केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो नया प्रश्न है, हैण्डपम्पों की संख्या कैसे बता देंगे, मंत्री जी।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत खटीमा में पेयजल समस्या के निदान हेतु कार्ययोजना

*11–श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खटीमा में पीने के पानी में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण स्थानीय जनता को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लागों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्थानीय जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है ?

यदि हाँ, तो कब तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खटीमा में पीने के पानी में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण दूषित पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। मा0 विधायक जी द्वारा दी गयी जानकारी को संज्ञान में लेते हुए हैण्डपम्प के पानी के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी को दिनांक 29.11.2012 को प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के पास मेरे प्रश्न का जो उत्तर विभाग द्वारा आया है, उसमें लिखा है कि "खटीमा में पीने के पानी में तेल की मात्रा अधिक होने के कारण दूषित पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।" मान्यवर, पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि लगातार मेरे पास भी बहुत सारी

शिकायतें आती हैं और आप स्वयं भी वहाँ जाते रहते हैं। माननीय यशपाल आर्य जी का भी पुराना क्षेत्र रहा है, अगर ये सफेद कपड़े उस पानी में डाल दिये जाएं तो पूरे के पूरे पीले हो जाएंगे। तो इसमें शिकायत न आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मान्यवर, दूसरी बात मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कही कि "हैण्डपम्प के पानी के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी भेजा गया है।" निश्चित रूप से इसमें जाँच करवाने जैसे कोई बात नहीं है। मान्यवर, चूँकि बहुत बड़े क्षेत्र में पानी की यह बहुत गंभीर समस्या है, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि खटीमा में जो इस प्रकार का पानी निकलता है और हमारे जल संस्थान के द्वारा जो पानी की आपूर्ति की जाती है, वह बहुत कम मात्रा में है, उसका प्रतिशत 30 से 40 ही होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी उस पूरे क्षेत्र में, चूँकि वह सीमान्त क्षेत्र भी है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी है, भूतपूर्व सैनिकों का भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था सुचारू हो जाए, ठीक तरह से जल संस्थान वहाँ पर कार्य करने लगे, पेयजल विभाग काम करने लगे, क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की गयी है या सरकार करने जा रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया, विभाग के द्वारा इसके उत्तर में जाँच के बाद जो सूचनाएं आयी, उसी के आधार पर विभागीय स्तर पर उस पानी का सैम्पल लिया गया और उस सैम्पल को हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी में प्रस्तुत किया। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की व्यवस्था है। एक तो पानी ग्रेविटी से आता है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं पाया गया। दूसरा, जो हैण्ड पम्प विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, उसमें भी यह चीज नहीं आयी है, पेयजल में जो रंग की बात आयी है, वह उसमें है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हैण्डपम्प लगाए हैं, उसके पानी में यह समस्या है। इसी के तहत विभाग ने उन सैम्पल को लेकर जाँच के लिए भेजा है। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि पेयजल की आपूर्ति कैसे की जाएगी, इसके लिए निश्चित रूप से आपके जो प्रस्ताव हमारे पास आये भी हैं, उसके अनुरूप सरकार योजना बना रही है और उस पर धन की स्वीकृति की जाएगी।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत पर्यटक स्थल पिण्डारी में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से कटौती कर पर्यटक आवास गृह कपकोट को धनराशि का आवंटन

*12–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर में पर्यटन स्थल पिण्डारी में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से कटौती कर पर्यटक आवास गृह कपकोट के निर्माण हेतु धनराशि क्यों आवंटित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस हेतु अलग से धनराशि स्वीकृत की जाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

वर्तमान में तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर में पर्यटक स्थल पिण्डारी में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से कटौती कर पर्यटक आवास गृह कपकोट के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित नहीं की जा रही है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ललित फर्स्वाण–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो कपकोट में पर्यटक आवास गृह बन रहा है, वह किस योजना से बन रहा है और कितनी धनराशि उसमें अवमुक्त हुई है? क्या पर्यटन स्थल पिण्डारी ग्लेशियर के लिए सरकार की कोई कार्य योजना बनी है ?

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि शासनादेश संख्या–CM–660/VI(1)/2012–5(4)/2010 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा प्रथम चरण के अधीन योजना हेतु रू0 17.69 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इस धनराशि से कपकोट में कार्य हेतु नाप भूमि क्रय की गयी तथा मानचित्र गठित कर निविदा आमंत्रित की गयी एवं प्रथम चरण का कार्य प्रारम्भ कराया गया। वर्तमान में स्थल विकास के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु पहाड़ का कटान कर भूमि समतल की जा चुकी है। द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु विस्तृत आगणन रू0 75.00 लाख शासन को प्रेषित किया गया था, जिस पर टी0ए0सी0 द्वारा कुछ आपत्तियाँ की गयी थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में पर्यटन विकास की नई योजनाओं में धनराशि का प्राविधान ना होने के कारण उक्त योजना पर स्वीकृति प्रदान नहीं हो सकी। प्रथम अनुपूरक मांग 2012–13 में नयी योजनाओं के अन्तर्गत रू0 1000.00 लाख की मांग शासन से की गयी है। जैसे ही प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशि प्राप्त हो जाएगी उक्त योजना पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। तब ये सारी योजना पूर्ण हो जाएगी।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, इसमें पिण्डारी ग्लेशियर के लिये क्या किया गया ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, इसमें उसको भी हमने भारत सरकार को भेज दिया है, जैसे ही इसकी संस्तुति आ जाएगी, यह कार्य भी प्रारम्भ करा दिया जाएगा।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत नीलकंठ मन्दिर व आसपास के गांवों की सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिये विशेष पैकेज देने पर विचार

*13–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के नीलकंठ मन्दिर में कितने यात्री हर वर्ष दर्शनार्थ आते हैं ?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि आने वाले यात्रियों के कारण यहां पर व आस पास के गाँवों में बहुत अधिक गन्दगी होती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नीलकंठ मन्दिर व आसपास के गाँवों की सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

नीलकंठ मन्दिर में वर्ष 2010 में 3,68,965, वर्ष 2011 में 3,32,669 , तथा वर्ष 2012 (अक्टूबर तक) में 2,54,134 यात्री आए।

जी हाँ।

मन्दिर परिसर की स्वच्छता की व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जाती है और गाँवों की स्वच्छता ग्राम पंचायतों द्वारा की जाती है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर पर्यटन विभाग द्वारा यथोचित सहयोग दिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि नीलकंठ में जो प्रतिवर्ष यात्री आते हैं, उनके पंजीकरण की शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है ? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2010 में 3 लाख 68 हजार 965 यात्री आये और 2011 तथा 12 में इतने आये तो इनके पंजीकरण की क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, जो भी यात्री अपने प्रदेश में आता है, तो प्रदेश की सीमा पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर पता चलता है कि हमारे प्रदेश में कितने यात्री पहुंचे हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैंने नीलकंठ मन्दिर के बारे में पूछा है, मेरा अनुमान है कि जो संख्या माननीय मंत्री जी ने बताई है, उससे दुगुने या तिगुने यात्री वहां पर आते हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, नीलकंठ भी तो उत्तराखण्ड में ही है, (व्यवधान) मन्दिर कमेटी ही इसे करेगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, नीलकंठ मन्दिर में पंजीकरण की क्या व्यवस्था है, वहां पर लाखों लोग आते हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, नीलकंठ मन्दिर में जो भी धर्मार्थी आएगा, तो वह किसी होटल या धर्मशाला में ठहरेगा, तो जो उसके रजिस्टर में चढ़ा रहता है, उसके द्वारा भी संख्या का पता लग जाता है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि नीलकंठ मन्दिर में यात्रियों की संख्या जानने के लिये पर्यटन विभाग ने क्या व्यवस्था की है, क्या वहां पर पंजीकरण की कोई सटीक व्यवस्था है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, अभी तक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न पिछली सरकार द्वारा की गई थी, न इस सरकार ने की है, लेकिन आगे इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, किस तरह की व्यवस्था की जाएगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, अन्य मन्दिरों की व्यवस्था को देख लिया जाएगा कि वह कैसे पंजीकृत करते हैं, उसी आधार पर नीलकंठ में भी पंजीकरण कराया जाएगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

मान्यवर, इस मन्दिर में जो स्वच्छता की व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर 10 से 12 लाख लोग प्रतिवर्ष आते हैं और शासन के द्वारा वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव में सफाई की जाती है, लेकिन ग्राम पंचायत में सफाई के लिये कोई बजट नहीं होता है। तो क्या इसके लिये पर्यटन विभाग अतिरिक्त बजट ग्राम पंचायत को देता है या मंदिर समिति को देता है ?

श्रीमती अमृता रावत—

मान्यवर, किसी भी मन्दिर की सफाई के लिये अतिरिक्त बजट नहीं दिया जाता है, फिर भी हमने अपने जवाब में यह कहा है कि यदि कोई प्रस्ताव हमें प्राप्त होता है तो प्रस्ताव प्राप्त होने पर पर्यटन विभाग द्वारा यथोचित सहयोग दिया जाएगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

मान्यवर, कानून व्यवस्था के लिये सरकार और व्यवस्था करेगी या अतिरिक्त मद देगी ?

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, कानून व्यवस्था को गृह विभाग देखता है और उसके लिए अलग से कोई मद नहीं दी जाती है।

श्रीमती अमृता रावत—

मान्यवर, गृह विभाग के द्वारा व्यवस्था की जाती है। (व्यवधान) पुलिस विभाग के द्वारा वहां पर सारी व्यवस्था की जाती है। आपने कहा कि मंदिर परिसर में गंदगी रहती है, तो मंदिर समिति के द्वारा सफाई की जाती है, क्योंकि मंदिर में बहुत सा चढ़ावा आता है। उस चढ़ावे की इनकम से वहां पर सफाई की जाती है। जिला पंचायत की तरफ से जो इनकम होती है उससे भी 10 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

मान्यवर, नीलकंठ जाने के लिए बहुत सारे यात्री जाते हैं और गंगा किनारे के जो मार्ग हैं, क्या पर्यटन विभाग उन मार्गों पर यात्रियों के स्नान के लिए घाट बनाएगा, क्योंकि हर साल उसमें बहुत सारे लोग डूब जाते हैं बिना घाट के।

श्रीमती अमृता रावत—

मान्यवर, आप प्रस्ताव दे दीजिए, आर्थिक संसाधन होने पर वहां पर घाट का निर्माण करा दिया जाएगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा छोटा सा सवाल है। माननीय मंत्री जी ने यह संख्या नीलकंठ मंदिर में 2010 में 03 लाख 68 हजार 965, वर्ष 2011 में 03 लाख 32 हजार 669, वर्ष 2012 में अक्टूबर तक 02 लाख 54 हजार 134 बतायी तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि ये लगातार संख्या क्यों गिर रही है और दूसरा क्या इस यात्री संख्या में, जो हर वर्ष हमारे इस नीलकंठ मंदिर, पूरे विश्व का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है, तो वहां जो कांवड़िये आते हैं, वो संख्या इसमें समाहित है ? तीसरा मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या कांवड़ मेला, जो वहाँ पर लगता है, को अधिसूचित करने पर सरकार विचार कर रही है ? ताकि रास्ते की सफाई आदि उसमें शामिल हो सकें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, प्रस्ताव देंगे तो निश्चित रूप से (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने तीन सवाल किये। एक तो यह संख्या क्यों गिर रही है लगातार ? क्या इस पर सरकार ने कोई विचार किया एक, दूसरा मैंने कहा कि जो कांवड़िये हैं (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, संख्या पिछली सरकार में गिरी है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो हमारे साथी विधायक माननीय प्रेमचन्द अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया है, बहुत गम्भीर प्रश्न उठाया है। आपने कहा कि उसकी संख्या घट रही है, यह 2010 और 2011 का है और वर्तमान वित्तीय वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है यह ग्राफ निश्चित रूप से खेद का विषय है। पिछली सरकार ने इसमें कोई व्यवस्था नहीं की थी। निश्चित रूप से सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि संख्या बढ़े, इसके लिए सरकार समुचित व्यवस्था करेगी।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि जो संख्या गिर रही है लगातार, उस पर सरकार क्या विचार कर रही है एक, दूसरा माननीय मंत्री जी पहले पूरा विषय समझ लीजिए आप। दूसरा मेरा जो प्रश्न था कि इस संख्या में क्या जो कांवड़िये आते हैं, वो भी समाहित हैं? और तीसरा मेरा सवाल यह था कि जो लाखों की संख्या में कांवड़िये नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, ऐसी स्थिति में क्या सरकार उस कांवड़ मेले को अधिसूचित मेला घोषित करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को बताना चाहती हूँ कि जो आपने कांवड़ियों की संख्या बतायी है, जो भी राज्य में तीर्थयात्री आते हैं, वो केवल जो रात में ठहरते हैं, उसकी संख्या ली जाती है, जो दिन में आए और दर्शन करके चले गये, वो संख्या इसमें काउंट नहीं होती है। अधिकतर कांवड़ियों में जो होते हैं वह पानी लेने के लिए आते हैं और चढ़ा कर चले जाते हैं। इसलिए उन डे वालों की संख्या इसमें काउन्ट नहीं की जाती है। वर्ष 2010 और 2011 में अधिक संख्या में यात्री आए और जो संख्या दी गई है तो उस वर्ष हरिद्वार में कुम्भ था और कुम्भ के होने के कारण लाखों लाख यात्री अधिक आए और जो हरिद्वार आता है वह ऋषिकेश और नीलकण्ठ के दर्शन करने के लिए 99 प्रतिशत जरूर जाता है। जो वर्ष 2010 में संख्या ज्यादा देख रहे हैं, उसका मेन कारण कुम्भ था।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि वर्ष 2010 में कुम्भ था, मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें गिरावट क्यों आ रही है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, गिरावट नहीं आई है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने सीधा सवाल किया कि कांवड़िये रात को कहाँ रुकते हैं ? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहाँ लाखों में कांवड़िये आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, कावड़िये केवल दिन में आते और दर्शन करके चले जाते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, वहाँ जगह भी नहीं मिलती है, लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। इसका जवाब माँग रहा हूँ, क्या वह समाहित हैं ? क्या तीन लाख कांवड़िये पूरे साल भर में आये ? (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, वह डे में आते हैं, रात को वहाँ नही रुकते हैं।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, इसका मतलब आपको पता नहीं है, लाखों की संख्या में वहाँ पर यात्री आते हैं। आप तो हरिद्वार में रहती हैं जरा ऋषिकेश में आकर देखिये। उनकी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है तो वह दुखी होते हैं। वहाँ पर पूरे देश से यात्री आते हैं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, एक साधारण सा प्रश्न है कि जो लाखों की संख्या में वहाँ पर कांवड़िये आते हैं। क्या उनके लिए सरकार रुकने की व्यवस्था करेगी ? हाँ या ना में उत्तर आ जाना चाहिए।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहीं पूछा ही नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न में भी आपने कहा कि उनके लिए कोई पुख्ता इंतजाम करेगी और उनकी संख्या का आकलन करेगी।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तो रुकने के बारे में प्रश्न किया ही नहीं।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मैं अपना प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूँ। मान्यवर, जो आपने संख्या बताई नीलकण्ठ मंदिर में, वर्ष 2010 में बताया कि 3 लाख 68 हजार 965, 2011 में 3 लाख 32 हजार 669 तथा 2012 में अक्टूबर तक 2 लाख 54 हजार 134 यात्री आये। मेरा आपसे सवाल है कि 2010 में 3 लाख 68 हजार 965 उसके बाद 2011 में संख्या घटी है, उसके बाद 2012 में 2 लाख 54 हजार आया। जो ये संख्या गिर रही है, इस पर क्या सरकार विचार कर रही है कि यह संख्या क्यों गिर रही है ? दूसरा मेरा सवाल यह था कि लाखों की संख्या में, मैं फिर हकीकत से सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि लाखों की संख्या में हर वर्ष नीलकण्ठ में जलाभिषेक के लिए कांवड़िये सावन के महीने में विशेषकर आते हैं। उनकी संख्या लाखों में होती है और वह रात को रुकते हैं, कई बार तो ऋषिकेश तक लाइन लग जाती है। उनके रात को रुकने की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो आपने संख्या बताई क्या वह उसमें जुड़ी है ? तीसरा क्या सरकार इस कांवड़ मेले को अधिसूचित मेला घोषित करने पर विचार कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, अगर सम्मानित सदस्य के पास कोई ऐसा सुझाव है कि वह इसमें बढ़ोतरी करने में सफल हो सकते हैं, तो वह दे दें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत निर्माणाधीन भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु अवमुक्त धनराशि व उक्त योजना को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का विचार

*14–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत निर्माणाधीन भैरवगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना कब से बन रही है? तथा इस योजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई एवं अब तक इसमें कुल कितना धन खर्च कर दिया गया है ?

क्या सरकार उपरोक्त योजना को इस वित्तीय वर्ष में पूरा करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना माह फरवरी, 2009 से निर्माणाधीन है। योजना रू 2289.20 लाख की स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक रू 876.86 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं। योजना पर रू 507.81 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

जी नहीं।

वृहद पम्पिंग योजना होने के कारण इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत भीमताल में अधूरी सीवर लाइन के विस्तार हेतु ठोस कार्ययोजना

*15–श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल नगरीय क्षेत्र में अधूरी सीवर लाइन के विस्तार हेतु क्या सरकार कोई ठोस कदम उठाने जा रही है ?

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या–13 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

यदि, हाँ तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल के अनुरोध पर भीमताल नगर में सीवर लाइन से वंचित बस्तियों हेतु 10 किलोमीटर ब्रान्च एवं मेन सीवर लाइन बिछाने का प्राविधान करते हुए भीमताल जलोत्सारण (सीवरेज) योजना का प्रारम्भिक प्राक्कलन अनुमानित लागत रू 320.00 लाख, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत विरचित कर नैनीताल झील विकास प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं, उठता।

राज्य में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर आय के स्रोत बढ़ाने हेतु सरकार की कार्ययोजना

*16–श्री मदन कौशिक–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने एवं पर्यटकों से होने वाली आमदनी से राज्य में आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना तैयार की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विभाग प्रयासरत है। विभाग द्वारा देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधार्थ विभिन्न स्थलों पर रोप–वे परियोजनायें, भारत सरकार के सहयोग से मेगा सर्किट, सर्किट एवं डेस्टिनेशन तथा ए0डी0बी0 के माध्यम से, 13वें वित्त आयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित करवायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त टिहरी में एडवेन्चर स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की जा रही है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड जल संस्थान व पेयजल निगम का एकीकरण

*17–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड जल संस्थान व उत्तराखण्ड पेयजल निगम के एकीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक एकीकरण किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एकीकरण की आवश्यकता/औचित्य न होने के कारण।

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत जयहरीखाल में स्वीकृत गुजरखण्ड पेयजल पंम्पिग योजना की कार्य प्रगति व पेयजल आपूर्ति की सुनिश्चितता

*18–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत जयहरीखाल विकास खण्ड में गुजरखण्ड पेयजल पम्पिंग योजना स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो उक्त कार्य की प्रगति क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना का कार्य अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

क्या उक्त योजना को शीघ्रपूर्ण करवाकर जनता को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वजल परियोजना द्वारा गुजरखण्ड हेतु गुरुत्व आधारित पेयजल योजना बना दी गयी है।

जनपद पिथौरागढ़ में 75 करोड़ की पेयजल योजना की प्रगति व पेयजल योजना वित्त पोषण पर कार्यवाही

*19–श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पिथौरागढ़ के पेयजल योजना हेतु 75 करोड़ की कोई योजना प्रस्तावित की गयी थी ?

यदि हाँ, तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ?

यदि नहीं, तो सरकार पिथौरागढ़ वासियों हेतु पेयजल की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

पिथौरागढ़ नगर की पेयजल योजना हेतु घाट पम्पिंग योजना का पुनर्गठन रामेश्वरम नामक स्थान पर रामगंगा नदी से नई समानान्तर पेयजल योजना के निर्माण रू 75.70 करोड़ का प्रस्ताव एशियन डेवलपमेंट बैंक के ट्रांच–11 में किया गया था किन्तु एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उक्त योजना के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

पिथौरागढ़ नगर में पेयजल वृद्धि हेतु विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत राज्य सैक्टर से पेयजल योजना वित्त पोषित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत नाकुरी में मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक जल संस्थान को प्रेषित पत्रांक पर कार्यवाही व पेयजल लाइन बिछाये जाने का विचार

*20–श्री तीरथ सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत ग्राम नाकुरी में पेयजल हेतु नयी पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु ग्राम पंचायत नाकुरी के प्रधान द्वारा प्रेषित पत्र माननीय मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक जल संस्थान को प्रेषित पत्रांक संख्या जी0ई0/21688/XXXV–2/2011 (1) दिनांक 21 सितम्बर, 2011 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार उक्त क्षेत्र की समस्या को देखते हुए अविलम्ब नाकुरी पेयजल लाइन बिछाये जाने पर विचार करेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्राक्कलन गठित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

अतारांकित प्रश्न

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान व पलायन रोकने हेतु सरकार की नीति

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान हेतु कोई नीति निर्धारित कर रही है जिससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उनको पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराया जा सके ?

क्या सरकार महिलाओं की आजीविका में गुणात्मक सुधार में पलायन रोके जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो क्या और कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय महिलाओं के उत्थान हेतु प्रायोगिक तौर पर उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना का संचालन 13 जनपदों के 64 विकासखण्डों में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 31035 महिला लाभार्थियों के कार्यबोझ में कमी करते हुए उनके सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु विभिन्न गतिविधियां जैसे– मौन पालन, फल प्रसंस्करण ईकाई, दरी निर्माण, आदिभोग परियोजना, धूप अगरबत्ती निर्माण, टोकरी निर्माण यूनिट, इत्यादि आयसर्जक गतिविधियां संचालित की जा रही है।

योजना का लक्ष्य पर्वतीय महिलाओं के कार्यबोझ में स्थाई रूप से कमी एवं उनकी आजीविका स्तर में सुधार लाते हुए उन तक समग्र सशक्तिकरण की पहुँच सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत पर्वतीय महिलाओं के पलायन को रोकने के लिये, स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग कर लाभप्रद स्वरोजगार उपलब्ध कराकर गतिविधियों की स्थापना की गई है जो वर्तमान में संचालित है और अन्य विकासखण्डों में आगामी योजना का स्वरूप निर्माण प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के वि0स0 क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के रा0ई0 कालेजों में छात्र संख्या के अनुरूप विद्यालयों में भवनों की कमी को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही

2. श्री भीमलाल आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) में रा0इ0का0 नौल (बासर) भट्टगांव (गोनगढ़), किरेथ (केमर) केमर (केमर), धोपड़धार (गिलंग), पौखाल (कोठी फैगूल) ठेला (नैलचामी), मुयालगांव (नैलचामी) नागेश्वर सौड़ (आरगढ़), पढ़ागली (कोठी फैगूल) घुमेटीधार (कोठी फैगूल) में विद्यालय भवन छात्र संख्या के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विधान सभा क्षेत्र घनसाली में रा0ई0का0 ठेला (नैलचामी) एवं रा0ई0का0 पण्डियालधार (मुयालगांव) को छोड़कर वर्णित अन्य विद्यालयों में छात्र संख्या अनुरूप कक्षा–कक्ष अपर्याप्त हैं।

कक्षा–कक्षों हेतु भूमि/वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी अन्तर्गत कोठाडू पेयजल (गोनगढ) योजना के निर्माण में व्यय धनराशि की जाँच हेतु कमेटी गठित करने की मांग

3. श्री भीमलाल आर्य–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत कोठाडू पेयजल (गोनगढ) योजना के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

क्या उक्त योजना धरातल पर है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार पेयजल योजना की उच्च स्तरीय जांच हेतु कमेटी को गठित करेगी ?

यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत कोठाडू (गोनगढ) पेयजल योजना अनुमानित लागत रू 72.93 लाख के विरुद्ध रू 68.80 लाख की धनराशि खर्च हुई है।

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कोठाडू (गोनगढ) पेयजल योजना के अन्तर्गत माह जून, 2011 में समस्त कार्य पूर्ण कर सम्मिलित सभी बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु वर्ष 2011 की अतिवृष्टि में योजना दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हो गयी थी। योजना की आवश्यक मरम्मत कर अस्थाई रूप से जलापूर्ति चालू कर दी गयी है तथा वर्तमान में योजना में आंशिक जलापूर्ति की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.09.2012 द्वारा रू 4.32 लाख का प्रस्ताव जिलाधिकारी, टिहरी को प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त योजना की मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से चालू कर दी जाएगी।

जनपद टिहरी के घनसाली अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण

4. श्री भीमलाल आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 जसपुर धारी (आरगढ़) रगढ़ी (आरगढ़), तलेवन (बासर) केपार्स (बासर) गोना (गोनगढ़) का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण तथा रा0जू0हा0 पिनस्वाड़ (थातीकठूड़) गेंवाली (थातीकठूड़) जसपुर धारी (आरगढ़) ढालगांव (बासर) थानी (बासर) सौंप (गोनगढ़) देवलेश्वर (आरगढ़) लस्यालगांव (बासर) का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मात्र रा0उ0मा0वि0 केपार्स को छोड़कर अन्य प्रश्नगत विद्यालयों के उच्चीकरण के प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं।

रा0उ0मा0वि0 केपार्स के उच्चीकरण के सम्बन्ध में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 अन्तर्गत अलग–अलग विषयों के अनुरूप अध्यापकों की व्यवस्था

5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों में गणित, विज्ञान, समाजिक विज्ञान एवं भाषा विषय के लिये अलग–अलग अध्यापक होने चाहिये ?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के सभी विद्यालयों में उक्त विषयों के लिये अलग–अलग अध्यापक होने चाहिये ?

यदि नहीं, तो कितने विद्यालयों में कमी है ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अलग–अलग विषयों के लिये अलग–अलग अध्यापकों की व्यवस्था करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। मात्र जूनियर हाईस्कूल स्तर पर।

जी नहीं।

विद्यालयवार संख्या आंगणित कराई जा रही है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के मानिला और नैथाना देवी पर्वत माला के सौन्दर्यीकरण और पर्यटकों की सुविधा हेतु कार्यवाही

6. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में मानिला और द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के नैथाना देवी पर्वत माला को उत्तराखण्ड के पर्यटक स्थलों में सम्मिलित किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इनके सौन्दर्यीकरण और पर्यटकों की सुविधा के लिये यहां कोई कार्य करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से लेसर नान सर्किट के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से कुमाऊं मण्डल विकास निगम के माध्यम से मानिला में जन सुविधाओं का विकास, मंदिर परिसर का सौन्दर्यीकरण, साईनेज, व्यू प्वाइंट आदि का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पेयजल निगम, जल संस्थान एवं स्वैप द्वारा अलग–अलग गांवों में निर्माणाधीन योजनाओं के रख–रखाव से सम्बन्धित विभाग

7. डा0 जीतराम–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पेयजल निगम, जल संस्थान एवं स्वैप द्वारा अलग–अलग गांवों में निर्माणाधीन योजनाओं का रख–रखाव कौन से विभाग द्वारा किया जाता है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार प्रदेश में स्वैप पद्धति के अन्तर्गत तीनों कार्यदायी संस्थाओं (पेयजल निगम, जल संस्थान एवं स्वजल परियोजना) द्वारा निर्मित एकल ग्राम की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव सम्बन्धित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जाता है। बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित स्रोत से मुख्य जलाशय तक के कार्यों का रख–रखाव उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सम्मिलित ग्रामों की जल वितरण लाइनों का रख–रखाव का कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जाता है। स्वजल परियोजना के अन्तर्गत योजना का निर्माण होने तक योजना का बीमा भी किया जाता है, जिससे दैवीय आपदा जैसी विपत्ति आने पर योजना को अधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

प्रदेश में सन् 2013 में आयोजित नन्दा देवी महा राजजात (सचल कुम्भ) हेतु कार्यवाही व बजट

8. डा0 जीतराम–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में प्रसिद्ध धार्मिक नन्दा देवी राजपात (सचल कुम्भ) के रूप में यात्रा का सन् 2013 में आयोजन होना है ?

यदि हाँ, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा इसके आयोजन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इस हेतु कितने बजट की व्यवस्था की जा रही है ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 में नन्दादेवी राजजात–2013 के सफल आयोजन हेतु "नौटी–कंस्वा–चांदपुरगढ़ी–सेम हेरीटेज एवं इको टूरिज्म सर्किट", "कुरूड़–नन्द कोरी–वाण/वन–बेदनी झील हैरीटेज एवं ईको टूरिज्म सर्किट" एवं "मार्गीय सुविधाओं के विकास" हेतु रू0 08–08 करोड़ की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस पर शीघ्र ही भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने वाली है। धनराशि स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे। इसके अन्तर्गत मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, चमोली द्वारा भी सड़कों के सुधार ऊर्जा से सम्बन्धित कार्य, पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों हेतु प्रस्ताव दिया गया था जिसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र धनसाली अन्तर्गत ताल, ग्लेशियर, बुग्याल व पौराणिक सिद्ध स्थानों को पर्यटन विकास के तहत विकसित करने हेतु कार्य योजना

9. श्री भीमलाल आर्य–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनसाली (टिहरी गढ़वाल) चार धाम यात्रा व तीर्थाटन/पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सहस्त्रताल, महासर ताल, खतलिंग ग्लेशियर, पांवली कांठा, क्याकरी बुग्याल, जैसे ताल बुग्याल व पौराणिक सिद्ध बूढ़ाकेदारनाथ, ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, बेलेश्वर महादेव, मानिकानाथ के समुचित विकास की कार्य योजना तैयार कर विकास कार्य प्रारम्भ कराएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

पर्यटन विभाग द्वारा मासरताल को पर्यटन विकास के तहत विकसित करने हेतु हिन्दाव से मासरताल तक पैदल मार्ग के सुधारीकरण के लिए वर्ष 2001–02 में रू0 9.68 लाख की धनराशि, घुत्तू–खतलिंग ग्लेशियर ट्रैक मार्ग का सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2002–03 में रू0 3.50 लाख की धनराशि, अखनीगाड़ से मासरताल तक पैदल मार्ग का निर्माण हेतु वर्ष 2002–03 में रू0 2.39 लाख की धनराशि, बूढ़ाकेदार–मासरताल पैदल मार्ग में मैतकीधार तक हवा बैन्चों के निर्माण हेतु वर्ष 2004–05 में रू0 4.00 लाख की धनराशि, बूढ़ाकेदार–मासरताल ट्रेक रूट के सुधारीकरण हेतु वर्ष 2006–07 में रू0 8.76 लाख की धनराशि तथा विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम विनयखाल में माँ ज्वालामुखी देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2002–03 में रू0 0.84 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था टिहरी वन प्रभाग को उपलब्ध करायी गयी।

राजेश्वरी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2002–03 में रू0 1.00 लाख की धनराशि, विकासखण्ड भिलंगना के अन्तर्गत ग्राम श्रीकोट में बेलेश्वर महादेव मन्दिर सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2005–06 में रू0 3.65 लाख की धनराशि, मणिकनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण/मार्ग सुधार हेतु वर्ष 2007–08 में रू0 1.60 लाख की धनराशि, बूढ़ाकेदार मन्दिर में गेट/बैंच रोड निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में रू0 5.00 लाख की धनराशि एवं बूढ़ाकेदार सौन्दर्यीकरण हेतु वर्ष 2010–11 में रू0 5.00 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ईकाई टिहरी गढ़वाल को उपलब्ध करायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता अन्तर्गत उ0मा0 विद्यालय बलखेड़ा, एंचता बीहीं एवं चारूबेटा का उच्चीकरण।

10. श्री प्रेम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 69 नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उ0 मा0 विद्यालय बलखेड़ा, एंचता बीहीं एवं चारूबेटा तीनों विद्यालय जनजाति एवं पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र में हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों का उच्चीकरण करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

मानकानुसार प्रस्ताव तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर विचार किया जाएगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड हवालबाग, ताड़ीखेत को पेयजल हेतु देवलीखान गांव समूह पम्पिंग योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

11. श्री अजय टम्टा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकास खण्ड हवालबाग, ताड़ीखेत, विकासखण्ड को पेयजल उपलब्ध करने हेतु देवलीखान गांव समूह पम्पिंग योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति किन कारणों से नहीं हो रही है ?

क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति यथाशीघ्र जारी करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत देवलीखान ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना का प्राक्कलन अनुमानित लागत रू 1514.47 लाख का प्राप्त हुआ। प्राक्कलन के परीक्षणोपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को कतिपय कमियों को दूर करते हुए नये प्रचलित शेड्यूल आफ रेट की दरों पर पुनः विरचित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

योजना का प्राक्कलन प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत सोमेश्वर के विकासखण्ड हवालबाग, ताड़ीखेत, ताकुला, द्वाराहाट में पेयजल समस्या का निदान

12. श्री अजय टम्टा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड हवालबाग, ताड़ीखेत, ताकुला, द्वाराहाट, गांव सभाओं में पेयजल की कमी ठीक कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के विकासखण्ड हवालबाग, ताड़ीखेत, ताकुला, द्वाराहाट की ग्राम सभाओं में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए कुल 46 पेयजल योजनाएं तैयार की गयी हैं, जिनमें से 26 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा 20 योजनायें निर्माणाधीन हैं।

निर्माणाधीन योजनायें 2014 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के जल निगम नौला डिविजन में अधिकारियों/कर्मचारियों की मानकों के अनुरूप नियुक्तियाँ।

13. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के जल निगम नौला डिविजन में लम्बे समय से अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण

योजनायें वर्षों से लम्बित पड़ी हैं तथा इस कमी को दूर करने के स्थान पर कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण वहां से अन्यत्र कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नौला डिविजन को बन्द करने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां मानकों के अनुरूप अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा वर्ष 2012 के स्थानान्तरण सत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, (नौला) गिकियासैंण से मात्र एक सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण किया गया है। वर्तमान में अपर सहायक अभियन्ता की पदोन्नति सहायक अभियन्ता के पद पर करते हुए उक्त कार्यालय में तैनाती की गयी है। उक्त शाखा से किसी भी कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त एक संगणक तथा एक प्रवर सहायक का स्थानान्तरण किया गया है, जिनके स्थान पर अन्य कार्यालय के कार्मिकों की तैनाती सन्दर्भित शाखा में की गयी है।

जी नहीं।

जी हाँ।

पेयजल निगम में कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है, नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही उक्त शाखा में मानकानुसार अभियन्ताओं की नियुक्ति अतिशीघ्र कर दी जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत सोमेश्वर में सौलोज इन्टर कॉलेज का प्रान्तीयकरण

14. श्री अजय टम्टा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में सौलोज इन्टर कालेज का प्रान्तीयकरण सरकार कब तक करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार, बढ़ते हुए राजस्व घाटे के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त विद्यालय का प्रान्तीयकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जड़ी बूटी शोध संस्थान के तहत नियुक्त बी0पी0एल0 मास्टर ट्रेनरों को नियमित मानदेय

15. श्री अजय टम्टा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जड़ी बूटी शोध संस्थान के तहत नियुक्त बी0पी0एल मास्टर ट्रेनरों को नियमित मानदेय मिल रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मार्च 2012 से जुलाई 2012 तक पेयजल समस्या को दूर करने हेतु साधनों की संख्या व जनपद अल्मोड़ा नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों द्वारा पानी ढुलाई पर व्यय

16. श्री अजय टम्टा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च 2012 से जुलाई 2012 तक प्रदेश में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु किन–किन साधनों का उपयोग किया गया और उसमें कितना व्यय किया गया ?

क्या मंत्री जी बताएंगे कि जनपद अल्मोड़ा में नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकरों में पानी ढुलाई में कितना व्यय किया गया है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ग्रीष्म ऋतु में जल स्रोतों के स्राव में कमी होने के कारण पेयजल संकट से ग्रस्त कुल 906 बसावटों/मोहल्लों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिस पर ` 260.57 लाख व्यय हुआ।

जनपद अल्मोड़ा के पेयजल समस्या से ग्रस्त 193 बसावटों/मोहल्लों में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की गयी, जिस पर कुल ` 18.92 लाख व्यय हुआ।

जनपद चमोली में पर्यटन स्थल औली बेदनी बुग्याल को वाण गांव रोपवे से जोड़ने पर सरकार का विचार

17. डा0 जीतराम–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में पर्यटन की दृष्टि से अति सुरम्य स्थल औली बेदनी बुग्याल को सरकार वाण गांव रोपवे से जोड़ने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षकों की संख्या व प्रतिनियुक्ति समाप्त करने पर विचार

18. श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के कितने शिक्षक अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं ?

एवं किन–किन विभागों में कौन–कौन से शिक्षक तैनात हैं ?

क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। शिक्षा विभाग के 35 शिक्षक अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं।

l ph l g Xu g} †

नियत समयावधि पूर्ण होने पर।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत लोहाघाट में हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों व विषयों के सापेक्ष अध्यापकों की रिक्तियों की संख्या तथा रिक्त पदों पर तैनाती

19. श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में कितने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज हैं ?

† (देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ संख्या 148–150 पर)

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त कालेजों में किन–किन विषयों के अध्यापक नहीं हैं ?

क्या सरकार अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में 23 राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज तथा 26 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं।

उक्त विद्यालयों में प्रवक्ता एवं स0अ0एल0टी0 वेतनक्रम की रिक्तियां निम्नवत् हैं

प्रवक्ता		स0अ0 एल0टी0	
विषय	रिक्त पदों की सं0	विषय	रिक्त पदों की सं0
हिन्दी	08	हिन्दी	09
अंग्रेजी	05	अंग्रजी	05
संस्कृत	05	गणित	16
भौतिक विज्ञान	15	विज्ञान	06
रसायन विज्ञान	10	सामान्य	15
गणित	08	कला	15
जीव विज्ञान	12	व्यायाम	27
नागरिक शास्त्र	05	संस्कृत	05
अर्थशास्त्र	08	वाणिज्य	01
इतिहास	01	गृह विज्ञान	01
भूगोल	09		
मनोविज्ञान	01		
गृह विज्ञान	04		
कुल	91		100

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत लोहाघाट में भवनहीन विद्यालयों में मुख्य भवन बनाने पर विचार

20. श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में वर्तमान में कितने विद्यालयों में मुख्य भवन नहीं है ?

क्या सरकार भवनहीन विद्यालयों के मुख्य भवन बनाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 55 राजकीय विद्यालयों में मुख्य भवन नहीं हैं।

भूमि/वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उत्तराखण्ड राज्य बनने से वर्तमान तक पेयजल विभाग में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नियुक्तियां तथा मृतक कर्मचारियों का पदवार विवरण

21. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त वर्तमान तक मृतक आश्रितों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु वर्षवार कितने–कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने आवेदकों को नियुक्ति प्रदान की गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मृतक कर्मचारी किन–किन पदों पर थे तथा क्या सरकार तत्सम्बन्धित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त से वर्तमान तक पेयजल विभाग में मृतक आश्रितों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष नियुक्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत है:–

वर्ष	नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र		प्रदान की गयी नियुक्ति	
	संस्थान	पेयजल निगम	संस्थान	पेयजल निगम
2000	02	05	01	05
2001	15	15	10	15
2002	20	18	14	17
2003	20	15	23	16
2004	22	23	16	21
2005	31	14	29	16
2006	29	25	30	24
2007	26	17	17	17
2008	38	19	40	17
2009	30	17	33	18
2010	29	18	34	15
2011	18	19	21	8
2012	22	18	19	6
योग–	302	223	287	195

जी हाँ।

जल संस्थान एवं पेयजल निगम के अन्तर्गत मृतक कर्मचारियों का पदवार विवरण संलग्नक–01 पर संलग्न है। †

† (देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ संख्या 151–153 पर)

प्रदेश में प्रशिक्षित बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों को सहा0 अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती/नियुक्ति हेतु कार्यवाही

22. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य में प्रशिक्षित बी0टी0सी0 अभ्यर्थी सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति समायोजन चाहने हेतु महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं ?

यदि हाँ, तो बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों की मांगों को पूरा करने की दिशा में अब तक की गयी कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त प्रशिक्षित बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती/नियुक्ति प्रदान की जाएगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 के अधीन जनपदों में बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 घनश्याम खंतवाल उ0मा0 विद्यालय असनखेत को वित्त पोषण

23. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी स्व0 घनश्याम खंतवाल उ0मा0वि0 असनखेत को वित्त पोषित किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन)अधिनियम, 2011 के अनुसार, बढ़ते हुए राजस्व घाटे के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त विद्यालय को वित्त पोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र स्थित आदर्शनगर रा0इं0 कॉलेज का उच्चीकरण

24. श्री यतीश्वरानन्द–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टिहरी विस्थापित क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए साइकिल एवं डग्गामार बसों से 10–15 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार आदर्श नगर टिहरी विस्थापित क्षेत्र में राजकीय इंटर कालेज का उच्चीकरण करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार में ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वित्त विहीन मान्यता प्राप्त स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराये जाने पर कार्यवाही

25. श्री यतीश्वरानन्द–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुंवर प्रभा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालढांग, कैप्टन गंगा सिंह रावत पब्लिक स्कूल लालढांग, आदर्श इण्टर कालेज श्यामपुर, मा0 ख्याली राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर, मा0 विद्या देवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल कटारपुर में कक्षा 6 से 8 तक पांच माह बीत जाने के बाद भी गणित, संस्कृत, विज्ञान, एवं पर्यावरण विषयों की पुस्तकें वित्तविहीन स्कूलों को निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय नीति में वित्त विहीन मान्यता प्राप्त स्कूलों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान नहीं है।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत गुरुद्वारा साहिब, नानकसागर बांध को ऐतिहासिक पर्यटक स्थल घोषित करने पर विचार

26. श्री प्रेम सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उधमसिंहनगर के नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरुद्वारा साहिब, नानकसागर बांध को ऐतिहासिक पर्यटक स्थल घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक घोषणा कर दी जाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को उपलब्ध कराई गई वर्दी से हो रही त्वचा सम्बन्धी रोग से पीड़ित होने की जाँच पर कार्यवाही

27. श्री यतीश्वरानन्द–

क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दी का कपड़ा निम्न स्तर का होने से कुछ कार्यकत्री एवं सहायिकाएं त्वचा रोग से पीड़ित हो गई ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस घोर लापरवाही की जांच हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद हरिद्वार में संचालित 11 बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी कार्यकत्री/सहायिकाओं में से साड़ी/वर्दी के प्रयोग करने पर त्वचा रोग से पीड़ित होने की शिकायत किसी ने भी वर्तमान समय तक लिखित या मौखिक रूप से नहीं की है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की परिन्दा, रणचूला, जैगांव, उच्चाकोट, फल्दाकोट, आदि गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति

28. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में जल संस्थान में कर्मचारियों की काफी कमी के कारण अधिकतर पेयजल लाइनें बन्द हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की परिन्दा, रणचूला, जैगांव, उच्चाकोट, फल्दाकोट आदि पेयजल योजना से लाभान्वित उक्त गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारू करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति कराएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति प्रतिबन्धित है। अतः जहाँ कमी है वहाँ आवश्यकतानुसार योजनाओं के अनुरक्षण हेतु ऑउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत जनता इ0 कालेज कांडाखाल (लंगूर) में इन्टर कक्षाओं के लिए प्रवक्ताओं के पद का सृजन

29. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में मान्यता होने पर भी पद सृजित न होने से शिक्षकों की कमी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनता इण्टर कालेज कांडाखाल (लंगूर) पौड़ी गढ़वाल के इन्टर कक्षाओं हेतु प्रवक्ताओं के पद सृजित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

अशासकीय असहायता प्राप्त विद्यालयों में पद सृजन नहीं किये जाते हैं।

जनता इण्टर कालेज काण्डाखाल, लंगूर पौड़ी गढ़वाल अशासकीय असहायता प्राप्त विद्यालय है। अतः पद सृजन का प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा जिलेवार उद्यानपतियों को दी गई प्रोत्साहन धनराशि का विवरण

30. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या उद्यान मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में कुल कितने नये उद्योगपतियों को बागवानी के लिए प्रोत्साहन धनराशि दी गई तथा उसका जिलेवार विवरण क्या है ?

क्या सरकार व्यक्तिगत उद्यान हेतु सुरक्षाबांड के लिए धन उपलब्ध कराएगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जिलेवार उद्यानपतियों को दी गई प्रोत्साहन धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	उद्यानपतियों की सं0	कुल प्रोत्साहन धनराशि (लाख रू0 में)
1.	ऊधमसिंहनगर	138	18.47
2.	नैनीताल	335	41.80
3.	अल्मोड़ा	361	49.71
4.	बागेश्वर	271	32.42

5.	पिथौरागढ़	1224	63.49
6.	चम्पावत	204	12.60
7.	हरिद्वार	475	126.44
8.	देहरादून	345	95.89
9.	टिहरी	828	58.59
10.	पौड़ी	1158	31.31
11.	उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार	469	22.69
12.	चमोली	847	106.95
13.	रुद्रप्रयाग	797	61.36
14.	उत्तरकाशी	437	90.88
	योग	7889	812.60

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत मल्ला दानपुर में तैनात शिक्षकों को प्रोन्नत कर शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान करने हेतु कार्यवाही

31. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के मल्ला दानपुर तहसील कपकोट में तैनात शिक्षकों को प्रोन्नति के बाद शहरी क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान की गई है ?

यदि हाँ, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी से आख्या प्राप्त की जा रही है। तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में समेकित शिक्षा के तहत विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु वर्ष 2011 में संदर्भ शिक्षकों की नियुक्ति व अन्य प्रदेशों की भांति उत्तराखण्ड राज्य में विभागीय तौर पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

32. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में समेकित शिक्षा के तहत विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु वर्ष 2011 में संदर्भ शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि अन्य प्रदेशों में इस प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति सीधे विभागीय तौर पर हुई है ?

क्या सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में भी विभागीय तौर पर नियुक्ति की जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

जी नहीं। योजनान्तर्गत तैनाती आउट सोर्सिंग से ही किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागेश्वर में अध्यापकों को आचार संहिता के दौरान आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिये जाने पर जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा जिला व अपर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व बेसिक के विरुद्ध प्रेषित जांच रिपोर्ट पर शासन की कार्यवाही

33. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2012 में जनपद बागेश्वर में अध्यापकों को आचार संहिता के दौरान आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा जिला शिक्षाधिकारी, अपर जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक व अपर जिला शिक्षाधिकारी बेसिक के विरुद्ध जांच कर जांच रिपोर्ट शासन को दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी अवगत हैं कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पुनः जांच करायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो जांच का औचित्य क्या है ?

यदि नहीं, तो जिलाधिकारी की जांच पर कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र।

जनपद बागेश्वर के गरुड़ में दि0 17 अप्रैल, 2011 को पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा इन्टर कॉलेज सिरकोट के प्रान्तीयकरण की घोषणा पर कार्यवाही

34. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड गरुड़ में 17 अप्रैल, 2011 को पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा इं0का0 सिरकोट का प्रान्तीयकरण करने की घोषणा की है ?

यदि हाँ, तो प्रान्तीयकरण कब तक किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011, के अनुसार, बढ़ते हुए राजस्व घाटे के दृष्टिगत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की संख्या व विभिन्न संवर्गों में सृजित पदों का विवरण

35. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संचालित हो रहे हैं तथा इनमें विभिन्न संवर्गों के कितने पद सृजित हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश में 13 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संचालित हैं। जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा में विभिन्न संवर्गों के निम्नानुसार पद सृजित हैं।

नियमित पदों का विवरण:–

क्र0 सं0	सृजित पद	प्रति विद्यालय	कुल
1.	प्राचार्य	01	07
2.	उप प्राचार्य	01	07
3.	प्रवक्ता / पी0जी0टी0	12	84
4.	सहायक अध्यापक / टी0जी0टी	20	140
5.	पी0टी0आई0	01	07
6.	कार्यालय अधीक्षक	01	07
7.	वरिष्ठ लिपिक / कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	07
8.	मैट्रन / केयर टेकर–	01	07

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर व्यवस्था की जाती है–

क्र0 सं0	सृजित पद	संख्या	कुल
1.	कनिष्ठ लिपिक	02	14
2.	कम्प्यूटर आपरेटर	01	07
3.	स्टोर कीपर	01	07
4.	चतुर्थ श्रेणी–	06	42

शासनादेश संख्या: 1171 / xxiv–3 / 12 / 03(01) 11 दिनांक: 24 सितम्बर, 2012 द्वारा राज्य के 05 जनपदों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा ऊधमसिंहनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों का नाम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय परिवर्तित करते हुए इन विद्यालयों का संचालन लोक निजी सहभागिता (P.P.P) के अन्तर्गत संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र यमकेश्वर स्थित तीर्थ स्थानों में गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

36. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा महाबगढ़, देवीडांडा, बालकुंवारी मन्दिर खण्ड, महादेव मन्दिर दाबड़, आदि तीर्थ स्थानों में निर्माण कार्य प्रारम्भ किए गए थे ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि इसमें प्रथम किस्त अवमुक्त कर दी थी ?

क्या विभाग उपरोक्त कार्यों का पूर्ण भुगतान अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तथा बजट प्राविधान उपलब्ध होने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त कर दी जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत पौड़ी, खिर्सू, लैंसडाउन पर्यटन सर्किट से चैलूसैंण, सिलोगी, देवीखेत को जोड़ने की योजना

37. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत पौड़ी, खिर्सू, लैंसडाउन पर्यटन सर्किट से चैलूसैंण, सिलोगी, देवीखेत को जोड़ने की योजना बनायी गयी थी ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

सिलोगी–चैलूसैंण–देवीखेत को खिर्सू–लैंसडाउन पर्यटन सर्किट से जोड़े जाने की रुपये 08 करोड़ की परियोजना तैयार कर भारत सरकार को भेजी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रमसा के तहत खुले विद्यालयों की व नियुक्त अध्यापकों की संख्या

38. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में रमसा के तहत कुल कितने विद्यालय खोले गये थे ?

क्या इन सभी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है ?

यदि हाँ, तो कितने–कितने अध्यापक नियुक्त किए गए हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में अद्यतन 228 जूनियर हाईस्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया है।

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में उच्चीकृत 81 विद्यालयों में कुल 648 सृजित अध्यापकों के पदों के सापेक्ष 282 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद टिहरी के घनसाली में अशासकीय वित्त विहीन विद्यालयों की संख्या व सवित्त मान्यता प्रदान करने का विचार

39. श्री भीमलाल आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र घनसाली (टिहरी गढ़वाल) में कुल कितने अशासकीय वित्त विहीन (प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक) विद्यालय हैं ?

क्या मंत्री जी उक्त विद्यालयों की सूची नाम सहित स्पष्ट करेंगे ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों को सवित्त मान्यता प्रदान करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विधान सभा क्षेत्र, घनसाली, टिहरी गढ़वाल में कुल 13 (जूनियर–06, हाईस्कूल–07) अशासकीय वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं।

उक्त संदर्भित विद्यालयों की सूची निम्नवत है:–

(1) जनता उ0मा0वि0 थौलधार नैलचामी, टिहरी।

(2) अजय भट्ट स.म.चमियाला, टिहरी गढ़वाल।

(3) स्वामी विवेकानन्द जू.हा.स्कूल बिलेश्वर।

(4) स0वि0मा0 घनसाली, टिहरी।

(5) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जखन्याली।

(6) हि0क0उ0मा0वि0 हुलानाखाल।

(7) शहीद दलवीर सिंह राणा जू.हा.स्कूल, धारगांव, नैलचामी।

(8) जनता जू0हा0स्कूल जुन्यांणा, टिहरी।

(9) जनता उ.मा.वि. कठैती।

(10) स0वि0मा0 पौखाल।

(11) ज0उ0मा0वि0 बौलियाधार।

(12) ज0उ0मा0वि0 सौरमिलंगना।

(13) ज0उ0मा0वि0 थाती, नैलचामी, भिलंगना, टिहरी।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार, बढ़ते हुए राजस्व घाटे के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त विद्यालयों को सवित्त मान्यता दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा अध्यापकों की नियुक्ति

40. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें एकल अध्यापक हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 06 राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें एकल अध्यापक हैं। इन विद्यालयों में पूर्व में पदोन्नति से शिक्षकों की तैनाती की गयी किन्तु सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत डीडीहाट में लिफ्ट पेयजल योजना हेतु अवमुक्त स्वीकृत धन की प्रथम किश्त व विभिन्न मदों पर खर्च का विवरण

41. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में लिफ्ट पेयजल योजना हेतु कुल कितना धन स्वीकृत है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि सरकार द्वारा कितना पैसा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किया गया है तथा कितना रुपया योजना पर खर्च किन–किन मदों में किया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पिथौरागढ़ की डीडीहाट पेयजल योजना हेतु ` 2328.97 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

योजना पर प्रथम किश्त के रूप में ` 100.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा अब तक सामग्री प्रोक्योरमेन्ट मद में ` 50.00 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद नैनीताल अन्तर्गत ओखलकांडा के पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में पेयजल की समस्या के निदान हेतु इस वित्तीय वर्ष में बजट का प्राविधान

42. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत भीमताल विकास खण्ड के ओखलकांडा के पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 में पेयजल की समस्या है ?

यदि हाँ, तो समस्या के समाधान हेतु नई पेयजल योजना बनाये जाने के लिए सरकार इस वित्तीय वर्ष में सर्वे करवाकर बजट का प्राविधान करवायेगी ?

यदि हाँ तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 द्वारा अतिरिक्त जलापूर्ति की मांग नहीं की गयी है। विभाग द्वारा नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

प्रदेश में बी0एड0 समकक्ष शिक्षा विशारद को सरकार द्वारा नियुक्तियाँ दिये जाने के सम्बन्ध में।

43. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा विशारद को बी0एड0 के समकक्ष मानते हुए प्रदेश निर्माण के उपरान्त कितने शिक्षा–विशारदों को कब और कहाँ–कहाँ नियुक्तियाँ दी गयी हैं ?

क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

क्या वर्तमान में जो शिक्षा विशारद नियुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें भी सरकार नियुक्तियां प्रदान करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

प्रदेश निर्माण के उपरान्त विभाग में शिक्षा विशारद को बी0एड0 के समकक्ष मानते हुए किसी भी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक एल0टी0/प्रवक्ता वेतनक्रम में राजकीय सेवा में कोई नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 यथा संशोधित 2010 एवं उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 यथा संशोधित–2010 में सहायक अध्यापक/अध्यापिका एल0टी0 एवं प्रवक्ता के पदों पर शिक्षा विशारदों के चयन हेतु कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में स्वीकृत व संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या व शेष केन्द्रों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

44. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत व संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण हो चुका है और कितने शेष हैं तथा उक्त केन्द्रों हेतु कितनी धनराशि कब–कब स्वीकृत की गई है तथा शेष बचे आंगनबाड़ी केन्द्रों में सरकार कब तक भवन निर्माण कराएगी ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ। जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में 190 पूर्ण केन्द्र, 91 मिनी केन्द्र अर्थात कुल 281 केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित हैं।

उक्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र के सापेक्ष 14 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण हो चुका है, 176 केन्द्र शेष हैं। निर्मित भवनों की धनराशि निम्न विवरणानुसार स्वीकृत की गयी है–

1- fnukad 14&10&04 dks ` 6,00,000/–

2. दिनांक 15–10–05 को ` 7,50,000/–

3. दिनांक 02–12–05 को ` 1,50,000/–

4. दिनांक 15–10–05 को ` 2,80,000/–

5. दिनांक 15–7–06 को ` 1,20,000/–

वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू0 2.80 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से आवंटित की गई है। भारत सरकार से 1000 केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रू0 50.00 करोड़ (वार्षिक योजना 2012–13) प्रस्तावित की गयी है। धनराशि प्राप्ति पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण पर विचार किया जाएगा।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड ओखलकांडा में हाईस्कूल नाई, पश्या, ककोड़, गांजा, पटरानी, गहना, जू0हा0 सुनकिया व झड़गांव का उच्चीकरण

45. श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के ओखलकाण्डा विकास खण्ड के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित विद्यालय का मानकों को पूरा करने के बावजूद भी अभी तक उच्चीकरण नहीं हो पाया है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार द्वारा हाईस्कूल नाई, पश्या, हाईस्कूल रा0उ0मा0वि0 ककोड, गांजा, पटरानी, गहना एवं जू0हा0 सुनकिया व जू0हा0 झड़गांव के उच्चीकरण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि हॉं, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद से प्रस्ताव अप्राप्त।

प्रदेश में वंचित रह गये पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय का लाभ–प्रदान करने पर विचार

46. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय के परिधि में सम्मिलित किये जाने हेतु आख्या निदेशक विद्यालयी शिक्षा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मांगी गयी थी। परन्तु कुछ अधिकारियों द्वारा इनकी सूचनाएं निदेशालय को ठीक प्रकार से नहीं भेजी गई जिस कारण कई पी0टी0ए0 शिक्षक मानदेय से वंचित रह गए ?

क्या सरकार वंचित रह गये पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय का लाभ प्रदान करने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

परीक्षणोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र तथा लाभान्वित बच्चों की संख्या व मानक केन्द्रों को पक्का भवन उपलब्ध कराने हेतु नीति

47. श्री मदन कौशिक–

क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी के कितने केन्द्र सचालित हो रहे हैं तथा इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने बच्चे (केन्द्रवार) लाभान्वित हो रहे हैं व इनका मानक क्या है ?

क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पक्का भवन एवं जरूरी सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है ?

यदि हाँ तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

प्रदेश में 14194 पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 4125 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र अर्थात कुल 18319 केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में 856824 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। आंगनबाड़ी सर्वे के आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र में आने वाले जन्म से 06 वर्ष तक के समस्त बच्चों को आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान/मानक है।

राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण हेतु सभी सम्मानित विधायकों से विधायक निधि से धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में प्रा0 विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष विशिष्ट बी0टी0सी0 का कोटा बढ़ाए जाने की योजना

48. श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों का आकलन करते हुये विशिष्ट बी0टी0सी0 का कोटा बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वर्तमान में राज्य में विशिष्ट बी0टी0सी0 का कोई कोटा निर्धारित नहीं है और न ही कोटा बढ़ाये जाने की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौढ़ी के विकास खण्ड बीरोंखाल अन्तर्गत स्वीकृत स्यूंसी में झील निर्माण की स्थिति व निर्माण कार्य की प्रगति

49. श्री तीरथ सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत 20 फरवरी, 2009 को स्यूंसी में झील निर्माण की स्वीकृति हुई थी ?

यदि हाँ, तो उक्त झील की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने पर सरकार कब तक विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो योजना कब तक अस्तित्व में आ जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

दिनांक 20 फरवरी, 2009 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के क्रम में स्यूंसी में झील निर्माण के सम्बन्ध में यू0आई0पी0सी0 से प्री–फिजीबिलिटी स्टडी करायी गयी थी।

प्री–फिजीबिलिटी स्टडी रिपोर्ट में उक्त योजना व्यवहार्य/उपयुक्त नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में रमसा के तहत उच्चीकृत विद्यालयों व इसके सापेक्ष अध्यापकों के सृजित पदों की संख्या

50. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर में रमसा के तहत कितने विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है ?

उक्त उच्चीकृत विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद सृजित हैं ?

यदि नहीं, तो पद कब तक सृजित किए जाएंगे ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद बागेश्वर में रमसा के अन्तर्गत कुल 15 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है।

उक्त 15 विद्यालयों में से 07 विद्यालयों में प्रति विद्यालय 07 पदों का सृजन किया जा चुका है। वर्ष 2011–12 में उच्चीकृत 08 हाईस्कूल में पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में सृजित पदों की संख्या व उक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी व विभिन्न संवर्गों में कार्यरत संविदा कर्मियों का विनियमितीकरण

51. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड में कितने पद सृजित हैं ?

क्या सरकार उक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं विभिन्न संवर्गों के कार्यरत संविदा कर्मचारियों को विनियमित करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

चाय विकास बोर्ड में विभिन्न संवर्गों में 49 पद सृजित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ श्रेणी एवं चालक के क्रमशः दो–दो पद कुल 4 पदों को आउटसोर्सिंग से भरे जाने की व्यवस्था शासनादेश में है जो विनियमितीकरण की परिधि में नहीं आते हैं जबकि शेष 43 पदों के लिए विनियमितीकरण हेतु कोई विनियमितीकरण नियमावली नही बनी है।

52. श्री मदन कौशिक–

विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।

जनपद टिहरी के वि0स0क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर अन्तर्गत निर्माणाधीन बनाली आनन्द चौक पम्पिंग योजना में कार्य प्रारम्भ के संबंध में

53. श्री महावीर सिंह–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में बनाली आनन्द चौक पम्पिंग योजना स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

जनपद पौड़ी के वि0ख0 पाबो के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पांग में अध्यापकों की नियुक्ति

54. श्री तीरथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पाबो के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पांग में वर्तमान में अध्ययनरत 27 छात्र/छात्राओं हेतु एक भी शिक्षक नियुक्त नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में यथाशीघ्र अध्यापक नियुक्त करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पाबो के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय पांग में वर्तमान में अध्ययनरत 27 छात्र/छात्राओं हेतु दो अध्यापक कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

55. श्री मदन कौशिक–

द्वितीय शुक्रवार के अता0 04 में स्थाना0।

जनपद पिथौरागढ़ के एल0डब्ल्यू0एस0 कन्या इण्टर कॉलेज को विज्ञान वर्ग में सवित्तीय मान्यता पर विचार

56. श्री मयूख सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के एल0डब्ल्यू0एस0 कन्या इण्टर कॉलेज को विज्ञान वर्ग में सवित्तीय मान्यता प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार, बढ़ते हुए राजस्व घाटे के दृष्टिगत वर्तमान में उक्त विद्यालय को सवित्तीय मान्यता दिया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ स्थित जल संस्थान को विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न मदों से उपलब्ध धनराशि का मदवार विवरण तथा पेयजल की प्रगति

57. श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल संस्थान पिथौरागढ़ को गत पांच वर्षों में विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न मदों से कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है ?

क्या सरकार मदवार विवरण उपलब्ध कराएगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि उक्त राशि से पिथौरागढ़ की पेयजल समस्या का निराकरण हुआ है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इस खर्च की राशि की विजिलेंस व तकनीकी सेल के द्वारा जांच करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जल संस्थान पिथौरागढ़ को विगत 05 वर्षों में ग्रामीण एवं नगरीय योजनाओं के अनुरक्षण तथा हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु जिला योजना एवं राज्य योजनान्तर्गत d g ` 1739.55 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी।

जिला योजनान्तर्गत 114 पेयजल योजना एवं 87 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन पर ` 1082.56 लाख तथा राज्य योजनान्तर्गत 06 पेयजल योजनाओं एवं 91 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन पर रु 656.99 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अनुरक्षण कार्यों से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत कपकोट में फरसाली गुलेर गांव को जोड़ते हुए वृहद पेयजल योजना की मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 07 जून, 2012 की घोषणा पर कार्य प्रगति

58. श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा सं0 621/2012 दिनांक 07 जून, 2012 को जनपद बागेश्वर के कपकोट में फरसाली गुलेर गांव को जोड़ते हुए वृहद पेयजल योजना की घोषणा की है ?

यदि हाँ, तो क्या योजना की डी0पी0आर0 तैयार हो चुकी है ?

यदि नहीं, तो कब तक योजना तैयार की जाएगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

फरसाली पेयजल योजना अनुमानित लागत रु 290.84 लाख की डी0पी0आर0 विरचित कर ली गई है। गुलेर ग्राम की पूर्व निर्मित पेयजल योजना ग्राम पंचायत के अनुरक्षणाधीन है। भौगोलिक कारण से ग्राम गुलेर को फरसाली ग्राम पेयजल योजना से

पानी दिया जाना सम्भव नहीं है। अतः गुलेर ग्राम हेतु पृथक से पेयजल योजना बनाने हेतु ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

59. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

द्वितीय बुधवार के अता0 10 में स्थाना0।

पिथौरागढ़ शहर हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत पेयजल योजना हेतु अवमुक्त धनराशि

60. श्री मयूख सिंह–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत पिथौरागढ़ शहर हेतु इस वित्तीय वर्ष में क्या कोई पेयजल योजना स्वीकृत हुई है ?

यदि हाँ, तो कौन सी व इस हेतु कितना धन आवंटित हुआ ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ शहर हेतु आंवलाघाट से योजना बनाने के लिए प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

जनपद पौढ़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत वर्ष 2010 में भीषण आपदा से क्षतिग्रस्त रा0इं0 कॉलेज भरोलीखाल का पुनर्निर्माण

61. श्री तीरथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत रा0इं0 कॉलेज भरोलीखाल वर्ष 2010 में प्रदेश में आई भीषण आपदा के दौरान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया था ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विद्यालय भवन का निर्माण यथाशीघ्र कराएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

रा0इं0का0 भरोलीखाल विकास खण्ड बीरोंखाल पौढ़ी गढ़वाल के पुराने भवन के मात्र 04 कक्षा कक्ष क्षतिग्रस्त हुए हैं।

जी हाँ।

रा0इं0का0 भरोलीखाल को वर्ष 2011–12 में जिला योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण मद में रू0 8.18 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला योजनान्तर्गत अतिरिक्त कक्षा कक्ष मद में रू0 7.80 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में सहा0 अध्यापकों के पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा कराने पर विचार एवं नीति

62. श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु सरकार लिखित परीक्षा कराने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उपरोक्त विषयक कोई नीति बनाई गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2006 यथा संशोधित 2010 में लिखित परीक्षा कराया जाना प्राविधानित है।

जी हाँ। उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2006 यथा संशोधित 2010 में लिखित परीक्षा कराया जाना पूर्व से प्राविधानित है, जो वर्तमान में प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चम्पावत अन्तर्गत रा0 कन्या इं0 कॉलेज लोहाघाट में गणित विषय खोलने पर विचार

63. श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज लोहाघाट में इण्टरमीडिएट में गणित विषय खोले जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव अप्राप्त।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार हेतु पर्यटन से जोड़ने पर सरकार की नीति

64. श्री हरीश धामी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में कितने बेरोजगार युवाओं को पर्यटन के माध्यम से रोजगार से जोड़ा गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन नीति में रोजगार से सम्बन्धित नीति क्या है ?

श्रीमती अमृता रावत–

राज्य गठन से वर्तमान तक विभाग द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 4,036 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित पर्यटक अतिथि गृह (रैन बसेरा) में 132 व्यक्तियों को तथा रिवर राफ्टिंग के माध्यम से 942 व्यक्तियों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया है।

पर्यटन नीति–2001 में स्वरोजगार के लिये उपादन योजनायें प्रारम्भ किये जाने का उल्लेख है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में विभाग द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है।

जनपद बागेश्वर में सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व स0अ0 एल0टी0 के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर विचार

65. श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों के सुगम क्षेत्र में वर्षों से रिक्त प्रधानाचार्य/प्रवक्ता के पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार कोई ठोस पहल कर रही है ?

यदि हॉं, तो बागेश्वर जिले में प्रधानाचार्य प्रवक्ता व एल0टी0 के सुगम क्षेत्र में कितने पद कब से रिक्त हैं ?

तथा उन पर कब तक सरकार नियुक्ति करने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जनपद बागेश्वर में सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व स0अ0 एल0टी0 के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	पदनाम	रिक्त पदों की सं0
1.	प्रधानाचार्य	5
2.	प्रधानाध्यापक	2
3.	प्रवक्ता	35
4.	स0अ0 एल0टी0	38

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

66. श्री चन्दन राम दास–

द्वितीय शुक्रवार के अता0 05 में स्थाना0।

विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में दि0 06–06–12 को मुख्यमंत्री द्वारा रा0इं0 कॉलेज खिरमांडे, गणाई गंगोली, रा0कन्या0इं0 कॉलेज गंगोली में विद्यालय भवन की घोषणा पर एस0सी0पी0 अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि

67. श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 6–6–2012 को विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रा0इं0का0 खिरमांडे, गणाई गंगोली, रा0कन्या इण्टर कॉलेज गणाई गंगोली में विद्यालय भवन बनाने की घोषणा की थी ?

यदि हाँ, तो एस0सी0पी0 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु धनराशि अवमुक्त की जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ, एस0सी0पी0 के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

चरणबद्ध रूप से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

68. श्री नारायण राम आर्य–

द्वितीय सोमवार के अता0 41 में स्थाना0।

जनपद बागेश्वर अन्तर्गत स्वीकृत सरयू पेयजल योजना जेठाई, बन्गचूड़ी सहित 12 ग्राम सभाओं को पेयजल आपूर्ति हेतु विलम्ब का कारण

69. श्री चन्दन राम दास–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में सरयू पेयजल योजना जेठाई, बन्गचूड़ी सहित 12 ग्राम सभाओं को पेयजल आपूर्ति हेतु विभाग कोई ठोस प्रयास कर रहा है ?

यदि हाँ, तो तीन वर्षों से स्वैप में ग्राम समिति से धनराशि जमा करने के बाद भी योजना स्वीकृत करने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जेठाई पम्पिंग पेयजल योजना हेतु योजना में सम्मिलित ग्रामवासियों की उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति (यू0डब्ल्यू0एस0एस0सी0) गठित कर वर्ष 2009 एवं 2010 में सैक्टर कार्यक्रम में ग्रामवासियों से धनराशि एकत्र कर योजना का प्राक्कलन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) में नई केन्द्रीय दर अनुसूची (एस0ओ0आर0) में विरचित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन निर्माण के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु अवमुक्त धनराशि

70. श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट के भवन निर्माण के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए धनराशि स्वीकृत न होने के क्या कारण हैं ?

क्या सरकार उक्त विद्यालय के अपूर्ण भवन निर्माण के लिए धनराशि का आवंटन शीघ्र करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट के भवन निर्माण हेतु कुल लागत ` 1163.32 लाख में से प्रथम चरण के कार्यों हेतु ` 388.81 लाख वर्ष 2008–09 तक अवमुक्त किये जा चुके हैं, तथा ` 1991.70 लाख का पुनरीक्षित आगणन परीक्षणाधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में लिफ्ट पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि, पाइप लाइन की लम्बाई व पम्पिंग स्टेशन की संख्या व मानक

71. श्री नारायण राम आर्य–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गंगोलीहाट लिफ्ट पेयजल योजना हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी तथा इस पाइप लाइन की लम्बाई कितनी थी व पाइप लाइन कितनी जमीन के अन्तर्गत डालने का प्राविधान था तथा कितने पम्पिंग स्टेशन थे ?

क्या सरकार द्वारा मानक के अनुसार पेयजल योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितना से0मी0 पाइप जमीन में डाला गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

गंगोलीहाट पम्पिंग पेयजल योजना हेतु ` 1279.45 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी। इस योजना में पाइप की कुल लम्बाई 96.56 कि0मी0 प्रस्तावित थी तथा योजना में 90 प्रतिशत पाइप 60 सेमी0 जमीन के अन्दर बिछाने एवं योजना में कुल 03 पम्पिंग स्टेशन प्राविधानित थे।

कार्यस्थल की परिस्थिति के अनुसार यथा सम्भव मानकों के अनुरूप कार्य कराये गये हैं।

भौगोलिक स्थिति के अनुरूप पाइप को औसतन लगभग 30 सेमी0 गहराई में डाला गया है।

पाइप लाइन के संरेखण पर हार्ड स्ट्राटा होने के कारण जहां पाइप लाइन जमीन में पूर्णतः दबाई जानी सम्भव नहीं हो पायी वहां जमीन के ऊपर पिलर्स पर बिछायी गयी हैं।

जनपद देहरादून अन्तर्गत ऋषिकेश में नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाइन की सुविधा

72. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत नगर क्षेत्र व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सीवर लाइन बिछाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है और कब तक योजना प्रारम्भ की जाएगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन0जी0आर0बी0ए0) कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋषिकेश नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने एवं मल जल शोधन संयंत्र हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट/सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, जिसमें ऋषिकेश नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र बापू ग्राम, गुमानीवाला, आमबाग, वीरपुर खुर्द, शिवानी नगर, वीरभद्र, बीबीवाला, निर्मल बाग, श्यामपुर एवं रायवाला आदि सम्मिलित हैं। योजना वर्ष 2013–14 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जिला कार्यक्रम अधिकारियों के पदों पर दिये गये अतिरिक्त प्रभार का विवरण

73. श्री चन्दन राम दास–

क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में कितने बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त में से कितने अनुसूचित जाति व्यक्तियों को जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ?

क्या सरकार अधिकारियों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हॉं। बाल विकास विभाग में 13 स्वीकृत जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदों के सापेक्ष 07 जनपदों में बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जिला कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

जी हॉं। उक्त प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारियों में से अनुसूचित जाति का कोई भी बाल विकास परियोजना अधिकारी नहीं है।

जी हॉं। अतिरिक्त प्रभार के अधिकारियों का विवरण संलग्न है। †

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल विकास विभाग में वर्तमान सत्र 2012 में (स्थानान्तरण नीति 2008) किये गये कार्मिकों का स्थानान्तरण नाम पदनाम सहित विवरण

74. श्री चन्दन राम दास–

क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में वर्तमान सत्र 2012 में स्थानान्तरण नीति 2008 के विपरीत कितने कार्मिकों/अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है तथा स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिकों का नाम पदनाम सहित विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्थानान्तरण नीति से हट कर स्थानान्तरण किये जाने के क्या कारण थे ?

श्रीमती अमृता रावत–

निदेशालय स्तर से वर्तमान सत्र 2012 में स्थानान्तरण नीति 2008 के विपरीत किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। निर्धारित अवधि के उपरान्त उच्च स्तरीय संस्तुति, कार्मिकों की घरेलू परिस्थिति, पद रिक्ति एवं अन्य कारणों से प्राप्त कुल 159 स्थानान्तरण प्रकरण निदेशालय स्तर से शासन को प्रेषित किये गये जिनमें से 47 कार्मिकों के स्थानान्तरण की स्वीकृति के फलस्वरूप स्थानान्तरण आदेश निदेशालय स्तर से निर्गत किये गये। स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिकों का नाम पदनाम सहित विवरण संलग्न है। †

उपरोक्तानुसार।

---

† (देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ संख्या 154 पर)

† (देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ संख्या 155–190 पर)

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा–सरयू–सेराघाट पम्पिंग योजना की घोषणा पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 05 मई, 2012 को स्वीकृति हेतु की गई कार्य प्रगति

75. श्री मनोज तिवारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 05 मई, 2012 को जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा हेतु अल्मोड़ा–सरयू–सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना को भारत सरकार से स्वीकृत कराये जाने तथा विक्टर मोहन जोशी, एन0टी0डी0 जलाशय के लिए तत्काल धनराशि स्वीकृत कराये जाने की घोषणा की गयी थी ?

यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति क्या है तथा कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

ए0डी0बी0 ट्रॉन्च–11 के अन्तर्गत अल्मोड़ा–सरयू–सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना का प्रस्ताव एवं प्रस्तावित धनराशि रू 4859.75 लाख मितव्ययी न पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है। विकल्प के रूप में कोसी नदी पर बैराज का निर्माण कर अल्मोड़ा शहर को पेयजल आपूर्ति की जानी विचाराधीन है। सिंचाई विभाग द्वारा बैराज के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। बैराज निर्माण के पश्चात ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

जनपद अल्मोड़ा के विक्टर मोहन जोशी, जलाशय के जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्यों हेतु रू 229.15 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष नवम्बर, 2012 में रू 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। कार्य गतिमान है।

मा0 मुख्यमंत्री के पत्र संख्या VIP(m)/6186/XXXV–1/2012(20) दिनांक 27 अगस्त, 2012 अनुसार शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव पर विभाग की कार्यवाही

76. श्री हरीश धामी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्र संख्या VIP(m)/6186/XXXV–1/2012(20) दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अनुसार शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव कब तक किया जाएगा।

तथा इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र संख्या VIP(m)/2848/XXXV-1/2012(10) दिनांक 06–06–2012 तक पत्र संख्या VIP(m)/3313/XXXV-1/2012(3) दिनांक 12–06–2012 पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

उत्तराखण्ड राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान से दोगुना व तीन गुना मानदेय शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है। उपरोक्त एवं राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ में टी0ई0टी0 उत्तीर्ण बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों के सापेक्ष शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या व पदों का विस्तार

77. श्री हरीश धामी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टी0ई0टी0 उत्तीर्ण बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार के लिये पूर्व विज्ञप्ति के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार द्वारा पद बढ़ाये जाने की सम्भावना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

बी0एड0/टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु 104 पद विज्ञापित किये गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञापित पदों के सापेक्ष 104 प्रशिक्षु शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है।

जनपद देहरादून अन्तर्गत प्रा0 विद्यालय साहबनगर, चकजोगी, छिद्दरवाला, गौरूरीमाफी, ठाकुरपुर, गुमानीवाला व जूनि0 हाई0 रायवाला के जीर्ण–शीर्ण भवन की मरम्मत

78. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत साहबनगर, चकजोगी, छिद्दरवाला, गौरूरीमाफी, ठाकुरपुर, गुमानीवाला, ऋषिकेश प्राथमिक विद्यालय के साथ ही जूनियर हाईस्कूल रायवाला के भवन जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त भवनों के मरम्मत की योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

79. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मा0 सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण प्रश्न हटाया गया।

प्रदेश के 7 जनपदों में निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा आउट सोर्सिंग उपनल/पी0आर0डी0 के माध्यम से सहा0डाटा0एन्ट्री आपरेटरों के पदों पर दिनांक 07 जुलाई, 2011 में नियुक्त कार्मिकों की सेवाएं 31 मार्च, 2012 में समाप्त होने पर पुनः सेवा में लिए जाने हेतु विचार

80. श्री भीमलाल आर्य–

क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के 7 जनपदों में निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा आउट सोर्सिंग उपनल/पी0आर0डी0 के माध्यम से सहडाटा इन्ट्री आपरेटरों को संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों में दिनांक 07 जुलाई, 2011 को नियुक्ति दी गई थी?

क्या मा0 मंत्री जी अवगत हैं कि उक्त जनपदों में आउट सोर्सिंग से भर्ती किये गये कार्मिकों की सेवायें 31 मार्च, 2012 से समाप्त कर दी गयी ?

क्या यह भी सत्य है कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि उक्त हटाये गये कार्मिकों को पुनः सेवा में ले लिया जाएगा।

तथा इन कार्मिकों को बहाल किये जाने का प्रकरण वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित किया गया था तथा अपर सचिव वित्त द्वारा दिनांक 26 सितम्बर, 2012 के पत्र द्वारा उन्हें सेवा में लिये जाने की सहमति प्रकट की गयी थी ?

यदि हाँ, तो कब तक इनकी सेवायें बहाल कर दी जाएंगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

वित्त विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी के नियमानुसार सृजित पदों पर चयन होने तक आउटसोर्सिंग से व्यवस्था सीमित समय के लिये करने का परामर्श दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

कनिष्ठ लिपिक सहडाटा एन्ट्री आपरेटर के पदों पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी शीघ्र उपलब्ध हो जायेंगे। अतएव आउटसोर्सिंग से तैनाती की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

81. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मा0 सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण प्रश्न हटाया गया।

82. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मा0 सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण प्रश्न हटाया गया।

83. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मा0 सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण प्रश्न हटाया गया।

84. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मा0 सदस्य के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के कारण प्रश्न हटाया गया।

जनपद देहरादून अन्तर्गत पर्यटन विभाग मसूरी में एवरेस्ट की अनुपयुक्त पड़ी झड़ीपानी व हाथी पाँव स्थित भूमि पर बहुउद्देशीय व्यवसायिक एवं आवासीय योजना का क्रियान्वयन

85. श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की मसूरी जार्ज एवरेस्ट की 172 एकड़, मसूरी झड़ीपानी में 19 एकड़ तथा हाथी पांव में 58 एकड़ करोड़ों रुपये लागत की भूमि अनुपयुक्त पड़ी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर कोई बहुउद्देशीय व्यवसायिक एवं आवासीय योजना के क्रियान्वयन पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जार्ज एवरेस्ट एवं हाथीपांव की भूमि पर मसूरी–हाथीपांव रोपवे परियोजना विकसित की जाएगी। जिसका प्रस्ताव लार्ज रिवेन्यू जनरेटिंग योजना के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जार्ज एवरेस्ट की 172 एकड़ भूमि पर हैलीपैड एवं ट्रांजिट हाउस के निर्माण का प्रस्ताव, स्नोडाउन स्टेट मसूरी (हाथीपांव) में अवस्थित पर्यटन विभाग की परिसम्पत्ति के तार–बाड़/फैन्सिंग इत्यादि तथा मसूरी में पार्क स्टेट स्थित पर्यटन विभाग की 172.91 एकड़ भूमि की तार–बाड़/फैन्सिंग एवं पिलर लगाने के कार्य का प्रस्ताव 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है।

झड़ीपानी के आस पास वन भूमि होने के कारण उक्त योजना पर अभी कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ग्राम सीतापुर में पेयजल समस्या के निदान हेतु नई पेयजल योजना की निर्माण योजना

86. श्री आदेश चौहान–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ग्राम सीतापुर में नई आवासीय कालोनियां विकसित होने व हरिद्वार शहर में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ने के फलस्वरूप पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में एक नई पेयजल योजना का निर्माण कराएगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

हरिद्वार पुनर्गठन पेयजल योजना जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के रा0इं0 कॉलेज सीतापुर (ज्वालापुर) में संचालित प्रबन्ध समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों का अनुमोदन शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त न होने पर सरकार द्वारा उच्च स्तरीय जांच व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

87. श्री आदेश चौहान–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के राजकीय इण्टर कालेज सीतापुर (ज्वालापुर) का संचालन कई वर्षों से प्रबन्ध समिति द्वारा किया जा रहा है जिसकी संशोधित प्रशासन योजना साधारण सदस्यों की सूची व निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों का अनुमोदन शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जाँच की कार्यवाही गतिमान है। जाँच आख्या में दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में केदारकांठा, चांगशील, मानीरा आदि समस्त पर्यटक स्थलों को उत्तराखण्ड के मानचित्र में दर्शाने के संबंध में

88. श्री माल चन्द–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत केदारकांठा, चांगशील, मानीरा, पेरटारा, दुन्दा, देवबन, बौखटिम्बा, देवराना सरताल, बरराडसर, देवक्यारा, जीवड़ाताल, बढ़ासुपास, बाल्ली पास, यमुनोत्री पास, हरकीदून पास उक्त पर्यटक स्थानों को पर्यटकों की सुविधा हेतु उत्तराखण्ड के पर्यटक मानचित्र में दर्शायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड के मानचित्र में नैटवाड़, सौड़, जखोल, तालुका, ओसला, सीमा, रूइन्साराताल एवं हरकीदून आदि स्थलों को दर्शाया गया है। अन्य वर्णित स्थलों को पर्यटन मानचित्र में दर्शाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र चामासारी बस्ती मोटीधार में बन्द पड़े प्रा0 विद्यालय को खोले जाने पर विचार

89. श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र चामासारी के बालक/बालिकाएं प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण शिक्षा से वंचित हैं ?

यदि हॉं, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि पूर्व में शिक्षा विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु एक ए0आई0ई0 सेंटर खोला गया था किन्तु मार्च, 2012 के उपरान्त उसे भी बन्द कर दिया गया ?

यदि हॉं, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि पूर्व में ग्राम पंचायत चामासारी द्वारा 08 नवम्बर, 2010 को विद्यालय के निर्माण हेतु ग्राम सभा की भूमि का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार चामासारी बस्ती मोटीधार में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने पर विचार करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

ए0आई0ई0 केन्द्र को सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के अनुसार मार्च, 2012 में बन्द कर उस केन्द्र को अनावासीय प्रशिक्षण केन्द्र (एन0आर0एस0टी0) के रूप में संचालित किया जा रहा है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2011–12 में विद्यालय स्वीकृत हेतु प्रस्ताव किया गया था, जो स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।

जी हाँ।

स्कूल मैपिंग का कार्य पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्ड का उच्चीकरण

90. श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव पूर्व में शासन को प्रेषित किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि उक्त क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में गरीब ग्रामीणों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु 20 कि0मी0 की परिधि में कोई भी इण्टर कालेज न होने से उक्त क्षेत्र में बच्चों को शिक्षण हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत सिल्ला में हाईस्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकृत करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रस्ताव मानकानुसार तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के मसूरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारा व नालीकला में जूनियर हाईस्कूल खुलवाने पर विचार

91. श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारा व ग्राम पंचायत नालीकला में मात्र पांचवी कक्षा तक ही शिक्षा

उपलब्ध है और शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु 8 से 12 कि0मी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत क्यारा व ग्राम पंचायत नालीकला में एक जूनियर हाईस्कूल खुलवाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

ग्राम पंचायत नालीकला में वर्ष 2012–13 में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्वीकृति दी जा चुकी है। ग्राम पंचायत क्यारा में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान की वर्ष 2013–14 की कार्य योजना में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौढ़ी अन्तर्गत भैरवगढ़ ग्राम समूह पम्पिंग योजना के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा की गई कार्यवाही का विवरण

92. श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अन्तर्गत भैरवगढ़ ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है और प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग योजना में विलम्ब होने के क्या कारण हैं एवं विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्रवाई करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निर्माणाधीन भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना रू 2289.20 लाख की स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक रू 876.86 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं। योजना पर रू 507.81 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। प्रथम चरण के कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

जी नहीं,

योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कुछ राइजिंग मैन एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के निर्माण हेतु वनभूमि की स्वीकृति वन विभाग से दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त हुई है जिसके अनुसार पट्टा विलेख की कार्यवाही की जा रही है।

भैरवगढ़ी ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना से जयहरीखाल एवं लैन्सडाउन छावनी परिषद को भी आच्छादित किये जाने के निर्णयानुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर वित्त व्यय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये गये। समिति द्वारा छावनी परिषद के कार्यों हेतु वित्त पोषण छावनी परिषद द्वारा ही किये जाने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार छावनी परिषद का नगरीय अंश के वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव छावनी परिषद को प्रेषित किया गया है। रक्षा विभाग की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्वीकृत श्यामाप्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय की स्थापना हेतु की गई कार्यवाही

93. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्वीकृत श्यामाप्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय की स्थापना का कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

क्या यह सत्य है कि विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ?

यदि हॉं, तो क्या सरकार आगामी शिक्षण सत्र का कार्य पूर्ण करने पर विचार करेगी?

यदि हॉं, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में स्वीकृत श्यामाप्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय सम्प्रति राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना एवं उसके संचालन का कार्य अस्थायी रूप से रा0इं0का0 खटीमा में किया गया है।

जी हाँ। विद्यालय हेतु तुमड़िया रेविन्स ऊधमसिंहनगर में 4.929 है0 भूमि उपलब्ध है।

वर्तमान सत्र में शिक्षण कार्य संचालित है, तथा आगामी सत्र में शिक्षण एवं अन्य कार्य लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) के अधीन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

यथा प्रक्रिया कार्यवाही पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के मंगलौर नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत सीवरलाइन की सुविधा

94. श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के मंगलौर नगर पालिका के क्षेत्रों के अन्तर्गत सरकार सीवरलाइन डालने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत वर्तमान में 56.55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। जबकि सीवर लाइनों में सीवरेज के प्रवाह हेतु निर्धारित मानकानुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की उपलब्धता आवश्यक है। जलापूर्ति वृद्धि के पश्चात ही सीवर लाइन बिछाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड नारसन में अप्रैल, 2012 से मार्च, 2012 तक संचालित ई0जी0एस0/ए0आई0ई0/एन0आर0एस0टी0/शिक्षा केन्द्रों की संख्या व मध्याह्न भोजन और पठन–पाठन पर व्यय धनराशि तथा बच्चों द्वारा विद्यालयों में प्रवेश की संख्या

95. श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड नारसन में 01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2012 तक ईंट भट्टों सहित अन्य स्थानों पर कितने ई0जी0एस0/ए0आई0ई0/एन0आर0एस0टी0/शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि उक्त शिक्षा केन्द्रों पर सर्व शिक्षा अभियान से मध्याह्न भोजन सहित कितनी धनराशि खर्च की गयी है तथा शिक्षा केन्द्रों से कितने बच्चों ने पढ़कर समीपस्थ विद्यालयों में प्रवेश लिया है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

कुल 226। {जिसमें से अनावासीय प्रशिक्षण केन्द्र (मकतब/मदरसा)–51 (मुस्कान केन्द्र–ईंट भट्टे)–144 तथा पूर्व में ए0आई0ई0–31 हैं}।

इन केन्द्रों पर रू0 26,03,735.00 की धनराशि मध्याह्न भोजन योजना पर एवं ` 1,45,76,500.00 की धनराशि पठन–पाठन पर व्यय की गई तथा 1731 बच्चों को समीपस्थ विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ के रा0उ0मा0 विद्यालय मिनगड़ी के निर्माण हेतु व्यय धनराशि व शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में

96. श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिनगड़ी के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था को कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी तथा उक्त राशि में से कितनी खर्च की जा चुकी है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय के भवन का 50 प्रतिशत कार्य अपूर्ण है ?

क्या मंत्री जी इसकी जाँच कर कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई कर धन वसूली हेतु आदेशित किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो विद्यालय के अपूर्ण भवन निर्माण को पूर्ण करने के लिए धनराशि दी जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनु0जा0 उपयोजना (एस0सी0पी0) अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 मिनगड़ी, पिथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु आंगणन की अनुमोदित लागत ` 69.35 लाख के सापेक्ष ` 27.35 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010–11 में विद्यालय के चालू भवन निर्माण कार्य हेतु ` 42.00 लाख इस प्रकार कुल ` 69.35 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा माह नवम्बर, 2012, तक ` 69.35 लाख में से ` 60.62 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

विभागीय सूचना के अनुसार भवन निर्माण का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

भवन के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 69.35 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला अन्तर्गत सभी पर्यटक स्थलों (हरकीदून, केदारकांठा, भराड़सर आदि) को रोपवे से जोड़ने पर विचार

97. श्री मालचन्द–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सभी पर्यटक स्थलों (हरकीदून, केदारकांठा, भराड़सर आदि) को रोपवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड नारसन में शिक्षा अधिकारी के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारी की तैनाती सम्बन्धी आदेश

98. श्री सरवत करीम अंसारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड नारसन, जनपद हरिद्वार के खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारी की तैनाती की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या प्रशासनिक संवर्ग के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारी की तैनाती किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विकास खण्ड नारसन जनपद हरिद्वार के खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारी दिनांक 04–08–2009 से ही कार्यरत हैं।

प्रशासनिक संवर्ग के पद पर शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारी की तैनाती किये जाने सम्बन्धी कोई आदेश नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

99. श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2005 से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ कार्यरत प्रधानाचार्यों को प्रधानाचार्य वेतन क्रम दिये जाने का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार लिया गया है ?

क्या यह सत्य है कि जिन प्रधानाचार्यों ने न्यायालय में वाद दायर किया था, उन्हें उक्त वेतन दिया जा रहा है ?

क्या शेष प्रधानाचार्य को भी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वेतन देने का निर्णय लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

जी नहीं। जिन वादों में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय पारित किया गया तथा उसी आधार पर मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निर्णीत प्रकरणों में वेतन भुगतान किया गया है।

जी नहीं।

वर्तमान में प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उत्तराखण्ड के काश्तकारों को हिमाचल के आधार पर समर्थन मूल्य/फसली बीमा की सुविधा प्रदान करने पर विचार

100. श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सेब बागवानी/फसली बीमा हिमाचल के आधार पर विधान सभा क्षेत्र पुरोला में भी लागू करेंगे ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि हिमाचल के आधार पर समर्थन मूल्य/फसली बीमा की सुविधा उत्तराखण्ड के काश्तकारों को कब तक प्रदान कर दी जाएगी?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सेब/फसल बीमा योजना भारत सरकार की मौसम आधारित बीमा योजना है, जो हिमाचल की तरह पूरे उत्तराखण्ड राज्य सहित विधान सभा क्षेत्र पुरोला में भी संचालित है।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में स्थापित रोपवे के स्थान व संख्या तथा अन्य स्थानों पर रोपवे हेतु चिन्हित स्थान

101. श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में वर्तमान में कितने रोपवे स्थापित हैं और कहां कहां हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि सरकार अन्य किस–किस जगह रोपवे लगाने हेतु विचार कर रही है व पूर्व में लगे रोपवे सरगधार से लुहासु कुकरेडा लगाने का प्रकरण विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विकास खण्ड मोरी में वर्तमान में 03 रोपवे स्थापित हैं, जो 1–भुटाणू–सरण 2–थुनारा–काष्ठा एवं 3–डुयानू–टिकोची में हैं।

अन्य जगहों पर कोई रोपवे के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। सरगधार से लुहासु कुकरेडा तक पूर्व में कोई रोपवे नहीं लगा है जबकि नये प्रस्तावित रोपवे को जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार लाभप्रद नहीं पाया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पुरोला के टिकोची, सांकरी, मोरी, पुरोला, नौगांव में छोटी–छोटी मण्डियों का हिमाचल प्रदेश के पैटर्न पर निर्माण कर कास्तकारों को सुविधा

102. श्री माल चन्द–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि हिमाचल में छोटे–छोटे बगीचों का निर्माण किया गया है तथा हिमाचल से लगा क्षेत्र छत्र, बामोण, आराकोट में वर्तमान में लगभग 10 लाख पेटी सेब का उत्पादन किया जा रहा है ? उसके अलावा अन्य नकदी फसलें भी उत्पादित की जाती हैं।

क्या सरकार उक्त प्रकरण की व्यवस्था उत्तराखण्ड में भी लागू करेगी ?

क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के टिकोची, सांकरी, मोरी, पुरोला, नौगाँव में भी छोटी–छोटी मण्डियों का निर्माण कर कास्तकारों को सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है।

क्षेत्रीय आवश्यकता का आकलन एवं उपयुक्त स्थान प्राप्त होने के पश्चात् ही उक्त कार्य किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटन विभाग द्वारा पुरकुल से हाथीपाँव तक रोपवे निर्माण हेतु सरकार का विचार

103. श्री गणेश जोशी–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग के माध्यम से पुरकुल से हाथीपाँव तक रोपवे के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी थी ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि योजना की निविदायें भी विभाग द्वारा आमंत्रित की गयी थी ?

यदि हाँ, तो सरकार उक्त योजना को कब तक प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं, वर्तमान में ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

पूर्व में पुरकुल गाँव से मसूरी रोप–वे योजना प्रस्तावित थी, परन्तु योजना अधिक व्यय साध्य होने के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। वर्तमान में मसूरी–हाथीपाँव परियोजना का प्रस्ताव लार्ज रिवेन्यू जनरेटिंग योजना के अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक, स0वि0स0 ने लोक महत्व की सूचनाओं पर कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में व्यवस्था दिये जाने की माँग

*श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ, शायद यह पत्र सभी माननीय सदस्यों के पास गया होगा, जो प्रमुख सचिव विधान सभा की तरफ से दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को आया है। उसमें यह लिखा गया है कि "मुझे आपसे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड की तृतीय विधान सभा के वर्ष 2012 के तृतीय सत्र के दौरान विधान सभा में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को उपवेशन से 1:30 घंटा पूर्व प्राप्त की गई अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं के माध्यम से उठाये जाने वाले प्रश्न जैसे नियम–53, 58, 300 तथा अन्य सूचनाएं दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 हेतु स्वीकार की जाएगी एवं दिनांक 13–12–2012 के लिए उक्त नियमों के अन्तर्गत कोई नई सूचनाएं उपवेशन हेतु प्राप्त नहीं की जाएंगी।" मान्यवर, प्रत्येक राज्य को भारत के संविधान ने शक्ति दी है कि वह अपने अनुसार नियम, उपनियम, अपने राज्य के अनुसार बनाये। हमें भी वही शक्ति प्राप्त है। हम लोगों ने भारत के संविधान का प्रयोग करते हुए, हमने उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली बनायी है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी, कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कार्य–मंत्रणा क्या करती है ? मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो हमारी उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली एवं अध्यक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश हैं उनको पढ़कर सुनाता हूँ। उसके अध्याय–20 के नियम–279 में सूचनाएं दी गयी हैं। "प्रत्येक सूचना, जिसकी नियमों के अन्तर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके लिखित रूप में दी जाएगी और वह पटल पर या उसके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जाएगी। जब तक नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, सूचना जो कार्यालय में उपर्युक्त उपनियम में दिये हुए समय के उपरान्त अन्य समय में प्राप्त हो, वह अगले खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जाएगी। "इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1:30 घन्टे पहले प्राप्त कर ली जाएंगी। मान्यवर, इसी प्रकार जो निर्देश हैं उसके अध्याय तीन एवं चार और अध्याय तीन में नियम–300 है और अध्याय चार में कार्य स्थगन है। उसमें भी लिखा है कि सूचनाएं दो प्रतियों में प्रत्येक उपवेशन के प्रारम्भ होने के डेढ़ घण्टे पूर्व तक सचिव को दी जा सकेंगी। मान्यवर, यह हमारी कार्य–संचालन नियमावली है और यह जो निर्देश हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए हैं। उनमें स्पष्ट प्राविधान है कि डेढ़ घण्टे पूर्व हम वह सूचनाएं प्राप्त करेंगे। कार्य–मंत्रणा समिति ने यह निर्णय ले लिया है यह ठीक है। आज की सूचनाओं को कल ले लेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यदि वही सूचनाएं दोबारा ली जाती तब उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली एवं अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश हैं इस रूप में माना जा सकता था। लेकिन हमने यह स्पष्ट आदेश कर दिया कि कल को कोई सूचनायें नहीं ली जाएंगी। फिर तो भारत का संविधान और उससे जो शक्ति प्राप्त हैं जो उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली एवं उत्तराखण्ड विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश हैं, उन सबका खुला उल्लंघन हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि यह परम्परा न पड़े और भविष्य में इस प्रकार का कोई निर्णय न हो, यदि हमें इस प्रकार के निर्णय लेने हैं तो वह सूचनाएं दोबारा ली जाय तो उसको इस प्रकार से प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने एक व्यवस्था की, वह व्यवस्था केवल आज के लिए मानी जाए, भविष्य में ऐसा नहीं किया जाए।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री ललित फर्स्वाण, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री चन्दन राम दास, श्री प्रेम सिंह, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री यतीश्वरानन्द, श्री तीरथ सिंह, श्री राजकुमार ठुकराल, श्री राजेश शुक्ला, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री गणेश जोशी, श्री बंशीधर भगत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मालचन्द, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री महावीर सिंह, श्री राजकुमार तथा श्री भीमलाल आर्य की कुल 21 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री राजेश शुक्ला

एवं श्री बंशीधर भगत की सूचनाओं को एक सूचना में सम्मिलित कर स्वीकार कर रहा हूँ। इनके अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री प्रेम सिंह, श्री तीरथ सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री गणेश जोशी, श्री मालचन्द तथा श्री भीमलाल आर्य की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

*श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी सूचना को रोज लगा रहा हूँ, रोज अस्वीकार हो रही है।

प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के बावजूद भी काशीपुर शुगर मिल लि0 काशीपुर द्वारा अभी तक पेराई सत्र शुरू न करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश शुक्ला–

[मान्यवर, पूरे प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2012–13 हेतु गन्ने की पेराई का कार्य चीनी मिलों द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। क्या गन्ना मंत्री जी अवगत हैं कि प्राइवेट चीनी मिल काशीपुर द्वारा अभी तक गन्ना पेराई का कार्य शुरू नहीं किया गया है ? क्या गन्ना मंत्री जी इस तथ्य से भी अवगत हैं कि उक्त मिल द्वारा चीनी मिल बंद करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव श्रम, उत्तराखण्ड शासन एवं गन्ना आयुक्त उत्तराखण्ड शासन से अपनी चीनी मिल बंद करने की अनुमति भी मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली ? बावजूद इसके इन्होंने अप्रैल माह में मिल को शुरू करने हेतु, होने वाले रख रखाव व मरम्मत का कार्य भी शुरू नहीं किया तथा वर्तमान पेराई सत्र में काशीपुर क्षेत्र के हजारों कृषकों एवं चीनी मिल के हजारों श्रमिकों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। क्या सरकार उक्त चीनी मिल को चलाने हेतु उक्त मिल के मालिकों को बाध्य करेगी ? क्या मिल मालिकों द्वारा चीनी मिल चलाने से इनकार करने पर व्यापक कृषक एवं श्रमिक हित में उक्त मिल को सरकार अपने द्वारा रिसीवर नियुक्त कर चलाने का प्रयास करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ? मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग चाहता हूँ।]

श्री बंशीधर भगत–

[मान्यवर, हम काशीपुर शुगर मिल्स लि0 काशीपुर, ऊधमसिंह नगर के कर्मचारियों, गन्ना किसानों तथा इससे जुड़े अन्य मजदूरों के तरफ से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आपको अवगत कराना चाहते हैं कि काशीपुर शुगर मिल्स लि0 के सेवायोजक अनुचित व अवैधानिक ढंग से मिल को बन्द करने हेतु प्रयास कर रहे थे। जिसे सरकार ने असफल कर दिया है। लेकिन स्थिति ज्यों कि त्यों बनी है। अब भी शुगर मिल बन्द है, पेराई सत्र प्रारम्भ नहीं हो सका है परिणाम स्वरूप लगभग 600 से अधिक कर्मचारी,

नोट:–( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

23000 गन्ना उत्पादक किसान, गन्ने की खेती जैसे बुआई, कटाई, छिलाई तथा ढुलाई में लगे 50000 से अधिक खेतिहर मजदूर एवं चीनी मिल से जुड़े छोटे–छोटे दुकानदार एवं काशीपुर नगर का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हजारों–हजारों मजदूर बेकार, बेरोजगार हो रहे हैं। मजदूरों को कार्य का अवसर तथा नौकरी से होने वाली आय न होने से उनके आश्रितों की रोटी तथा उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जनता आक्रोशित है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

नानकमत्ता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम सिंह–

[मान्यवर, नानकमत्ता में 23 ग्राम पंचायतों के मध्य एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिस कारण 25–30 कि0मी0 दूर से रोगी एवं जनता अपने स्वास्थ्य को दिखाता आते हैं। परन्तु अव्यवस्थाओं के कारण इलाज न हो पाने से उन्हें वापस लौटना पड़ता है। वर्षों से इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग चली आ रही है, जो पूरी न हो पाने के कारण लोगों में पर्याप्त रोष व्याप्त हो रहा है, जो कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के ग्राम–कौला, पाटल्यूँ तथा विकास खण्ड पोखड़ा के तिमलीखाल गांव के जंगल में लगी आग को बुझाने में झुलसने से हुई महिला की मृत्यु पर मुआवजा न मिलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तीरथ सिंह–

[मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा चौबट्टाखाल क्षेत्र के ग्राम–कौला, पाटल्यूं, वि0ख0–पोखड़ा में 21 मई, 2012 को तिमलीखाल (बीरोंखाल) के जंगल में भयंकर आग लगने के कारण 3 महिलाएं क्रमशः–1. श्रीमती बीरा देवी पत्नी श्री कुन्दन सिंह, 2. श्रीमती हंशू देवी पत्नी श्री भगत सिंह, 3. श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री मनवर सिंह आग की लपटों से बुरी तरह झुलस गई थी, जो कि तिमलीखाल बाजार से राशन ले कर आ रहे थे। तीनों महिलाओं को रात्रि के 2–3 बजे राजकीय अस्पताल कोटद्वार लाया गया, जिनमें श्रीमती बीरा देवी पत्नी श्री कुन्दन सिंह की मृत्यु 22.05.2012 को हो

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गई। उसके बाद डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिये और बाकी उक्त महिलाओं को कोरेनेशन अस्पताल, देहरादून को रेफर कर दिया गया। जिसके पश्चात् इलाज के चलते श्रीमती हंशू देवी पत्नी श्री भगत सिंह की मृत्यु 04–06–2012 को हो गई और आशा देवी पत्नी श्री मनवर सिंह की भी 08–07–2012 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन इनको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जबकि मैंने पूर्व में सदन में ये सूचना दी थी और सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का आश्वासन भी दिया गया, परन्तु दुर्भाग्य यह है कि अभी तक एक रुपये की मदद नहीं दी गई।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से इस अतिलोक महत्व के विषय पर प्रभावी कार्यवाही हेतु मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र सल्ट स्थित सराईखेत, मछोड़ एवं स्याल्दे में आई0टी0आई0 के संचालन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सल्ट के दूरस्थ क्षेत्र सराईखेत में दो वर्ष पूर्व आई0टी0आई0 की स्वीकृति प्रदान की गई थी। तद्नुसार मैंने अपने प्रयासों से किराये पर एक भवन भी उपलब्ध करा दिया था। विभागीय घोर लापरवाही के चलते वहाँ आज तक भी आई0टी0आई संचालित नहीं हो पाया है। इसी प्रकार मछोड़ एवं स्याल्दे में आई0टी0आई0 भवन लगभग 3 वर्ष से बनकर तैयार है। विभागीय उदासीनता के परिणाम स्वरूप इन दोनों स्थानों पर भी किराये के भवनों से ही आई0टी0आई0 संचालित हो रहा है। भारी व्यय कर निर्मित भवनों का हस्तानान्तरण तक नहीं हो पाया है। विभागीय अकर्मण्यता के विरुद्ध लोगों में भारी असन्तोष का वातावरण व्याप्त हो रहा है और यह किसी बड़े आन्दोलन का कारण भी बन सकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।

ग्राम डाण्डा लखौण्ड तथा डाण्डा नूरीवाला में राजीव गांधी क्रीड़ा स्थल व ग्राम समाज की भूमि पर एक बिल्डर प्रतीक रिसार्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा अनधिकृत कब्जा एवं खुर्द–बुर्द करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, ग्राम डाण्डा लखौण्ड तथा डाण्डा नूरीवाला में राजीव गाँधी क्रीड़ा स्थल व ग्राम समाज की भूमि पर एक बिल्डर प्रतीक रिसार्ट्स एण्ड बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनधिकृत कब्जा एवं खुर्द–बुर्द करने के सम्बन्ध में संज्ञान में लाना है कि ग्राम डाण्डा लखौण्ड तथा काण्डा नूरीवाला में वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा आई0टी0 पार्क के स्थान पर क्रीड़ा स्थल होने के एवज में सिडकुल के माध्यम से राजीव गाँधी क्रीड़ा स्थल विकसित किया गया। समय–समय पर उक्त क्रीड़ा स्थल के विकास एवं निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2005 में ग्राम पंचायत डाण्डा लखौण्ड की तत्कालीन भू–प्रबन्धक समिति द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 22–12–2005 द्वारा लगभग दो एकड़ से अधिक का यह क्रीड़ा स्थल इन्दिरा आवास कॉलोनी मौजा डाण्डा नूरीवाला से पूर्व व दक्षिण दिशा में मौजा डाण्डा लखौण्ड की सीमा तक राजीव गाँधी क्रीड़ा स्थल हेतु आरक्षित कर दिया गया था। सिडकुल द्वारा इसे मिनी स्टेडियम में विकसित करना तय किया गया था। यह भी संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है कि डाण्डा लखौण्ड के खसरा नं0 20 में स्थित राजीव गाँधी क्रीड़ा स्थल का अधिकाँश भाग नदी पर पुश्ता बन जाने के कारण क्रीड़ा स्थल में सम्मिलित है तथा डाण्डा नूरीवाला के खसरा संख्या 46 में भी उक्त क्रीड़ा स्थल नदी व ग्राम सभा की भूमि पर बना हुआ है। जिस पर प्रतीक रिसाट्र्स एण्ड बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। बिल्डर ने छोटे–छोटे प्लाटों खसरा नं0 46 के अन्य स्थानों से क्रय कर इनकी रजिस्ट्री भी करा रखी है और उनकी सीमायें भी दर्शायी गयी हैं, क्रय किये गये प्लाटों की दूरी मुख्य सहस्त्रधारा रोड से 350 मी0 से अधिक दर्शायी गयी है परन्तु अब उन प्लाटों को खेल मैदान में दर्शा कर अवैध कब्जा कर रहा है। मैं तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मालचन्द का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

राज्य बनने से अब तक लोक निर्माण विभाग में डी0पी0सी0 न होने से स्थायी विभागाध्यक्ष न मिलने से कार्यों में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, राज्य बनने से आज तक लोक निर्माण विभाग में डी0पी0सी0 नहीं हुई है। कोई भी रेगुलर विभागाध्यक्ष आज तक लोक निर्माण विभाग में नहीं हुआ है। जो भी हैं, उनको प्रभारी विभागाध्यक्ष ही बनाया गया है जिस कारण अधिकारियों में काफी उदासी और हताशा है और पूरे काम प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखण्ड की सड़कों का हाल बहुत बुरा है और 05–06 साल से भी अधिक समय से सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं। स्तर–1 और स्तर–2 के 07 विभागाध्यक्ष होने के बावजूद किसी को भी आज तक रेगुलर नहीं किया गया है। जहाँ स्तर–1 के विभागाध्यक्ष 12 साल से प्रभारी विभागाध्यक्ष के बतौर कार्य देख रहे हैं वहीं मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), मुख्य अभियन्ता योजना (प्लानिंग), मुख्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0), मुख्य अभियन्ता पौड़ी क्षेत्र एवं मुख्य अभियन्ता कुमाऊँ क्षेत्र एवं मुख्य अभियन्ता ए0डी0बी0 (एशियन डेवलपमेंट बैंक) सभी प्रभारी हैं। इस तरह विभाग की गति एक प्रकार से रुक सी गयी है। प्रमोशन न होने से विभागीय अधिकारियों की उदासीनता से सारे विकास कार्य ठप होने के कारण इस मामले को सदन के सम्मुख लाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार को तुरन्त विभागीय डी0पी0सी0 बुलाने एवं विभागीय प्रमोशन कमेटी बुलाने के निर्देश देने की मांग करता हूँ।

नियम-310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 में 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना श्री मदन कौशिक एवं 8 अन्य सदस्यों से है, दूसरी सूचना श्री अजय भट्ट, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं 5 अन्य सदस्यों से है एवं तीसरी सूचना श्री राज कुमार ठुकराल एवं 5 अन्य सदस्यों से प्राप्त हुई है। इनमें से दूसरी सूचना जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में आपदा पीड़ितों के मुआवजा विषयक है को नियम-58 में ध्यानाकर्षण हेतु ले लिया गया है। शेष 2 सूचनाओं में से मैं सूचना संख्या-1 जो श्री मदन कौशिक एवं 8 अन्य सदस्यों से गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी विषयक है, को मैं नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

श्री राज कुमार ठुकराल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जो सरकारी भूमि वहां पर खुर्द-बुर्द हो रही है। मैंने उसका सवाल उठाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

वह सूचना नियम-53 में ले रखी है। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल-

मान्यवर, इस सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना को नियम-53 में लिया है, आपकी सूचना दो जगह आयी हुई थी। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल-

मान्यवर, यह नियम-310 की सूचना है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियम-53 में मेरी दूसरी सूचना है, जो सड़कों से सम्बन्धित है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सरकारी नजूल भूमि खुर्द-बुर्द हो रही है। 1789 एकड़ भूमि खुर्द-बुर्द हो रही है, इसका संज्ञान

लेने का कष्ट करें। मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी कोई भी सूचना नहीं ली गयी है। मैं चाहता हूँ नियम–58 में इसको सुन लिया जाए। आपसे आग्रह है, सरकार के हित की बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम–53 में सुन लेंगे। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियम–53 का मामला नहीं है, यह नियम–310 और नियम–58 का मामला है। कृपया इसको स्वीकार करें, यह जनहित का मामला है। हजारों परिवार वहां पर नजूल भूमि पर बैठे हुए हैं, वे सरकार को पैसा देना चाहते हैं। जो जमीन वहां पर बची हुई है, वह खुर्द–बुर्द हो रही है। भू–माफिया जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मान्यवर, 1789 एकड़ भूमि है, जिस पर लोग बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

नियम–53 में आपकी सूचना ले ली है। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, नियम–53 में नहीं, बल्कि यह नियम–58 एवं नियम–310 में बहस का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना फिर कल दे दीजिए, कल ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, आज मेरे पास कोई विषय नहीं है। सवाल नहीं हैं ले लिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल ले लेंगे।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

आज नियम–58 के अन्तर्गत (1) श्री अजय टम्टा, (2) श्री राज कुमार ठुकराल, (3) श्री चन्द्रशेखर, (4) श्री मालचन्द, (5) श्री तीरथ सिंह, (6) श्री पूरन सिंह फर्त्याल, (7) श्री यतीश्वरानन्द, (8) श्री महावीर सिंह, (9) श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, (10) श्री मदन कौशिक एवं श्री अरविन्द पाण्डे, (11) श्री बिशन सिंह चुफाल, (12) श्री अजय भट्ट, श्री प्रेम सिंह एवं श्री चन्दन राम दास, (13) श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, (14) श्री राजेश शुक्ला, (15) श्रीमती विजय बड़थ्वाल, (16) श्री भीमलाल आर्य, श्री अजय भट्ट तथा अन्य माननीय

सदस्यगण, (17) श्री प्रेम सिंह, श्री संजय गुप्ता तथा अन्य माननीय सदस्यगण, (18) श्री आदेश चौहान, (19) श्री संजय गुप्ता, श्री महावीर सिंह एवं अन्य माननीय सदस्यगण, (20) श्री बंशीधर भगत तथा (21) श्री हरबन्स कपूर, की कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मैं इनमें से पहली सूचना श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, दूसरी सूचना श्री भीमलाल आर्य, श्री अजय भट्ट तथा अन्य माननीय सदस्यगण तथा तीसरी सूचना श्री बंशीधर भगत की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूंगा तथा माननीय सदस्य श्री बिशन सिंह चुफाल एवं श्री अजय भट्ट, श्री प्रेम सिंह, श्री चन्दन राम दास की सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा से सम्बन्धित सड़कों का मामला था। माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, मैं सदन का बहिष्कार करता हूँ। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, पीठ पर आरोप नहीं लगाते हैं, अपनी बात कहते हैं। (व्यवधान)

(श्री राज कुमार ठुकराल अपनी सीट पर बैठ गए।)

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, पंतनगर विश्वविद्यालय में कुलपति का मामला था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। दो साल से वहां पर कुलपति नहीं है। विश्वविद्यालय सफर कर रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कायदे से कुलपति का विषय नहीं लिया जाता है। कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, सरकार पैनल को लेकर बैठी हुई है, वह भेज नहीं रही है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, चयन की प्रक्रिया तो सरकार करेगी। कुलपति का मामला है, मैं कई बार कह चुका हूँ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इंटरव्यू में बुला रखा है, यह बात आपको पता है। आपके कैंडीडेट ने मुझे बताया है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मुझे पता नहीं है, आज पता चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ला जी, कृपया बैठ जाइये।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मर्दसू , मजरे ग्राम सुईना, धवाड़ा गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका।

*श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मर्दसू के मजरे ग्राम सुईना, धवाड़ा गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री रसपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण, ग्राम सभा मर्दसू, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बावनधार के मजरे ग्राम झावगी, जैदर के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा बावनधार के मजरे ग्राम झावगी, जैदर के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री सन्तराम एवं अन्य निवासीगण, ग्राम झावगी, ग्राम सभा बावनधार, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के विकास नगर की ग्राम सभा मटोगी के मजरे ग्राम रैडा, निगरोड़ा, खेड़ा, हरलोईथात, ढाकनी धार, कुरजील, ढुमन थात गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा मटोगी के मजरे ग्राम रैडा, निगरोड़ा, खेड़ा, हरलोई थात, ढाकनी धार, कुरजील, ढुमन थात गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री दीवान सिंह एवं अन्य निवासीगण, ग्राम निगरोड़ा ग्राम सभा मटोगी जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा भलेर के मजरे ग्राम क्वागी, बायढ़ीखील, मांडुवा गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकास नगर की ग्राम सभा भलेर के मजरे ग्राम क्वागी, बायढ़ीखील, मांडुवा गांवों के विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री खजान सिंह तोमर एवं अन्य निवासीगण, ग्राम बायढ़ीखील, ग्राम सभा भलेर, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री मदन कौशिक, स0वि0स0 द्वारा कल की कार्यसूची के मद संख्या–1 (प्रश्न) आज की कार्यसूची में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब हम सदन चलाते हैं तो कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो क्योंकि कल को जब हम इसको देखें तो कहीं न कहीं सोचना पड़े। कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा था, जिसे सदन ने सहर्ष स्वीकार किया था, वह प्रस्ताव था कि "कार्यमंत्रणा समिति के निर्णयानुसार सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित करते हुए सभा की कार्यसूची की आज की मदें कल की कार्यसूची में सम्मिलित कर ली जाएं।" मान्यवर, मद संख्या–1 कल की कार्यसूची में प्रश्न की थी, जिसको आज पूरा ही बदल दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मदें शब्द नहीं बोला था, मुझे नहीं पता कैसे लिख गया। मैंने कहा था कि आज के जो कार्य हैं, चूँकि आज सदन उठ रहा है, इसलिए उनको कल ले लिया जाए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह आप पढ़ लीजिए, आपके पास भिजवा रहा हूँ। अगर इसमें है तो यह भूल सुधार हो जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कभी–कभी इन लोगों से लिखने में भूल हो जाती है। लेकिन हमने सच में यही कहा था....

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, यह केवल कार्यवाही में आता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी कार्यवृत्त मिला है। कार्यवाही में देखेंगे। कार्यवाही प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक दिन नहीं मिलती।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप खूब जागरूक सदस्य हैं, आपने भी सुन लिया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कल को इसको आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी तो यह कहा जाएगा कि सदन में भूल सुधार क्यों नहीं किया गया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे नहीं पता। आपने बताया है लेकिन बोला यह नहीं गया था। सही बात यह थी कि चूँकि पहला ही था प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल को छोड़कर जितने भी नोटिस हैं, उनको कल ले लिया जाए।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, वह तय था लेकिन रिटन में नहीं आया। वह रिटन में आ जाए।

नियम–65 की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं नियम–65 में एक ऐसी सूचना देना चाह रहा हूँ जो नेता सदन के द्वारा इस सदन की अवमानना की गयी है। अगर आम सदस्य के द्वारा सदन की अवमानना हो जाए, तो वह बहुत गंभीर होता है, अगर नेता सदन के द्वारा अवमानना हो जाए तो वह और ज्यादा गंभीर, महागंभीर विषय होता है। नेता सदन ने पिछले सत्र में 08–06–2012 को यहाँ पर एक वक्तव्य दिया था, वह वक्तव्य मैंने अपनी जो नियम–65 की सूचना दी है, उसमें संलग्न किया है और उसको अण्डरलाइन किया है। "माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कौशिक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जो नन्दा देवी यात्रा होने वाली है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस यात्रा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और मैं एक कमेटी का गठन कर रहा हूँ, जो मेरी अध्यक्षता में रहेगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। यह यात्रा जिन जनपदों से होकर जाने वाली है, वहाँ के माननीय विधायक भी उसके सदस्य रहेंगे।" मान्यवर, यह माननीय नेता सदन की घोषणा इसके अन्दर है। मैंने सूचना के अधिकार में एक कागज लिया कि "क्या नन्दा देवी राजजात यात्रा वर्ष 2013 के लिए घोषणा कर दी गयी है ?" मुझे उस कमेटी में नहीं आना है, क्योंकि माँ की कृपा वैसे ही है। लेकिन जिन–जिन माननीय विधायकों के क्षेत्र से यात्रा जा रही है, वहाँ के विधायकों को तो लेना चाहिए था। फिर आपने जब कमेटी की घोषणा करी, या तो आप व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं या आपकी जो काम करने वाली एजेन्सी है, काम नहीं कर रही है या फिर आप जानबूझकर सदन को गुमराह करते हैं। 6 महीने बाद भी आपने गलत तथ्यों को रखा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो कमेटी बनायी है, सूचना के अधिकार में मैंने जो सूचना प्राप्त की है, उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, अध्यक्ष। श्रीमती अमृता रावत, माननीय पर्यटन मंत्री, उत्तराखण्ड, उपाध्यक्ष। श्री तरुण विजय, माननीय सांसद, राज्य सभा, उपाध्यक्ष। श्री सतपाल जी महाराज, माननीय सांसद, लोक सभा, विशेष आमंत्रित सदस्य। माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ (चमोली) सदस्य। माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र, कर्णप्रयाग (चमोली), सदस्य। माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र थराली (चमोली), सदस्य। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सदस्य। वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, सदस्य। प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सदस्य। महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड, सदस्य। आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौढ़ी, सदस्य। आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, सदस्य। जिला पंचायत अध्यक्ष, चमोली, सदस्य। जिलाधिकारी, चमोली, सदस्य। श्री भुवन नौटियाल, महामंत्री श्री नन्दादेवी राजजात समिति, नौटी, सदस्य। श्री सुशील रावत, अध्यक्ष, श्री नन्दादेवी राजजात समिति, नौटी सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह कुंवर, ग्राम कांसुवा, सदस्य, श्री शिव पैन्यूली, प्र0 सचिव, श्री नन्दादेवी राजजात समिति, देहरादून, श्री एस0एस0 पांगती, अध्यक्ष, विंटर गेम्स फैडरेशन ऑफ उत्तराखण्ड, सदस्य, आवश्यकतानुसार अन्य विशेष आमंत्रित महानुभाव, सदस्य एवं सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सदस्य। मेरा यह कहना है कि यह कोई साधारण बात नहीं है, इसी सदन के सदस्य माननीय दास साहब होंगे (व्यवधान) मान्यवर, थराली, बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग के माननीय विधायक तो हैं। माननीय सदस्य श्री दास साहब होंगे, माननीय सदस्य श्री फर्त्याल जी होंगे, जहाँ से, जो पड़ाव है, अल्मोड़ा से भी डोला जाता है, तीन जगहों से डोला जाता है, उनको किन कारणों से छोड़ दिया गया। यह बहुत बड़ी भूल है और सदन को इसमें गुमराह किया गया है और वह भी माननीय नेता सदन द्वारा। मान्यवर, इसमें हमें आपका संरक्षण चाहिये, आप इस सदन के सर्वेसर्वा हैं, सदन आपकी ही कृपा से और आपके ही रहमोकरम पर चलता है, हममें से कोई भी सदन से बाहर नहीं जा सकता है, हम बार-बार अधिकारियों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं। कल ही माननीय सदस्य श्री शुक्ला जी का 6 महीने बाद, आपके देने के बाद भी इनका काम होगा या नहीं, वह अभी भी भविष्य के गर्त में है। आखिर यह सरकार कैसे चलेगी, जब नेता सदन की ओर से सदन को इस तरह से गुमराह किया जाएगा तो हम माननीय मंत्रियों से क्या अपेक्षा करेंगे। इसमें आप उचित आदेश करें, कोई विनिश्चय दें। (व्यवधान)

मान्यवर, इसी तरह से तीन माननीय विधायक श्री राजकुमार ठुकराल, श्री राजेश शुक्ला, और श्री प्रेमचन्द अग्रवाल को छः महीने पहले इसी सदन में आश्वासन मिला कि जो इन पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको वापस कर लिया जाएगा, उसमें जांच होगी, वह भी रिकार्डेड है, लेकिन उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी का भी है, मान्यवर, अगर सदन में की गई बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा,

तो फिर सदन में हम लोगों का क्या महत्व है। हम प्रिविलेज्ड होते हैं, तो इसमें आप अपना संरक्षण दीजिये और सारे सदन की रक्षा करें, क्योंकि यह पूरे सदन की अवमानना है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने माननीय नेता सदन द्वारा उद्घृत जिस प्रश्न का प्रकरण बताया है और उसमें जो कमियां बताई कि जिस मार्ग पर यह यात्रा जाने वाली है, वहां के विधायकों को इस समिति में नहीं लिया गया है, इसका नोटिस हमने ले लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके उसमें संशोधन भी कर दिया जाएगा, यदि कोई और भी सुझाव होगा तो आपको भी आमंत्रित कर लेंगे, आपकी राय का सम्मान किया जाएगा। यह एक धार्मिक यात्रा है, किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है नेता प्रतिपक्ष का उन्होंने स्वयं नाम लिया, स्वाभाविक रूप से आप जाएं या न जाएं यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन आपका पूरा संज्ञान लिया गया है। आपको भी सम्मिलित किया जाएगा और आपने जो सुझाव दिए हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमको सम्मिलित करने का तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उन विधायकों को सम्मिलित किया जाना चाहिये, जहां से डोलियां निकलेंगी। अल्मोड़ा, कपकोट, बागेश्वर और नैनीताल के विधायक भी उसमें होने चाहिये। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपने बता दिया है, उसका सारांश यही है कि यह एक धार्मिक यात्रा है, इसमें पक्ष और विपक्ष को बिना देखे, जो लोग भी आपने बताए हैं, उनको सम्मिलित किया जाएगा। दूसरा आपने उल्लेख किया, मैंने ही सदन में कहा था, यह सही है कि उस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से संबधित विधायक मिले थे और उन्होंने आदेशित कर दिया है।

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, नंदाराज की बैठक की बात कर लूं। माननीय अध्यक्ष जी, कुमाऊं में एक बैठक अभी तक नहीं होती है। वर्ष 2013 में 75 साल के बाद कुमाऊं (व्यवधान) हम भी चाह रहे हैं कि हम लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

बता दिया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, उत्तर आ गया है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राहय करता हूं।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, नियम–65 में हमारी सूचना है। (व्यवधान) आपने अपने पूर्व विधायकों के पुत्रों को दे रखी है सुरक्षा। पुत्र गनर लेकर घूमते हैं रुद्रपुर में।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पुत्रों से क्यों पीड़ित हैं।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्रियों के रिश्तेदार गनर लेकर घूम रहे हैं। हम कोई सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। पूर्व विधायक तिलकराज बेहड़ के पुत्र घूम रहे हैं लेकर सुरक्षा, नोट कर लीजिए और 4–4 गार्ड लेकर घूम रहे हैं। मैं उस बात को नहीं कहता, मेरा कहना है कि सदन के अंदर पिछले सत्र में हम हमारे, प्रेमचन्द अग्रवाल जी और ठुकराल जी, इन तीनों को सुरक्षा देने की बात थी और साथ ही साथ जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं, उनको वापस लेने की बात थी। संसदीय कार्य मंत्री जी ने अश्योर किया था कि नही जाना पड़ेगा जेल, नहीं जमानत करानी पड़ेगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उस झूठे मुकदमे में मेरे यहाँ वारंट लेकर आए। मुझे जाकर कोर्ट में खड़ा होना पड़ा और उसी के काउन्टर पार्ट में तिलकराज बेहड़ थे, उनके यहाँ आपकी पुलिस नहीं गयी और आज तक नहीं गयी। जो यह भेदभाव हो रहा है, हम लोगों को हरेस किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसा करके हमें दंडित करने का काम किया जा रहा है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूँ और चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की घोषणा थी कि सरकार झूठे मुकदमे वापस लेगी और हम तीनों विधायकों को सुरक्षा दिलाएगी, वो दोनों कार्य नहीं हुए। यह सदन की अवमानना भी है, यह मेरी व्यक्तिगत अवमानना नहीं है, यह सदन की अवमानना है क्योंकि पूरे सदन के सामने आपने अश्योर किया था, इस पर मैं आपका विनिश्चय और संरक्षण चाहता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विपक्ष के विधायकों को जिस तरह से डराया–धमकाया जा रहा है, खेदजनक और शर्मनाक है। कोई ऐसा निर्देश आपका मान्यवर जाए कि सरकार आइन्दा से हमारे विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे दायर न करे।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, राज कुमार ठुकराल पर 06 महीने बाद धारा–302 लगा दी गयी है और हमारे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, अभी नियम–65 के तहत हमारे साथी राजेश शुक्ला जी ने अपना विषय रखा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि आपको सुरक्षा मिलेगी और जो आपके खिलाफ मुकदमे हैं, उनको वापस लिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा कहां से दी जाएगी मैं तो वैसे ही लुट गया, मेरे यहां तो चोरी हो गयी। जब चोरी हो गयी तो सुरक्षा कहां रही मान्यवर, ऊपर से जो हमारे ऊपर केस लगे हैं, झूठे केस लगे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र आई0डी0पी0एल0 के पास हमारे क्षेत्र के जो ग्रामीण लोग हैं,जो परेशान लोग हैं, जिनको लाइट मुहैया यह सरकार नहीं करा पायी, उसको लेकर यदि मैं वहां के प्रशासन से मिलता हूँ, मिलने के बाद उनसे वार्ता होती, उनसे बातचीत में तय होता है कि वहां पर लाइट लगेगी और उसके बाद पता चलता है कि मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया। और मुकदमा कायम होने के बाद, यह विषय नहीं है कि मुकदमा कायम हो गया, क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं, अनेकों मुकदमे हमने झेले हैं, सहन किये हैं, करेंगे, कोई विषय नहीं है, लेकिन कहना यह है कि जब सदन की प्रापर्टी बन चुकी है और सदन में आपके द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है। उसके बाद यदि हमारे मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से सदन की अवमानना है हमारे विशेषाधिकार का उल्लंघन है। जैसा कि माननीय मंत्री जी कहा कि इसे मैं दिखवा लूँगी, यह दिखवाने का कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी, खत्म होना चाहिए और कार्यवाही का कार्यक्रम होना चाहिए। (व्यवधान) मान्यवर, सीधे निर्देश आने चाहिए। 06 महीने पहले की बात है। 06 महीने से धैर्य रखे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार की कोई मंशा किसी भी निर्वाचित सम्मानित सदस्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की या किसी के द्वारा कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो उसके द्वारा किये गये किसी उत्पीड़न को बर्दाश्त करने के बारे में नहीं है। सरकार की नीयत साफ है, सरकार की ओर से कभी किसी माननीय सदस्य जो अपने क्षेत्र से निर्वाचित हैं, वह सम्मानित है। उनका यह विशेषाधिकार बनता है कि वह किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को अपने क्षेत्र में सरकार के विरुद्ध करे। जहाँ तक प्रश्न था सुरक्षा के बारे में, मेरी अपनी जानकारी में यह है कि सुरक्षा में दो गार्ड आपके पास, दो गार्ड माननीय ठुकराल जी के पास हैं। सम्भवतः आपको वाई प्लस की सुरक्षा चाहिए। हमने तो कभी भी वाई श्रेणी की सुरक्षा नहीं माँगी। जो आपके विरुद्ध लड़ रहा है उनके पास जरूर यह सुरक्षा थी।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आपके कहने के बाद कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको सुरक्षा में एक गार्ड मिलता है, हमारे पास आज भी एक गार्ड है। एक पुलिस की गाड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कृपा से आगे चलती है, पहले तो वह भी नहीं चलती थी। हमारी सरकार में नहीं चली आपने बड़ी कृपा करी उसमें चार, पाँच पुलिस वाले बैठते हैं वह हमारे आगे–आगे चलते हैं। हमने मित्तव्ययता की दृष्टि से ऐसा नहीं किया था। परन्तु वह व्यवस्था हमने तोड़ी नहीं वह चल रही है। जहाँ तक रहा सुरक्षा का सवाल, माननीय पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को एक गनर मिलता है। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको एक–एक और गनर उपलब्ध करा दिया है। (व्यवधान) आप यदि नहीं यह निवेदन करेंगे और नेता प्रतिपक्ष सदन में यह सुझाव देंगे कि वाई श्रेणी की सुरक्षा ही अनिवार्य है, इतनी गम्भीर बात है। मैं इस सम्बन्ध में, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके निर्णय ले लूंगी। यह ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमको इस बात को अवाइड करना चाहिए। यदि हमको वाकई में कोई जान का खतरा है तो वाई श्रेणी सुरक्षा या वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मांगें। इसे परम्परा या स्टेटस सिम्बल के रूप में न माँगा जाए। यह नेता प्रतिपक्ष जी से हमारा निवेदन है, आपने भी कभी नहीं माँगा, मैंने भी कभी नहीं माँगा। पहले एक होता था अब दो दे दिये गये। यदि वाई या वाई प्लस आप आवश्यक समझते हैं तो बता दें, वह किया जाएगा। जहाँ तक वापिस किये जाने का प्रश्न है यह सब अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी एक प्रक्रिया है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जाता है और उसका पूरा परीक्षण होता है कि इसमें क्या–क्या धारायें लगी हैं। यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसमें महीना, दो महीना लग जाता है। मैं इसका संज्ञान आज गृह विभाग के माध्यम से ले लूँगी कि उस विषय में क्या किया जा रहा है। कभी–कभी बैर के कारण भी ऐसा होता है जो बहुत निन्दनीय है और शर्मनाक है। हम सार्वजनिक जीवन में इधर या उधर बैठते हैं इस तरह बदले की भावना से इस प्रकार की कार्यवाही कराया जाना, यह ठीक नहीं है। इस बीच जो मैं सदन में नहीं कह सकती हूँ बाहर काफी गम्भीरता से भी हमारी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई कि पुलिस के लोगों की सरकार के अधीन रह कर कोई गलत कार्यवाही विरोधियों के विरुद्ध या निजी विरोधियों के प्रति करने की बात पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। उसके अन्तर्गत कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हटाया और हटाने के बाद वह कोर्ट से स्टे ले आए। इसको और गम्भीरता से लिया जा रहा है कि आखिर यह स्टे लेने कैसे चला गया। ऐसी कार्यवाही की गई जो शुक्ला जी को पूरी बात मालूम है। ऐसा नहीं है हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यह सब लोग तराई के हमारे साथी मुझसे मिलते रहते हैं, ये लगभग हमारे प्रतिपक्ष के विधायक हैं, जहाँ भी इनको हमारी सरकार के सहयोग, हमारे सहयोग की आवश्यकता होती है हम करते हैं। हमारी ओर से कोई ऐसी बात नहीं है। यदि आप समझते हैं वाई श्रेणी वाई, प्लस श्रेणी की आवश्यकता है तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहूँगी कि इस पर आपकी संस्तुति चाहिए, बता दें।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने भी कभी नहीं माँगी। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने भी कभी नहीं माँगी। आपको कोई खतरा है ही नहीं, मुझसे ही खतरा हो सकता है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो प्रेम जी कह रहे हैं और वह अपनी पीड़ा अलग से कह रहे थे कि मुझे जो सुरक्षा मिली है, उसके बारे में, मैं वाई श्रेणी की सुरक्षा नहीं मांग रहा हूँ। लेकिन आपने कह दिया है कि दो गनर मिले हैं, वह गलत है। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान हुआ।)(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय सुबोध उनियाल जी से खतरा है। (हंसी) मैं यह बताना चाह रहा था कि मेरे पास दो गनर नहीं हैं। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान हुआ। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुकदमा वापस करने की बात है, मैं आज पता करूंगी और उसकी एक लम्बी प्रक्रिया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे पड़ोस से ही आती हैं और हमारी वरिष्ठ सदस्य भी हैं तथा आप तराई की सारी परिस्थिति से अवगत हैं। वहाँ पर किस स्तर की राजनीति हो रही है, किस तरह बदले की भावनाओं से पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, (व्यवधान) किस तरह से पार्टी के अन्दर भी अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, हम वाई और जेड श्रेणी की बात नहीं करते हैं, आप परीक्षण करा लें। अगर आपको लगता है कि हमारी जान को खतरा नहीं है तो हमारे साथ जो एक गनर दे रखा है आप उसको भी वापस कर लें। (व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके पास एक गनर है या दो हैं, आप यह तो बता दें। (व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आपके कहने पर हमें कोई गनर नहीं मिला है। मेरा आपसे सिर्फ यह निवेदन है कि हमारी जान को खतरा है या नहीं है, इसके लिए सरकार जाँच कर ले और सरकार जिस श्रेणी की सुरक्षा हमें देना चाहती है उस प्रकार की सुरक्षा को दे दें। आपकी तरफ से सदन में यह कह गया था कि इन विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे देंगे और आपने कहा था कि इनके मुकदमे वापस लेंगे। (व्यवधान) मान्यवर, न मुकदमा वापस हुआ और न इसके अलावा हमको कोई सुरक्षा मिली है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपके पास दो गनर हैं या एक गनर है।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मेरे पास केवल एक है। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान हुआ।)(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने यहां पर कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव देंगे तो हो जाएगा। मैं "वाई" सुरक्षा के लिए कोई प्रस्ताव नहीं देना चाहूँगा। क्योंकि पहली विधान सभा में मुझे वाई सुरक्षा दी थी, उस समय माननीय यशपाल आर्य जी, इस पीठ पर बैठे थे। उस समय कतिपय गम्भीर कारण ऐसे हो गये थे, वह भी हमने पिछली बार हटा दी। मान्यवर, जो माननीय मंत्रियों के आगे एस्कार्ट चलती है वह हमको आज तक नहीं मिली है। इससे पूर्व जो यहां माननीय नेता प्रतिपक्ष थे उनके आगे बराबर चलती थी। हमको आज तक मकान भी नहीं मिला है, हम इस सदन में क्या बात कहें।(व्यवधान) अगर सदन में कोई बात कहते भी हैं उसकी प्रतिपूर्ति होगी और वह बात मानी जाएगी, ऐसी तो कुछ है ही नहीं। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं तो आप कभी सरकार को ऐसे निर्देश दीजिए और उसमें सरकार को भी लगे कि माननीय अध्यक्ष जी ने कोई निर्देश दिये हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जिनका हम बड़ा सम्मान भी करते हैं। अब हम नेता प्रतिपक्ष हो गये हैं और कभी–कभी बचपना भी कर लेते हैं, वह बात अलग है। मान्यवर, यहाँ पर माननीय मंत्रिगण साथ–साथ न बैठें, पहले एक विधायक, फिर एक मंत्री इस क्रम से बैठें। क्योंकि चारों मंत्री प्रश्नों के उत्तर में एक साथ उठ जाते हैं। मान्यवर, आप हमेशा कहते हैं कि ये बच्चे हैं उनको सिखाओ और माननीय विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम कराया गया है। मेरा यह कहना है कि प्रबोधन कार्यक्रम मंत्रियों के लिए आवश्यक हो गया है (हंसी) अभी एक माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया, उस प्रश्न के उत्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिए तीन माननीय मंत्रिगण उठ गये। मान्यवर, इसलिए मैं "वाई" सुरक्षा की बात तो नहीं करता हूँ लेकिन अगर आपका आश्वासन है।

मान्यवर, आपने अगर कहा है तो वह फिर इस हाउस की प्रापर्टी बन गई है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने नहीं कहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं कार्यवाही दिखवा लूँगा और अगर कार्यवाही होगी तो मैं अपनी तरफ से लिखकर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आपको भिजवा दूँगा, इसलिए मैं अपनी तरफ से वाई कैटगरी किसी को भी तब तक देने के लिए निवेदन नहीं करूँगा, जब तक मामला बहुत गम्भीर न हो।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, आपने कार्यवाही में तो मूल निवास के लिए भी कहा, पर उसका आज तक कोई जी0ओ0 लागू नहीं हुआ है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि यदि हमारे किसी सदस्य को वास्तव में खतरा है, यही नहीं चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों यदि ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आपके माध्यम से आपके विवेक से निर्देश हो जाएं, जब सदन चल रहा है तो आपकी तरफ से हो जाए या फिर आपको पत्र लिखें आपकी तरफ से पत्र चला जाए, या फिर सरकार स्वयं संज्ञान ले उसकी जाँच करवाकर कि उसको कितना खतरा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राजेश शुक्ला जी, माननीय श्री राज कुमार ठुकराल जी और माननीय श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी ने नियम–65 के अन्तर्गत जो सूचना दी है वह सूचना अपने आप में बहुत गम्भीर सूचना है, माननीय सदस्यों ने यह सदन को अवगत कराया है कि उनकी जानमाल को बहुत बड़ा खतरा है, मैं सरकार को निर्देशित करता हूँ कि वो एक महीने के अन्दर इसकी गम्भीरता से जाँच करें और अगर ऐसे कोई तथ्य पाए जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें। तत्पश्चात उक्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी नियम–65 में सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

जी हाँ, आपकी भी है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, विधान सभा के द्वितीय सत्र में मेरे द्वारा प्रश्न संख्या–30, जो साल्ट विधान सभा के विद्युतीकरण से कितनी तोकें छूट गई प्रश्न किया गया था तो माननीय ऊर्जा मंत्री, जो स्वयं माननीय नेता सदन हैं उनके द्वारा उत्तर आया था कि 14 तोक छूट गए हैं, जिनका 31 अगस्त, 2012 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा, ऐसा जवाब माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्री, जो स्वयं माननीय नेता सदन हैं उनके द्वारा दिया गया था। मान्यवर, मेरी विधान सभा में राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत............।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री जीना जी, आपने नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना पहले दी थी जिसमें आश्वासन बना हुआ है और आश्वासन समिति को यह प्रश्न गया है, उस पर आश्वासन समिति अपना काम कर रही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक निवेदन आपसे यह करना चाहता हूँ कि अगर क्लियर डेट 31 अगस्त आ गई है तो उस पर आश्वासन कैसे बनेगा, कर दिया जाएगा, करते हैं, सोचेंगे, विचार करेंगे, इन शब्दों पर आश्वासन बनता है, यहाँ तो क्लियर डेट आ गई है कि 31 अगस्त तक, और वह डेट चली गयी है, तो इसमें आश्वासन कैसे बना, इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है इसलिए इसमें आपका विनिश्चय चाहिए, आपकी कृपा चाहिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी अवमानना क्या हुई उसे तो सुन लीजिए, मैंने नियम–51 में दिया जब ग्राह्य नहीं हुआ, मैंने नियम–299 मे लगाया उसमें ग्राह्य नहीं हुआ, तो मैंने नियम–65 में लगाया तो उसमें मेरी क्या अवमानना हुई उसके बारे में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे उच्च पद पर यहाँ पर हैं, जब उनके द्वारा यहाँ पर बता दिया गया कि विद्युतीकरण 31 अगस्त, 2012 तक हो जाएगा, क्योंकि लगातार वर्ष 2008 से हम लोग चाहे अधिकारी हों, चाहे कर्मचारी हों, सरकार चाहे किसी की भी हो, यह पूरे अल्मोड़ा जिले का मामला है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके यहाँ, भी आज तक कई तोक छूट गये होंगे, कई गाँव छूट गये होंगे, आज बड़े–बड़े विज्ञान की बात कर रहे हैं और आज भी लोग अँधेरे में जी रहे हैं। जब पैसा है, बिजली के खम्भे जगह–जगह पड़े हैं, तारें पड़ी हैं, बिजली के मीटर पड़े हैं, उसके बावजूद अधिकारी/कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं और आइकॉन

टैली किसी कम्पनी को ठेका दिया गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बार–बार हमारे कहने के बाद हमें जवाब मिलता है, मेरे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य कई बार डी0एम0 कार्यालय में जाकर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। मान्यवर, जिलाधिकारी द्वारा जवाब दिया जाता है कि एक महीने में विद्युतीकरण करा दिया जाएगा। मैं बार–बार अधिकारियों से बैठक कर रहा हूं मुझे कह दिया जाता है कि हम तत्काल चालू कर रहे हैं और तत्काल खत्म कर देंगे। इसके बाद मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों को बोलता हूं कि आपने मुझे विधायक बनाया है। मैं इस बात को विधान सभा में रखूंगा जो सबसे बड़ा सदन हमारा है। जिनके लिए हम चुनकर आए हैं इतना करोड़ों रुपये खर्च करके। (घोर व्यवधान–हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, चुनावों में बहुत पैसा लगता है। मान्यवर, चुनाव में पूरा शासन–प्रशासन लगता है, इस पर करोड़ों से भी ज्यादा खर्च आता होगा इन 70 लोगों के चुनाव में। माननीय अध्यक्ष जी, एक शेर सुना देता हूं, इनको:–

"मुखाल्फत से मेरी शख्सियत संवरती है,

ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं,

मैं तो दुश्मनों का भी ऐतराम करता हूं।"

मान्यवर, हमारे करोड़ों रू0 खर्च होते हैं, यहां तक चुनकर आने में, पूरा शासन–प्रशासन लगा रहता है तब जाकर हम यहां आते हैं। लोग हमारी बात पर भरोसा करते हैं, हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब लगातार कार्य नहीं हो रहा था तो मैंने कहा कि मैं इसको विधान सभा में उठाऊंगा। ऊर्जा मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं तो लगता है कि वे सही जवाब देंगे। मान्यवर, सरकार का जवाब आया कि 31 अगस्त, 2012 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। मान्यवर, इस भरोसे मैंने अपने क्षेत्र की जनता को, जो जिला पंचायत सदस्य आंदोलन कर रहे थे, उनको आश्वासन दिलाया कि ऊर्जा मंत्री जी का जवाब आया है कि विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। आज दिसम्बर आ गया है इन 14 तोकों में से आधे तोक तो ऐसे हैं, जहां पर विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। अब हम अपनी पीड़ा को लेकर कहाँ जाएं। हमारा विधायक बनने का क्या औचित्य रह गया है। यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है, यह पूरे अल्मोड़ा जिले का मामला है। ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम जनता के सामने जा नहीं पा रहे हैं, माननीय नेता सदन के जवाब के कारण भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो अब हम जाएं कहां ? यह मेरी बहुत बड़ी अवमानना हुई है, मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि 31 अगस्त तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा। मैं आपके सामने अपनी बात को रख रहा हूं और आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आवश्यक कार्रवाई जरूर होगी। मान्यवर, इसमें एक तय तिथि दे दी जाए, यदि 31 अगस्त तक नहीं हुई

तो इस वित्तीय वर्ष में कम से कम पूरा हो जाए। मान्यवर, जब नेता सदन माननीय ऊर्जा मंत्री की बात को अधिकारी/कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं तो मैं एक छोटा सा विधायक हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मेरी कोई पावर है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में तो विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, अगर यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि इस सदन में यह उत्तर आया था कि दिनांक 31–08–2012 तक पूर्ण होने की संभावना है, लेकिन माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में अतिवृष्टि हुई। इसके कारण रास्ते सब क्षतिग्रस्त हो गये थे और बंद भी हो गये थे, जिसके कारण विद्युतीकरण कार्य एकदम रुक गया। अब इन तोकों के विद्युतीकरण का कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि जनवरी में ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तोक पाथर एवं रणपाथर का कार्य अगले तीन दिनों में पूर्ण होने की सम्भावना है। मान्यवर, सल्ट क्षेत्र में आठ तोक मिल्किया, डाबरू, गोदी, जमला पानी, डांडा गांव, तहे, छीपा, कुषरांण तोपों का विद्युतीकरण, वर्तमान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा डिस्ट्रिक इलेक्ट्रीसिटी कमेटी के अनुमोदन के पश्चात ही उन्हें आगामी योजना में शामिल किया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इसे कम्प्लीट तो करा दें।

श्री अध्यक्ष–

जनवरी तक कह तो दिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जनवरी तक सम्भावना।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव समय पर न कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हरबन्स कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

*श्री हरबन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। निकट भविष्य में प्रदेश में स्थानीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निकाय के चुनाव होने हैं, या संभावित हैं। परन्तु सरकार या तो समय से चुनाव कराना नहीं चाहती है, उसकी मंशा क्या है। मैं यह जान नहीं सकता। परन्तु सचिव निकाय ने. ......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कौन सी व्यवस्था में आ गया है।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, चुनाव एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस सदन का कर्तव्य है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन हो। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार की मंशा बिलकुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कपूर जी, इसको किसी नियम में दे दीजिए।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो आ जाए। (व्यवधान) सचिव स्थानीय निकाय ने निर्देशित किया है कि परिसीमन की कार्यवाही रोक दी जाए।

श्री अध्यक्ष –

मैं इसको व्यवस्था में नहीं सुन रहा।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य किस नियम में बोल रहे हैं ?

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था में नहीं सुन रहा हूँ।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कपूर साहब, आप किसी नियम के अन्तर्गत विधिवत् सूचना दे दीजिए, तो आपकी सूचना लेकर उस पर चर्चा करा दी जाएगी।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, मैं चर्चा नही चाहता।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था में नहीं आता।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इसमें आपका विनिश्चय आ जाए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसी नियम में दे दें। अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप कोई प्रश्न पूछेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, एक तरफ परिसीमन पर रोक लगा दी गयी है। दूसरी ओर डी0एम0 पार्षदों से कह रहे हैं कि इसमें सहयोग दीजिए। (व्यवधान)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 की बैठक में दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

दिसम्बर, 2012

13 गुरुवार,

1–विधायी कार्य।

1. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
2. उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
3. उत्तराखण्ड राज्य एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)
4. उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

2. <u>नियम–54 के अन्तर्गत सूचना।</u>

(1) श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा के नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:–

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाए जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" (30 मिनट)

(2) श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा के नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:"

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।" (30 मिनट)

3. <u>नियम–105 के अन्तर्गत प्रस्ताव।</u>

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा।

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाए।" (30 मिनट)

(2) नियम–105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

"यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य जनपद देहरादून के हर्रावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाए।" (30 मिनट)

14 शुक्रवार,

1–<u>विधायी कार्य।</u>

1. उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

2. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

3. विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण। (30 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012

संसदीय कार्य मंत्री(श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि हमारी नियम–310 की सूचना को आपने कार्य–स्थगन में परिवर्तित कर उसकी ग्राह्यता पर बोलने का मुझे अवसर दिया है। मान्यवर, पिछले दिनों विधान सभा के अन्दर माननीय गन्ना मंत्री जी ने गन्ने का मूल्य घोषित किया और उसकी राशि 295 रुपये रखी और यह उत्तर प्रदेश से 5 रुपया अधिक है, ऐसा उल्लेख भी यहां पर किया गया। मान्यवर, सरकार ने जहां एक ओर पहले से ही गन्ना मूल्य इतना कम दिया है कि किसानों में इस मूल्य को लेकर बहुत आक्रोश है। किसानों के प्रतिनिधि लगातार आन्दोलित हैं, यह अपने प्रतिनिधिमण्डल के रूप में माननीय नेता प्रतिपक्ष से, माननीय नेता सदन से और संभवतः माननीय गन्ना मंत्री जी तथा अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात कर अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। सरकार ने किसानों

के ऊपर एक कुठाराघात किया है। मान्यवर, किसानों का गन्ना जो मिल लेती हैं, उनसे 5.75 रुपये के हिसाब से ढुलाई ली जाती थी। मान्यवर, एक ओर तो 5 रुपया मूल्य अधिक देने की घोषणा की गई, दूसरी ओर 5 रुपया 25 पैसा ढुलाई में बढ़ाकर 11 रुपया कर दिया गया। इसके आदेश विभिन्न समितियों को प्राप्त हो गये हैं और गन्ना आयुक्त के द्वारा वहां यह आदेश पहुंचने के बाद किसानों में जो पहले से ही आशंका थी कि सरकार पहले गन्ना मूल्य कम घोषित करेगी और गन्ना मूल्य घोषित करने में देरी के पीछे मिल मालिकों का हित छिपा होगा, तो वह आशंका अब कहीं न कहीं सही साबित होती दिख रही है कि सरकार एक ओर 5 रुपये बढ़ोत्तरी की घोषणा कर देती है तो ढुलान में 5 रुपये 25 पैसे की बढ़ोत्तरी की घोषणा कर देती है। इससे किसानों को 25 पैसा और भी कम मिल रहा है।

मान्यवर, इससे एक नहीं, चार जिलों के एक लाख बहत्तर हजार रजिस्टर्ड किसान प्रभावित हो रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वह अलग होंगे, जो छोटे किसान हैं या जो बड़े परिवार हैं और एक ही के नाम रजिस्ट्रेशन है, तो यह संख्या दो से सवा दो लाख तक की होगी, जिन्होंने अपना गन्ना समितियों के माध्यम से मिलों को देना है। इसलिये यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इससे अविलम्बनीय, लोक महत्व का और तात्कालिक विषय और कोई हो नहीं सकता है। आज जब इस विषय की सूचना सारे जिलों में गई, किसानों के प्रतिनिधि जो पहले से ही आन्दोलित थे, किसानों की वह सारी संस्थाएं, जो किसानों के लिये काम करती हैं, पहले से ही सरकार के मन में उनके प्रति एक गुस्सा था, इसके पहुंचने के बाद कहीं न कहीं वह विषय पुनः बलवती हो गया है और किसान फिर से सड़कों पर आ गया है। चूंकि इस सूचना पर हमारे अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं और वे भी अपनी बात को रखना चाहेंगे, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा की मांग करता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर बात है कि तीन दिन पहले आपने पांच रुपये बढ़ाये और दूसरे ही दिन आपने उनसे पांच रुपया, पच्चीस पैसा वापस कर लिया, किराये के रूप में। यानी कि किसानों को कुछ भी नहीं मिला और उसका शासनादेश भी कल निकाल दिया गया, शासनादेश रोका होता और प्रपोजल बनाया होता तो तब भी कोई बात थी। किसानों के प्रति सरकार का यह व्यवहार बिलकुल असंवेदनशील है, यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिये सारे विषयों को रोककर इस पर सदन में चर्चा कराई जाए। इस पर मैं आपका विनिश्चय चाहता हूँ।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, नियम–310 के विपरीत नियम–58 में आपने इस विशेष और बहुत ही संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, अभी भाई मदन कौशिक जी ने बहुत गंभीर विषय गन्ना मूल्य को लेकर यहां सदन में रखा। चूँकि आज प्रदेश के अंदर गन्ना किसान, वास्तव में जिस समय रेट घोषित हो रहा था एक विश्वास था उसको, कि साढ़े तीन सौ रुपये रेट घोषित होगा। हमने भी उसकी मांग की, पुरजोर मांग की, लेकिन सरकार ने पूरा उसको अनसुना करते हुए 295 रुपये रेट घोषित किया। आज आप और हम सब समझ सकते हैं जिस प्रकार से गन्ने का किसान मेहनत करके और गन्ना मूल्य प्राप्ति की जब वो बात करता है तो वो पैसा नहीं मिल पाता जो आज सरकार उनको दे रही है। चाहे उसमें मेहनत की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे अन्य मेहनतकश मजदूरी की बात हो, वो पैसा उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। उसके बाद सरकार की मंशा साफ नहीं दिख रही है इस मुद्दे पर, क्योंकि उन्होंने सवा पाँच रुपया ढुलाई बढ़ाकर सीधे-सीधे उसके मंसूबों पर कुठारपात किया है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यह गन्ना ढुलाई नहीं मंशा की धुलाई करने का काम सरकार ने किया है। मान्यवर, अभी जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो सरकार ने घोषणा की कि वैट उस पर घटा दिया जाएगा और जहां टिहरी पर ये चुनाव हारे इन्होंने वैट को खत्म कर दिया। यह सरकार निश्चित रूप से किसानों के साथ, जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है इस प्रकार से मुझे लगता है कि सरकार जनता को धोखे में रख रही है, जनता के साथ अन्याय कर रही है मुझे एक जुमला कहना इस अवसर पर ठीक लगता है। "कि जुल्म भी वही करते हैं, सितम भी वही, शिकायत किससे करूँ, हुकूमत भी वही करते हैं।" मान्यवर, इस सरकार को आपकी ओर से निश्चित रूप से निर्देश जाना चाहिए कि जो सरकार के ऊपर कुठारापात हुआ है जो सीधे-सीधे सवा पाँच रुपया ढुलाई का रेट बढ़ाया है, इसको निश्चित रूप से वापस लिया जाए।

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, आपने माननीय मदन कौशिक जी द्वारा नियम-58 में लगायी गयी सूचना में सुनने के लिए कहा, इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, यह सरकार जब से सत्ता में आयी तभी से लग रहा था, यह किसान विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार है। ये किसान विरोधी हैं, ये मजदूर विरोधी हैं, ये छात्र विरोधी है यह प्रारम्भ से लग रहा था, लेकिन आज इन्होंने अपना चेहरा और साफ किया है। पहले कहा हम पाँच रुपये मूल्य बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ज्यादा हम दे रहे हैं। झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास इससे अधिक और क्या हो सकता है और उसके तुरन्त बाद एक नया कानून लागू कर दिया कि भाड़े में सवा पाँच रुपये की वृद्धि कर दी, यानी जो किसान को मिलता उसमें भी पच्चीस पैसा और कटौती कर दी। आदरणीय दुर्गापाल जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इसलिए खड़ा हो गया थोड़ा कि उधर दुर्गापाल जी क्यों चुप बैठे हैं। जब मैं कृषि मंत्री होता था रोज एक न एक शिष्टमण्डल इनका आता था किसानों के गन्ने का क्या होगा और आज ये चुप बैठे हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ मान्यवर, किसान को आज मिल क्या रहा है। मैं इस बात को गारन्टी से कह सकता हूँ किसान अगर खेती पर आधारित

है केवल, केवल खेती पर वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा है तो वह अपनी लड़की का विवाह बिना कर्ज लिए, बिना जमीन बेचे कर ही नहीं सकता है। ऐसी हालत आज है कि पिछले 5-10 सालों में खाद के दाम, जुताई के दाम, सिंचाई के दाम, जो दवाएं हम छिड़क रहे हैं उनके दाम इतने बढ़ गये हैं कि किसान को अब खेती पर कोई प्राफिट है ही नहीं। इसलिए किसान खेती बेचने पर आमादा हुआ है। खेती को बेच रहा है और ऊपर से सरकार का ये कि पाँच रुपये बढ़ाये और ऐसा षडयंत्र रचा कि 25 पैसा और किसान को घाटा हो जाए, इससे यह साफ जाहिर है कि यह सरकार किसान विरोधी है, यह किसान को पनपने नहीं देखना चाहती और मैं दुर्गापाल जी से कहना चाहता हूँ कि कृपा करके वो इस पर अपनी बात जरूर रखें कि वो किसान के लिए क्या चाहते हैं, क्योंकि जब मैं कृषि मंत्री था और गन्ना मंत्री था तो निश्चित रूप से इनके कष्ट को मैं सुनता था और मैं इनको कहता था कि ये सब कुछ हो रहा है। ये उस समय बात को समझते नहीं थे तो आज क्या ये समझ गये हैं। आज क्यों नहीं ये बोल रहे हैं कि पाँच रुपये आपने बढ़ाकर सवा पाँच रुपये घटा दिया, किसान की कमर तोड़ दी। आप कृपया इस पर कुछ जरूर बोलें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री संजय गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 में बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यह सरकार किसानों के साथ बार-बार धोखा कर रही है। पूर्व की सरकार ने उत्तर प्रदेश से 10 रुपये अधिक गन्ने का भाव दिया था। अब की सरकार ने केवल पाँच रुपये मूल्य बढ़ाया है और पाँच रुपये पच्चीस पैसे ढुलाई में काट रही है तो यह सरकार का किसानों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। दूसरी बात जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर किसानों को अगर 14 दिन से ज्यादा दिन में पैसा दिया जाता है तो उसको उसका ब्याज मिलना चाहिए। जब कि अन्य जो सरकारी संस्थायें हैं उनके द्वारा किसानों को जो खाद बीज दिया जाता है उस पर सरकार ब्याज लेती है यह भी किसानों के साथ धोखा है। यदि किसान अपना गन्ना पैक करके भेजता है तो उस पर कटौती की जाती है। व्यापारी यदि कोई सामान पैक करता है तो उसका सामान के साथ तुलता है। तो यह सरकार का दोहरा रूप नहीं होना चाहिए। मेरी यह माँग है कि गन्ने का मूल्य 10 रुपये ही बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात जो 5.25 रुपये ढुलाई के द्वारा काट लिया जा रहा है, इसको वापस लिया जाना चाहिए।

श्री राजेश शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 में बोलने का मौका दिया इसका आपको धन्यवाद। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से यह कांग्रेस सरकार आयी इसकी नीयत और मंशा यह है कि यह इस प्रदेश में गन्ना उद्योग को और गन्ना किसानों को खत्म करना चाहती हैं। इनका प्राइवेट उद्योगों से सम्पर्क है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूँ कि इसी के तहत पहले इनको पी0पी0पी0 मोड पर देने की बात हुई थी, इसका

किसानों ने भारी विरोध किया। अब जानबूझकर ऐसे निर्णय लिये जा रहे हैं जिससे किसान गन्ने की खेती से विमुख हो। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के समय जो इसकी सीमायें तय की गई उसमें बहुत से गन्ना, चीनी मिलों का कमाण्ड ऐरिया छूट गया, पहले से यह दिक्कत चीनी मिल झेल रही हैं। कई जगह पर उनके पास गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऊपर से जो हमारी सरकार की नीति बन रही है, विशेष तौर पर जो हमारी वर्तमान सरकार है। पहले परम्परा रही है कि हम पहले उत्तर प्रदेश से 10 रुपये ज्यादा देते थे, इस सरकार ने 5 रुपये भी इस तरह से दिये कि भीख माँगी जा रही हो, बहुत संघर्ष करने के बाद 5 रुपये किसानों का बढ़ाया गया। एक तरफ पाँच रुपये बढ़ाने की बात हुई उसी दिन पाँच रुपये उनसे अधिक वसूलने का निर्णय ले लिया गया। मैं कहना चाहता हूँ "जहाँ प्यास कम वहाँ दम ब दम, जहाँ प्यास है वहाँ कम से कम साखी तेरे मयखाने का यह उसूल है या मजाक।" मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं कि चीनी मिलें हमारी संकट में हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 रुपये कुन्तल चीनी मिलों से जो उत्तराखण्ड शुगर ले रहा है जो तीन रुपये प्रति कुन्तल शीरे के आप ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, जब कि आपको मालूम है कि मिलें सफर कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, जानना चाह रहा हूँ कि क्या उपयोग उसका हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल के किसानों की ओर से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। कृपया जो 100 परसेन्ट बढ़ाया गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ होगा। वास्तव में कभी किराया बढ़ाये जाने की आवश्यकता रही होगी तो 10, 20 और 50 पैसे बढ़ा लेते, एक रुपये बढ़ा लेते। आपने जिस तरह से दुगने से ज्यादा बढ़ा दिया और एक साथ सवा दस रूपये कर दिया यह बिलकुल औचित्यहीन है, किसान विरोधी है। इसी के साथ मेरी प्रार्थना है कि इसको आप वापस लेने का निर्देश सरकार को जारी करने का कष्ट करें।

*श्री चन्द्र शेखर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ और सभी सदस्यों को सम्बद्ध करते हुए किसानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि किसान कोई व्यापारी नहीं है। पाँच रुपये देकर सवा पाँच रुपये काट लिये, आज वह लोग अब भी आन्दोलित हैं।

मान्यवर, आज भी किसान आन्दोलित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उनके 10 रुपये बढ़ने चाहिए थे, उसमें पच्चीस पैसे और अधिक काट लिये गये हैं। मान्यवर, किसान एक ऐसा इंसान है यदि उसका सामान तुलता है यानी गेहूँ तुलता है तो एक किलो की कटौती की जाती है। इसी प्रकार गन्ना तुलता है तो उसमें भी कटौती की जाती है। मान्यवर, यदि व्यापारी के वहां जाते हैं तो मिठाई का डिब्बा भी उसी समान में तुलता है। लेकिन किसान के समान का वजन अलग से लिया जाता है। मान्यवर, डीजल तीन चार बार बढ़ चुका है लेकिन सरकार इसको बिलकुल नहीं देख रही है और मजदूर नही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलता है यदि मिलता भी है तो 250 रुपये से कम में नहीं मिलते हैं। मान्यवर, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। मैं तो यह कहता हूँ आपने जो पांच रुपये बढ़ाये हैं, उनके पांच रुपये उलटे काट लीजिए, किसान बिलकुल नहीं मरेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके दस रुपये बढ़ाये जायं, आज किसान से गरीब कोई भी नहीं है। मान्यवर, जब किसान सर्दी के महीने में उन खेतों में पानी देता है तो तब गन्ना पैदा होता है। इसमें से शायद किसी भाई को न पता हो, यदि इसमें से कोई किसान हो तो उसी को यह पता होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 10 रुपये जरूर बढ़ाये जायें। धन्यवाद।

*श्री आदेश चौहान–

माननीय, आपने माननीय मदन कौशिक जी की नियम–310 की सूचना को नियम–58 की ग्राहयता पर, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, जब पिछला सत्र चल रहा था तो माननीय मदन कौशिक जी ने गन्ना मूल्य भुगतान का विषय उठाया था तो उस समय जिस तरह का जवाब माननीय गन्ना मंत्री जी के द्वारा आया था तो उस समय प्रदेश के गन्ना किसानों को यह आशंका थी कि हमारे साथ अब कुछ अनर्थ होने वाला है। वास्तव में वह अनर्थ इस बार किसानों के साथ किया गया जो गन्ना मूल्य की घोषणा की गयी है। मान्यवर, पिछले कई वर्षों से यह परम्परा रही है कि उत्तर प्रदेश से 10 रुपये ज्यादा बढ़कर हम लोग किसानों को मूल्य दिया करते थे। मान्यवर, केन्द्र सरकार के कारण इस समय जो महंगाई बढ़ी है तो यह किसान की जो लागत है वह इस समय लगभग दुगुनी हो गयी हैं। हमको जो खाद का बोरा 400 रुपये में मिलता था वह इस समय 1200 रुपये में मिल रहा है, डीजल इतना बढ़ गया है और मजदूरी बहुत बढ़ गयी है। जब ऐसे में हमारी लागत दुगुनी हो गयी है तो किसानों की मांग थी, वास्तव में वह दुगुनी होनी चाहिए। सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है और जो परम्परा रही है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा मूल्य दिया जाएगा, उसका भी निर्वहन नहीं किया गया है, केवल मात्र पांच रुपये बढ़ाये गये हैं। उसके बाद भी किसानों के साथ इतना बढ़ा धोखा, कि उसी दिन किसानों से 5.25 पैसे ढुलाई के नाम पर काट लिए गए हैं। आज यहां पर मेरे भाई फुरकान जी, अंसारी जी बैठे हैं पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं? (कई माननीय सदस्यों बैठे–बैठे अपनी बात को कहने लगे जिससे व्यवधान हो गया।) (घोर व्यवधान के मध्य) मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर यही स्थिति हमारी सरकार की रही तो हमारे प्रदेश के अन्दर एक लाख 72 हजार गन्ना किसानों के परिवारों की बात नहीं, उनसे जुड़े हुए मजदूरों की आजीविका का प्रश्न है। मान्यवर, यदि यही स्थिति रही और गन्ना किसानों ने गन्ना बुआई बन्द कर दी तथा उससे विमुख हो गया तो यह देश तथा प्रदेश हित में भी नहीं होगा। निश्चित रूप से इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो 5.25 रुपये किसानों से ले लिया गया है और इनके हितों पर कुठाराघात किया है, उसको तत्काल आप वापस लें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सरवत करीम अंसारी–

माननीय अध्यक्ष जी, परसों जब यहाँ पर किसान के मामले में बहस हो रही थी तो माननीय मंत्री जी बढ़े बढ़ चढ़कर कह रहे थे कि पाँच रुपया बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया और घटाकर सवा पाँच रुपया कर दिया, काश्तकारों के लिए, यह बड़ा उत्पीड़न का मामला है। मान्यवर, इसी में आपकी आज्ञा से एक लाइन शेर माननीय श्रीमती इन्दिरा हृदयेश के हवाले से नजर करता हूँ अपने माननीय गन्ना मंत्री जी को—कि जब ये बोल रहे थे तो,

उरूज प्रथा, नसीब को छू रहा था आसमां,

बिगड़ा नसीब, तो जमीन से फिसल गया,

कहाँ तो बात कर रहा था, आग से खेलने की,

जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया।

गन्ना मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, यह बात सही है कि इस देश का किसान पूरे राष्ट्र की सेवा करता है और खासतौर पर हमारा गन्ना किसान, उन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी गन्ने का उत्पादन करता आ रहा है जबकि यहाँ पर कोई अनुकूल वातावरण नहीं है, साउथ में जो रिकवरी साढ़े 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत गन्ना देता है, जबकि हमारे किसानों के द्वारा उत्पादित गन्ने का मात्र सवा नौ प्रतिशत तक जाता है। मैं बिलकुल महसूस कर सकता हूँ कि बहुत स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यह भी हम लोगों को तय करना होगा, लेकिन मैं पहले उन लोगों के सवालों के जवाब देना चाहूँगा कि कुछ साथियों ने कहा कि गन्ना मूल्य घोषित करने के लिए देरी शासन स्तर पर हुई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परामर्शदायी समिति किसानों की होती है तो वह गन्ना मूल्य पहले तय करती है और उसको शासन में प्रेषित किया जाता है और शासन उस पर अन्तिम मुहर लगाता है, तो यह देरी शासन स्तर पर बिलकुल नहीं हुई और दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि माननीय श्री शुक्ला जी ने एक चार्ज लगाया और संगीन चार्ज है। मैं बिलकुल सहमत हूँ कि चीनी मिलों से 15 रुपये प्रति बैग फैडरेशन लेता है और 3 रुपये प्रति कुन्तल शीरे पर लेता है, मैं आपके माध्यम से इस बात को कहते हुये संकोच बिलकुल नहीं करना चाहता हूँ कि आखिर किन लोगों ने इस परम्परा को डाला, उसका खुलासा कर लिया जाना चाहिए।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आप वापस ले लीजिए यदि गलत है तो। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, किन परिस्थितियों में, किन लोगों ने, किस सरकार ने यह परम्परा डाली, तो निश्चित रूप से हम इस परम्परा को समाप्त करेंगे, लेकिन उन लोगों के प्रति कुछ न कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, अच्छी परम्परा भी तो लीजिए, उत्तर प्रदेश से 10 रुपये ज्यादा देने की परम्परा लीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आप ही ने उठाया कि 13 रू0, 15 रू0, तो इससे हमलोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं और आपने कहा कि यह किसान विरोधी सरकार है तो मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पूरे देश के अन्दर आज ये शुगर इन्डस्ट्री दस हजार करोड़ रुपये के घाटे पर है और हमारा यह प्रदेश 230 करोड़ रुपये के घाटे में है और जिसकी भरपाई शासन द्वारा डेढ़ सौ करोड़ रुपये देकर किसानों का गन्ना मूल्य, जो मिलों पर बकाया था उसको देने के लिए अपने खजाने से दिया और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि विगत वर्षों की भाँति अगर आप तुलना करेंगे।

मान्यवर, हमने दो महीने पहले किसानों को भुगतान दिया तो हम विरोधी हैं या आप। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, हमने भी दिया। हर साल किसानों को दिया, विषय भुगतान का नहीं है। (व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, आपने कहा पांच रू0 यू0पी0 से ज्यादा बढ़ा दिया और किराये के नाम पर वापस ले रहे हैं, यह कहां का तरीका है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ये चीनी मिलें कोई चल ही नहीं सकती थी। जो गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा है। यदि चीनी मिल नहीं चलती तो स्वाभाविक रूप से क्या विस्फोटक स्थिति होती आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक मिल नहीं चल रही है, लोग धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यहां पर आते हैं कि चीनी मिल काशीपुर को चलाया जाए। मान्यवर, इन चीनी मिलों पर इतनी नेगेटिव नेटवर्किंग थी कि कोई भी बैंक इनको लोन देने को तैयार नहीं था। मान्यवर, जो 498 करोड़ रू0 जो लगभग 500 करोड़ रू0 के लगभग बनता है, उसको एक ही झटके में किसानों के हितों की रक्षा करते हुए, सरकार ने उसको माफ कर दिया और प्रक्रिया अपने पक्ष में कर ली।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माफ कर दिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मिलों पर।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, इसमें किसानों को क्या दे दिया। क्या किसानों का कर्जा माफ कर दिया, या सब्सिडी दे दी। एक पैसा किसी का माफ नहीं किया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ अपनी–अपनी बात बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं सदन में उपस्थित तमाम साथियों को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि चीनी मिल हों या गन्ना किसान हों, ये एक दूसरे के पूरक हैं, किसान तब सरसब्ज होगा जब चीनी मिलें चलें और यदि चीनी मिलें नहीं चलेंगी तो आप समझिये, किसानों के सामने क्या स्थिति होगी, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, आपने काशीपुर प्राइवेट चीनी मिल की बात यहां पर रखी। सदन को गुमराह किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ला जी, पहले माननीय मंत्री जी की पूरी बात आने तो दीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, सदन को गुमराह नहीं किया जा रहा है। एक–एक शब्द सदन की प्रापर्टी बन रहा है इसको कोई भी चैलेंज करे, जो भी सजा आप देंगे तो हम स्वीकार करेंगे। यह सिर्फ भावनाओं से और सिर्फ उपद्रव करने से, मैं समझता हूँ चलने वाला नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किसानों को उपद्रवी बताना कहां की बात है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सब एक साथ बोलें यह सदन की परम्परा नहीं है, आप अनुमति लेकर बोलें। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, पीठ पर माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और मैं आपकी बात को खामोशी से सुन रहा था तो आप भी थोड़ा धैर्य तो रखिये। सुनने का प्रयास तो करिये, आदत में थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश तो करिये। मान्यवर, चीनी मिल हों या गन्ना किसान हों, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के साथ अगर थोड़ा सा भी इनबैलेंस करा लेंगे तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों ही बैठ जाएंगे और भारी नुकसान हो जाएगा। मान्यवर, बहुत कुछ सोचने के उपरान्त और परामर्शदात्री समिति की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें रू0 13.75 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज को इंगित किया गया है।

मान्यवर, हमने इस बात को देखते हुए, कि वर्ष 2003 में जबकि गन्ने का मूल्य मात्र 175 रू0 था। मान्यवर, वर्ष 2003 से आज तक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन आज तक नहीं किया था। माननीय सदस्य बहुत ही सरल मिजाज के हमारे भाई माननीय चन्द्रशेखर जी, यहां पर हैं, अन्य माननीय सदस्यों ने भी बारीकी से कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस गम्भीरतापूर्वक और जिस सरलतापूर्वक, उन्होंने कहा उस बात का भी मैंने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि डीजल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि 2003 के बाद हुई है तो स्वाभाविक रूप से 5.75 व्यवहारिक नहीं बनता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि किसानों को यह बाध्यता नहीं है कि वे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से डलवाएं। वे खुद भी अपने हिसाब से उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हम भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आप यह बताइये, इसको कम करेंगे या नहीं ? (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यह क्या जवाब है ? अनरिलेवेंट बात हो रही है। (व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय कौशिक जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (व्यवधान)

अब हम उठते हैं, अपराह्न 03:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री भीमलाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का सुअवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्रीमन्, वास्तव में उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा प्रदेश का लक्ष्य परिलक्षित हो, इसके लिये जल विद्युत योजनाओं का निर्माण हो, किन्तु जनता के हक–हकूकों का हनन न हो। इस परिप्रेक्ष्य में मेरे विधान सभा क्षेत्र में भिलंगना हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट घुत्तू से प्रभावित स्थानीय जनता के हक–हकूकों को नजरअंदाज कर पॉवर प्रोजेक्ट को संचालित करने वाली कम्पनी द्वारा वर्ष 2007 से मनमानी की जा रही है। श्रीमन्, पॉवर प्रोजेक्ट क्लीयरेंस के समय प्रभावित ग्रामीणों के साथ कम्पनी ने जो शर्तें और अनुबन्ध तय किये थे, उसका निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है। यही नहीं, नदी में शत–प्रतिशत पानी रोका जा रहा है, भू–गर्भीय समस्याओं की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति व गरीबों की भूमि का अधिग्रहण तथा आधा–अधूरा मुआवजा और तमाम तरीके की मनमानी के खिलाफ प्रभावित ग्रामीणों द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। यह सारा कार्य पावर प्रोजेक्ट की मालिक कम्पनी और जिला प्रशासन की सांठ–गांठ के कारण हो रहा है। इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ क्षेत्रीय जनता और मेरे द्वारा दिनांक 4–11–2012 से दिनांक 23–12–2012 तक 11 दिन का क्रमिक अनशन और 9 दिन का आमरण अनशन किया गया। जन आन्दोलन के बावजूद भी जिलाधिकारी ने स्वयं धरना स्थल पर आकर समस्याओं के समाधान के बारे में वार्ता का कोई प्रयास नही किया। यही नही, जब हमने इस संबंध में जिलाधिकारी से बात की तो हमारे साथ अभद्रता की गई। जिला प्रशासन का यह रवैया लोकतंत्र का घोर अनादर है, जिसके विरुद्ध जनाक्रोश व्याप्त है। वास्तव में जल विद्युत परियोजना का निर्माण प्रदेश के हित में हो। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारे प्रभावित होते हैं, प्राइवेट कम्पनियां और जिला प्रशासन उनके

हक–हकूकों और अधिकारों का हनन करते हैं। निश्चित रूप से यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है, मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, भागीरथी नदी की सहायक नदी भिलंगना पर भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, घुत्तू, (भिलंग) घनसाली, जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना वर्ष 2011 से परिचालित है। विकासकर्ता द्वारा परियोजना के डी0पी0आर0 में स्वीकृत पर्यावरणीय प्रवाह नदी में छोड़ा जा रहा है। भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घुत्तू से प्रभावित ग्राम पंचायतों की समस्याओं के समाधान हेतु माननीय विधायक क्षेत्र घनसाली द्वारा दिनांक: 04–11–2012 से 14–11–2012 तक क्रमिक अनशन तथा दिनांक 15–11–2012 से दिनांक 23–11–2012 तक आमरण अनशन किया गया। दिनांक: 19–11–2012 को प्रभावित ग्राम पंचायतों की समस्याओं के निदान हेतु धरना स्थल घुत्तू में पूर्व सूचना के अनुसार एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। धरना स्थल पर माननीय विधायक जी एवं अन्य अनशनकारियों की उपस्थिति में कम्पनी के साथ पूर्व में हुए अनुबन्धों को ग्रामवार पढ़कर सुनाया गया तथा अनुबन्ध के अनुसार शेष कार्यों को पूरा करने के लिये तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया। उपजिलाधिकारी, घनसाली द्वारा दिनांक 20–11–2012 को भूख हड़ताल के कारण अनशन पर बैठे अनशनकारियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रभावित व्यक्तियों की जन समस्याओं के समाधान हेतु कम्पनी के सी0एम0डी0 से माननीय विधायक एवं अन्य अनशनकारियों की वार्ता हेतु अगले 24 घण्टे के अन्दर समय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

मान्यवर, इसी क्रम में भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा दिनांक: 22–11–2012 को यह अवगत कराया गया कि कम्पनी ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ हुए अनुबन्धों के अधीन बच रहे अवशेष कार्यों को करने के प्रति वचनबद्ध है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में कम्पनी एवं ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ हुए अनुबन्धों के अन्तर्गत 90 प्रतिशत से अधिक बिन्दुओं का अनुपालन हो चुका है। कम्पनी द्वारा यह अवगत कराया गया कि अलग–अलग कार्डों से बहुत अधिक दबाव बना रहे हैं। ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, जिनका ग्राम पंचायत के अनुबंध के साथ कोई सरोकार नहीं है, न ही परियोजना प्रबन्धन को ऐसी किसी बातों को मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कम्पनी के द्वारा धरना स्थल पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण अनशनकारियों के साथ सी0ई0ओ0 की बैठक किसी अन्यत्र स्थान पर आयोजित करने हेतु अनुरोध किया गया है। कम्पनी के निदेशक द्वारा दिनांक: 23.11.12 को जिलाधिकारी, टिहरी के साथ हुई बैठक के अनुसार यह आश्वासन दिया गया कि ग्राम पंचायतों के साथ हुए अनुबंधों के

अनुसार शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा तथा अनशनकारियों के द्वारा की गई नई मांगों को पूर्ण करने के लिए कम्पनी प्रतिबद्ध नहीं होगी। माननीय विधायक भीमलाल आर्य जी का अनशन जिला प्रशासन व कम्पनी प्रबन्धन सहित ग्रामीणों की त्रिपक्षीय वार्ता के बाद हुए लिखित समझौते के साथ समाप्त हो गया।

श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने पावर प्रोजेक्ट कम्पनी द्वारा और प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही की मान्यवर, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि आखिर इतने बड़े जन आन्दोलन के बाद तमाम मिलंगना घाटी की 15 हजार जनता सड़क पर बैठी थी। श्रीमन् 24 दिन बीत जाने के बाद भी जिलाधिकारी ने और प्राइवेट कम्पनी के एम0डी0, आखिर क्या कारण रहा कि वो प्रभावितों के बीच नहीं आए। श्रीमन्, यह लोकतंत्र का घोर अनादर है। आखिर जनता की समस्याओं के लिए और समाधान के लिए अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर पर श्रीमन्, अगर इस तरह का कृत्य जिला प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा किया जाता है तो निश्चित तौर पर श्रीमन्, इस लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता, इस विधायिका का कोई महत्व नहीं रह जाता। श्रीमन्, मेरा सदन से निवेदन है कि इस विषय पर मुझे न्याय दीजिए। श्रीमन्, जनता के साथ न्याय करें। श्रीमन्, और जो बात कही गयी है आज भी 85 प्रतिशत अनुबन्ध के आधार पर जो शर्तें थी श्रीमन्, आज भी वो पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपको बता दूँ अनुसूचित जाति की भूमि का, गरीबों की भूमि का अधिग्रहण किया गया, 10 नाली भूमि का अधिग्रहण किया गया, दो नाली भूमि का मुआवजा दिया गया। डी0पी0आर0 के सापेक्ष जो 30 प्रतिशत पानी उनका छोड़ना था आज दो प्रतिशत पानी भी मिलंगना नदी में नहीं है। भारी ब्लास्टिंग के बाद 15–16 गांवों के आवासीय भवनों पर दरारें आ चुकी हैं। श्रीमन्, रहने लायक नहीं हैं। कम्पनी प्रबन्धन ने ये कह दिया कि ये तो 1991 के भूकम्प की दरारें हैं। कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। श्रीमन्, आई0आई0टी0, रुड़की द्वारा भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया। श्रीमन् लेकिन मुझे लगता है कि जो आई0आर0टी0, रुड़की की टीम वहां पर आयी श्रीमन्, उसने कम्पनी प्रबन्धन के आवेश में, कम्पनी प्रबन्धन से मोटा पैसा लेकर और जिलाधिकारी से साँठ–गाँठ कर इस रिपोर्ट को दे दिया कि ये तो 1991 भूकम्प से मकानों पर दरारें आई हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैंने उत्तर दे दिया और मैंने इसे पढ़ भी लिया। उन्होंने ये बताया जो नये काम ये चाहते थे, उसके लिए वो प्रतिबद्ध नहीं थे। उन्होंने कहा शेष जितने कार्य बच गये हैं जो मैंने कहा, जिन कार्यों का उन्होंने वायदा किया है, वो सब पूरे कर दिये जाएंगे। भारी भीड़ में, 13–15 हजार की भीड़ में आने को वो नहीं तैयार थे। उन्होंने कहा कि आपका एक ग्रुप आ जाए, हमसे अलग से बात कर ले, हम बात करने को तैयार हैं। उसके लिए ये तैयार नहीं हुए। शासन की ओर से यह आया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में जो दलीय स्थिति है वह स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। कौन विपक्ष में है और कौन सत्ता पक्ष में है। कार्य स्थगन में हमारे मित्र श्री सरवत करीम जी भी बोले हैं। मान्यवर, आपसे व्यवस्था के तहत चाहता हूँ कि आप दलीय स्थिति स्पष्ट कर दीजिए कि सत्ता पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। क्या बसपा विपक्ष में शामिल हो गई है ? यदि नहीं हुई तो यह मैं आपसे व्यवस्था के रूप में जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

दलीय स्थिति तो आपको मालूम है। बसपा के सदस्य कार्य–स्थगन के प्रस्ताव पर कुछ नहीं बोले।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा उत्तराखण्ड प्रदेश है यह पूरे देश के अन्दर देवभूमि के रूप में जाना जाता है। हर कदम–कदम पर यहाँ पर देवी–देवता निवास करते हैं। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने संस्कृत, जो सभी भाषाओं की जननी है उसको द्वितीय राजभाषा घोषित किया था। लेकिन प्रदेश के अन्दर जो संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की भारी कमी है। उसके कारण जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र और छात्रायें हैं इससे उनका सुचारू रूप से पठन पाठन नहीं हो पा रहा है। इसके साथ–साथ संस्कृत के बहुत से अध्यापक प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत कम वेतन पर अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इसके साथ हरिद्वार और ऋषिकेश को सरकार ने दोनों को संस्कृत नगरी के रूप में विकसित करने का जो निर्णय लिया था, मैं उसके लिए सरकार को बधाई देना चाह रहा हूँ। लेकिन जो हमारे हरिद्वार के अन्दर और ऋषिकेश के अन्दर जो संस्कृत के विद्यालय और महाविद्यालय हैं इनमें पदों का सृजन होना अतिआवश्यक है ताकि वहाँ पर पठन पाठन हो सके। जो ये विद्यालय और महाविद्यालय हैं, जहां पर नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है उन विद्यालयों और महाविद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को अतिशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाए। क्योंकि यदि ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में 16 संस्कारों को कराने का काम, जो हमारा ब्रह्म समाज, जो संस्कृतभाषी लोग करते हैं तो इससे आने वाले समय में एक संकट उत्पन्न हो जाएगा और संस्कृत भाषा का भी निरादर होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना पर मैं सरकार से चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, गन्ना मूल्य पर बात हो रही थी, उस पर कोई जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

यह अग्राह्य हो गई थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वह सारी बात आ गई है, वह व्यवस्था भी हो गई। आपकी व्यवस्था सर आँखों पर। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि दो दिन पहले पाँच रुपये गन्ने का मूल्य निर्धारित हुआ और सवा पाँच रुपये दूसरे दिन वापस ले लिया गया। (भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उस विषय पर पूरी चर्चा हो चुकी है और उसमें आप भी बोल चुके हैं। (कई माननीय सदस्य के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान।) (घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि (व्यवधान) आज यहां पर माननीय नेता सदन बैठे हैं, अगर माननीय नेता सदन इस पर पांच रुपया बढ़ाकर घोषणा कर दें तो बहुत कृपा होगी। आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूँ कि जो पांच रुपये घटाये गये हैं (व्यवधान) किसानों को इसमें कुछ मिला ही नहीं, दायें हाथ से लिया और बायें हाथ से गया। (व्यवधान) और किराया भी उलटा दुगुना हो गया है। (भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी–अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे वाले विषय पर चर्चा नहीं हुई है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2012

परिवहन मंत्री (श्री सुरेन्द्र राकेश)--

मानीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार(संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल दिनांकः 14 दिसम्बर, 2012 पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 03 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांकः 13 दिसम्बर, 2012

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 56 पर)

शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में व राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति के पदों पर तैनात शिक्षकों का विवरण:–

क्र0 सं0	नाम शिक्षक / पदनाम	मूल विद्यालय / जनपद	वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम
1	2	3	4
1.	श्री जयराम पाण्डेय प्रवक्ता	डायट भीमताल–नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
2.	श्री राजेश कुमार प्रवक्ता	रा0इ0का0 बगड़–नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
3.	श्री अवनीन्द्र कुमार स0अ0	रा0इ0का0 पौड़ीखाल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
4.	श्री अनुपम दीक्षित स0अ0	रा0इ0का0 रामगढ़ नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
5.	श्री सुरेन्द्र मिश्र प्रवक्ता	रा0इ0का0 खैरना नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
6.	डा0 महेश चन्द्र पाण्डे प्रवक्ता	रा0इ0का खैरना नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
7.	श्री बसन्त बल्लभ पन्त प्रवक्ता	रा0इ0का राती– नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
8.	श्री सुमति नारायण प्रवक्ता	रा0इ0का0 पदमपुरी नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
9.	श्री संतोष मिश्रा स0अ0	रा0इ0का0 चाफी नैनीताल	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
10.	श्री अभय कुमार उपाध्याय प्रवक्ता	रा0इ0का बग्याली पौड़ी	समन्वयक सर्व शि0अभि0 उत्तर प्रदेश
11.	श्री दीप चन्द्र पुनेठा स0अ0	रा0उ0मा0वि0 जानकीधार चम्पावत	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड

1	2	3	4
12.	श्री शरतचन्द बडोनी प्रवक्ता	रा0इ0का0 डुंगीधार–टिहरी	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड
13.	श्रीमती सुनीता भट्ट प्रवक्ता	रा0बा0इ0का0 कारगी देहरादून।	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड
14.	श्री ओम प्रकाश गैरोला	प्रवक्ता डायट टिहरी	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड
15.	श्री सुनील जोशी प्रवक्ता	रा0इ0का0सभावाला देहरादून	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड
16.	श्री प्रदीप तिवारी प्रवक्ता	डायट अल्मोड़ा	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड
17.	श्री शंकर दत्त भट्ट स0अ0	रा0इ0का0 लोधिया–	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड
18.	श्री आमोद सक्सेना प्रवक्ता	डायट उधमसिंह नगर	स्वजल परियोजना उत्तराखण्ड
19.	डा0 जे0पी0 द्विवेदी प्रवक्ता	राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नैनीताल	एन0सी0टी0ई0 नई दिल्ली
20.	श्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी प्रवक्ता	रा0इ0का0 मैटाकुण्ड पौड़ी	समन्वयक सर्वशि0अभि0 उत्तर प्रदेश
21.	श्री प्रजापति नौटियाल प्रवक्ता	रा0इ0का0 मातली उत्तरकाशी	समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र दिल्ली
22.	श्री ओम प्रकाश नौटियाल प्रवक्ता	रा0इ0का0 चौरेया–रूद्रप्रयाग	उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र देहरादून
23.	श्री भाष्करानन्द कर्नाटक स0अ0 एल0टी0	रा0इ0का0 आठगांव शिलिंग पिथौरागढ़	भारतखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून
24.	अंजू धपोला स0अ0 एल0टी0	रा0बा0इ0का0 धारचूला पिथौरागढ़	सूचना विभाग उत्तराखण्ड देहरादून

1	2	3	4
25.	श्री विनोद रावत स0अ0	रा0इ0का0 मठाली पौड़ी	मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड
26.	श्रीमती बबिता पांधरी स0अ0	रा0इ0का0 गरखेत टिहरी	डा0 पीताम्बर बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी, देहरादून
27.	श्री अरविन्द हटवाल स0अ0	रा0इ0का0 उज्ज्वल पुर चमोली	जनजाति कल्याण परिषद उत्तराखण्ड देहरादून
28.	श्रीमती प्रमिला रानी स0अ0	रा0इ0का0 उडामाण्डा चमोली	समन्वयक पद पर सहारनपुर–उ0प्र0
29.	श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय प्रवक्ता	रा0इ0का0 रातीघाट–नैनी0	स0शि0अ0 उत्तर प्रदेश में
30.	श्री अहिवरन सिंह प्रवक्ता	डायट भीमताल	स0शि0अ0 ललितपुर झासी उत्तर प्रदेश
31.	श्री शैलेश कुमार प्रवक्ता	एस0सी0ई0 आर0टी0 उत्तराखण्ड नरेन्द्रनगर टिहरी	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नोएडा उ0प्र0
32.	श्री प्रमोद कुमार गुर्वेनिया प्रवक्ता	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टिहरी	जिला समन्वयक प्रशि0 कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलन्दशहर
33.	श्रीमती पद्मा रावत स0अ0	रा0प्रा0वि0 तिमिलपाणी गैरसैंण चमोली	शिक्षा निदेशालय पुराना सचिवालय नई दिल्ली
34.	श्रीमती शीला विष्ट स0अ0	रा0उ0प्र0वि0 मुनीगांव धारी नैनीताल	टी0जी0टी0 हिन्दी शिक्षा पुराना सचिवालय नई दिल्ली
35.	श्री जितेन्द्र राज स0अ0	रा0प्र0वि0 सौंग कपकोट बागेश्वर	उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र बसन्त विहार देहरादून।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

संलग्नक–1

जल संस्थान एवं पेयजल निगम के अन्तर्गत मृतक कर्मचारियों का पदवार विवरण:–

क्र0 सं0	मृतक का पदनाम	पदों की संख्या	
		जल संस्थान	पेयजल निगम
1	2	3	4
1.	अधिशासी अभियन्ता	–	01
2.	चपरासी	–	25
3.	चौकीदार	22	41
4.	पम्प आपरेटर	–	17
5.	जूनियर इंजीनियर	04	1
6.	कनिष्ठ सहायक	–	8
7.	हैल्पर	–	1
8.	वर्क सुपरवाईजर	01	1
9.	मुख्य सहायक	–	2
10.	वाहन चालक	06	7
11.	वर्क एजेन्ट	–	18
12.	ट्रक ड्राईवर	–	1
13.	फीटर	30	6
14.	प्रवर सहायक	01	5
15.	मण्डलीय लेखाकार	–	7
16.	टेक्स कलेक्टर	–	1
17.	माली	–	2
18.	संगणक	–	6

1	2	3	4
19.	मानचित्रक	—	4
20.	आलेख–प्रालेखक	—	2
21.	पाइप लाइन–मिस्त्री	—	1
22.	दफतरी	02	6
23.	नैतिक लिपिक	—	2
24.	आशुलिपिक	—	1
25.	फिल्टर आपरेटर	—	1
26.	अपर सहायक अभियन्ता	—	1
27.	प्रशासनिक अधिकारी	—	2
28.	नियमित फील्ड कर्मचारी	—	41
29.	स्वच्छकार	—	4
30.	मैकेनिक	—	1
31.	सर्वे मुंशी	—	1
32.	वर्क मिस्त्री	—	1
33.	ट्रक क्लीनर	—	1
34.	कनिष्ठ अभियन्ता	—	1
35.	जीप चालक	—	3
36.	सहायक अभियन्ता	06	—
37.	बेलदार	92	—
38.	लिपिक	07	—
39.	अनुचर	06	—
40.	सहायक फिटर	47	—
41.	सुपरवाईजर	01	—
42.	जूनियर फिटर	08	—

1	2	3	4
43.	पम्प चालक	22	–
44.	पम्प अटैण्डेट	09	–
45.	मीटर रीडर	06	–
46.	सीवर बेलदार	12	–
47.	मुख्य लिपिक	02	–
48.	हैड फिटर	05	–
49.	इंजन ड्राईवर	03	–
50.	कर निरीक्षक	01	–
51.	लेखाकार	01	–
52.	सहायक फिटर निरीक्षक	01	–
53.	अर्दली	01	–
54.	वैल्डर	01	–
55.	वरिष्ठ लिपिक	01	–
56.	खलासी	01	–
57.	गैगमैन	01	–
58.	बिल प्योन	01	–
59.	मीटर मैकेनिक	01	–
	कुल योग–	302	223

नोट:– पेयजल निगम के मुख्यालय में कर्मचारियों द्वारा तालाबन्दी किये जाने के फलस्वरूप पेयजल निगम की सूचना में पेयजल मुख्यालय (प्रधान कार्यालय) की सूचना सम्मिलित नहीं है।

नत्थी "ग"

(देखिए अता0 प्रश्न सं0–73 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 89 पर)

जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदों पर अतिरिक्त प्रभार के बाल विकास परियोजना अधिकारियों की सूची–

क्र0 सं0	नाम	मूल पद/तैनाती स्थल	जाति	अतिरिक्त प्रभार कार्यालय/स्थल
1.	श्री उदय प्रताप सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी, हरिद्वार	सामान्य	जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार
2.	श्री देव सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी, दशोली (चमोली)	सामान्य	जिला कार्यक्रम अधिकारी चमोली
3.	सुश्री शैली प्रजापति	बाल विकास परियोजना अधिकारी, चम्पावत	अ0पि0 जाति	जिला कार्यक्रम अधिकारी चम्पावत
4.	श्रीमती निर्मला अंसारी	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बागेश्वर	अ0पि0 जाति	जिला कार्यक्रम अधिकारी बागेश्वर
5.	श्रीमती माया बिष्ट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल)	सामान्य	जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी गढ़वाल
6.	सुश्री अनुलेखा बिष्ट	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर (ऊधमसिंह नगर)	सामान्य	जिला कार्यक्रम अधिकारी ऊधमसिंह नगर
7.	श्री प्रकाश सिंह बृजवाल	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रामगढ़	अनु0जन जाति	जिला कार्यक्रम अधिकारी नैनीताल (नैनीताल)

नत्थी ''घ''

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0–74 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 89 पर)

संख्या:–2608/XVII(4)/2012/1265/09(टी0सी)

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 18 अक्टूबर 2012

विषयः– सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त विचलन हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1457/स्थानान्तरण–1600/2012–13, दिनांक 30 जुलाई 2012, जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, प्रवर सहायक तथा मुख्य सेविकाओं को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से प्रस्तावानुसार "स्तम्भ–4" में इंगित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:–

1–बाल विकास परियोजना अधिकारी:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती?
1	2	3	4
1.	श्रीमती शशि	बाल विकास परि0, चम्बा, टिहरी गढ़वाल	बाल विकास परि0, नारायणबगड, चमोली
2.	श्रीमती आशा रानी ध्यानी	बाल विकास परि0, नरेन्द्रनगर सचिव,	सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग देहरादून

1	2	3	4
3.	श्रीमती वीणा पुरोहित	बाल विकास परि0 यमकेश्वर सम्बद्ध–निदेशालय देहरादून	बाल विकास परियोजना हरिद्वार (शहर)।
4.	श्री अखिलेश मिश्रा	प्रभा0 जि0 का0 अधि0 विकासनगर, देहरादून	निदेशालय, आई0सी0डी0एस0 देहरादून
5.	श्रीमती मंजू कनौजिया	बाल विकास परि0 थिलंगना, टिहरी / कालसी, देहरादून	बा0वि0 परि0 सहसपुर, जनपद–देहरादून
6.	श्रीमती सुलेखा सहगल	बाल विकास परि0 नारायणबगड़, चमोली / नरेन्द्रनगर टिहरी	पति–पत्नी एक ही स्थान पर तैनाती के प्राविधान, बा0 विकास परि0 नारसन, हरिद्वार
7.	श्रीमती ललिता वर्मा	बाल विकास परि0, उत्तरकाशी	प्रभा0 जिला कार्यक्रम अधिकारी, बागेश्वर।
8.	श्री विक्रम सिंह	बाल विकास परि0, cgknj kckn&I, हरिद्वार।	निदेशालय, आई0सी0डी0एस0, देहरादून।

2– मुख्य सेविका:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्रीमती पुष्पा वाल्दिया	बा0वि0परि0, शहर देहरादून	बा0वि0परि0, रायपुर, देहरादून।
2.	श्रीमती सीमा आर्या	बा0वि0परि0, सहसपुर देहरादून	बा0वि0परि0, नौगांव, उत्तरकाशी

1	2	3	4
3.	श्रीमती सरिता सवाई	बा0वि0परि0, देहरादून शहर	बा0वि0परि0, बहादराबाद–प्रथम, हरिद्वार।
4.	श्रीमती दिशा शर्मा	बा0वि0परि0, रायपुर, देहरादून।	बा0वि0परि0, देहरादून (शहर)
5.	श्रीमती संगीता परिहार	बा0वि0परि0, विकासनगर/चकराता, देहरादून।	बा0वि0 परियोजना, देहरादून (शहर)
6.	श्रीमती सुषमा कोठारी	बा0वि0परि0, डोइवाला, देहरादून	बा0वि0परि0, रायपुर देहरादून
7.	श्रीमती नीलम जायसवाल	बा0वि0परि0, रूड़की, हरिद्वार	बा0वि0परि0, विकासनगर, देहरादून
8.	श्रीमती विमला कण्डारी	बा0वि0परि0, रायपुर/कालसी देहरादून।	बा0वि0परियोजना, देहरादून (शहर)
9.	श्रीमती खष्टी गोस्वामी	बा0वि0परियोजना, देहरादून (शहर)	बा0वि0परि0, रायपुर, देहरादून
10.	श्रीमती बीना रतूड़ी	बा0वि0परियोजना, देहरादून (शहर)।	बा0वि0परियोजना, रायपुर, देहरादून।

3– लिपिक वर्गः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री विक्रम लाल प्रशासनिक अधिकारी	बा0वि0परि0, अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग	बा0वि0परि0, विकासनगर, देहरादून
2.	श्री राजेन्द्र सिंह धर्म्वाण प्रशासनिक अधिकारी	बा0वि0परि0, विकासनगर, देहरादून	बा0वि0परि0, अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग।
3.	श्री राजेन्द्र सिंह नकोटी मुख्य सहायक	बा0वि0परि0, घनसाली, टिहरी गढ़वाल	बा0वि0परि0, चम्बा टिहरी गढ़वाल

1	2	3	4
4.	श्री हेलम सिंह रावत प्रवर सहायक	बा0वि0परि0, जखोली, रूद्रप्रयाग	जिला कार्यक्रम अधि0 बाल0वि0परि0 उत्तरकाशी में रिक्त सांख्यिकी सहायक पद के सापेक्ष।
5.	श्री मोहन लाल सेमल्टी प्रवर सहायक	जिला कार्य0 अधिकारी कार्या0 देहरादून	निदेशालय आई0सी0डी0एस0 देहरादून
6.	श्री हिमांशु देशवाल प्रवर सहायक	बा0वि0परि0, सहसपुर/देवाल, चमोली।	बा0वि0परि0, चमोली।

उपरोक्तानुसार इस सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को भी अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)

सचिव।

संख्याः–2515 / xvii(4) / 2012 / 1265 / 09(टी0सी0)

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक–8 अक्टूबर 2012

विषयः– सामान्य स्थानान्तरण के अतिरिक्त विचलन हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण प्रस्ताव का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पंत्राक–1457 / स्थानान्तरण–1600 / 2012–13, दिनांक 30 जुलाई 2012 जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी तथा मुख्य सेविकाओं को उनके वर्तमान तैनाती के स्थान से प्रस्तावानुसार "स्तम्भ–4" में इंगित स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1–बाल विकास परियोजना अधिकारीः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्रीमती कमला कोरंगा	बाल विकास परि0, रामगढ़, नैनीताल	बाल विकास परि0, भीमताल, नैनीताल
2.	श्री प्रकाश बृजवाल	बाल विकास परि0, भीमताल, नैनीताल	बाल विकास परि0, रामगढ़, नैनीताल
3.	श्री उदय प्रताप सिंह	प्रभा0 जि0 का0 अधि0, पौड़ी गढ़वाल।	प्रभा0 जि0 का0 अधि0, हरिद्वार

1	2	3	4
4.	श्रीमती लक्ष्मी टम्टा	बाल विकास परि0 अधि0, चौखुटिया।	जनहित एवं पति–पत्नी एक ही स्थान पर तैनाती के प्राविधान, बा0 विकास परि0 कोटाबाग, नैनीताल
5.	श्री धर्मवीर सिंह	बाल विकास परि0,	जनहित में स्थगित / निरस्त खटीमा / बागेश्वर
6.	श्रीमती रोहिणी गर्ब्याल	बाल विकास परि0, सितारगंज।	बाल विकास परि0, बाराकोट, चम्पावत।

2—मुख्य सेविकाः—

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती।
1	2	3	4
1.	श्रीमती ईला आर्या	बा0वि0परि0, गरूड	बा0वि0परि0, हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल
2.	श्रीमती ऊषा मेहरा	बा0वि0परि0, बेतालघाट	बा0वि0परि0, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा
3.	श्रीमती बीरा बिष्ट	बा0वि0परि0, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल	यथावत्
4.	श्रीमती भाग्यवन्ती पाण्डेय	बा0वि0परि0, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, ग्रामीण / चमोली	यथावत्
5.	श्रीमती तुलसी चौहान	बा0वि0परि0, खटीमा / नैनीडांडा, पौड़ी	बा0वि0परि0, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर
6.	श्रीमती लक्ष्मी रावत	बा0वि0परि0, खटीमा / बीरोंखाल, पौड़ी	बा0वि0परि0, खटीमा यथावत
7.	श्रीमती अनिता गुप्ता	बा0वि0परि0, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर	बा0वि0परि0, जसपुर–ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर

1	2	3	4
8.	श्रीमती रीता छवांण	बा०वि०परि०, गदरपुर / पोखरी चमोली	बा०वि०परि०, रूद्रपुर–ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर
9.	श्रीमती तुलसी बोरा	बा०वि०परि०, गदरपुर	बा०वि०परि०, हल्द्वानी, नैनीताल
10.	श्रीमती शोभा सिंह	बा०वि०परि०, रामगढ़, रामनगर	बा०वि०परि०, धारी, नैनीताल
11.	श्रीमती किरन लता जोशी	बा०वि०परि०, पाटी चम्पावत	बा०वि०परि०, विण, पिथौरागढ़
12.	श्रीमती रजनी अधिकारी	बा०वि०परि०, पोखड़ा, पौडी गढ़वाल	यथावत्
13.	श्रीमती लीला गिनवाल	बा०वि०परि०, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	बा०वि०परि०, रामगढ़ नैनीताल
14.	श्रीमती भगीरथी नौगांई	बा०वि०परि०, गिकियासैंण, अल्मोड़ा	बा०वि०परि०, रामगढ़, नैनीताल
15.	श्रीमती गीता डिमरी	बा०वि०परि०, दशोली चमोली	यथावत्
16.	श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा	बा०वि०परि०, लोहाघाट, चम्पावत	यथावत्
17.	श्रीमती सीता देवी	बा०वि०परि०, नारायणगढ़, चमोली।	बा०वि०परि०, घाट, चमोली।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को भी अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)

सचिव।

पत्रांक सी–2214 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–2608 / XVII(4) / 2012 / 1265 / 09(टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शशि	बा0वि0परि0 चम्बा, टिहरी गढ़वाल	बा0वि0परि0 नारायणबगड़, चमोली	जनहित में

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी / चमोली।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी / गोपेश्वर, चमोली।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, टिहरी / चमोली।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2215/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09(टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती आशारानी ध्यानी	बा0वि0परि0 नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल/सचिव, रा0महि0आयोग	सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग देहरादून।	जनहित में

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी।

(3) मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।

(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

(5) सचिव, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, देहरादून।

(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(7) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, टिहरी/गढ़वाल।

(8) बाल विकास परियोजना अधिकारी चम्बा टिहरी गढ़वाल।

(9) सम्बन्धित कार्मिक।

(10) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2216/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09(टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती बीणा पुरोहित	बा0वि0परि0 यमकेश्वर पौढ़ी गढ़वाल सम्बद्ध, निदेशालय	बाल विकास परियोजना हरिद्वार (शहर)	जनहित में

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पौढ़ी गढ़वाल/हरिद्वार।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी पौढ़ी गढ़वाल/हरिद्वार।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौढ़ी गढ़वाल/हरिद्वार।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2217/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09(टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	
1	श्री अखिलेश मिश्र	बा0वि0परि0 अधि0 वकास नगर, देहरादून	निदेशालय, आई0सी0डी0एस0, देहरादून	जनहित में

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) बाल विकास परियोजना अधिकारी विकासनगर, देहरादून।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2218/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मंजू कन्नौजिया	बा0वि0परि0 भिलंगना टिहरी/ कालसी, देहरादून।	बाल विकास परियोजना सहसपुर, देहरादून।	जनहित में

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।

(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

(5) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

(6) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।

(7) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(8) सम्बन्धित कार्मिक।

(9) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2219/आई०सी०डी०एस०/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र l ḁ; k 2608@XVII(4)/2012/1265/09 (टी०सी०) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुलेखा सहगल	बा०वि०परि० नारायणबगड़, चमोली/नरेन्द्रनगर टिहरी	बाल विकास परियोजना नारसन, हरिद्वार	निजी अनुरोध पर

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(सी०एस० नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, चमोली/टिहरी/हरिद्वार।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोपेश्वर, चमोली/टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।

(4) निजी सचिव, मा० मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, चमोली/टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2220/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र I ḅ; k 2608@XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ललिता वर्मा	बा0वि0परि0 उत्तरकाशी/टिहरी	प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, बागेश्वर	जनहित में

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी/बागेश्वर।

(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/बागेश्वर।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, टिहरी/बागेश्वर।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2221 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / XVII4) / 2012 / 1265 / 09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विक्रम सिंह	बा0वि0परि0 बहादराबाद–प्रथम हरिद्वार	निदेशालय आई0सी0डी0एस0 देहरादून।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।

(5) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(6) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, हरिद्वार।

(7) बाल विकास परियोजना अधिकारी बहादराबाद, हरिद्वार।

(8) सम्बन्धित कार्मिक।

(9) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2202/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती पुष्पा बल्दिया	बा0वि0परि0, शहर देहरादून।	बा0वि0परि0, रायपुर देहरादून।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2207 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / XVII(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती दिशा शर्मा	बा0वि0परि0, रायपुर, देहरादून।	बा0वि0परि0, देहरादून (शहर)।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2208 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / XVII(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती संगीता परिहार	बा0वि0परि0, विकासनगर / चकराता, देहरादून।	बा0वि0परि0, देहरादून (शहर)	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2209 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / XVII(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुषमा कोठारी	बा0वि0परि0, डोईवाला, देहरादून।	बा0वि0परि0, रायपुर, देहरादून।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2211 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / xvii(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती विमला कण्डारी	बा0वि0परि0, रायपुर / कालसी, देहरादून।	बा0वि0परि0, देहरादून (शहर)।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2204/आई०सी०डी०एस०/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर, 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी०सी०) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती षष्टी गोस्वामी	बा०वि०परि०, देहरादून (शहर)।	बा०वि०परि०, रायपुर देहरादून।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी०एस० नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा० मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2203/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर, 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती बीना रतूड़ी	बा0वि0परि0, देहरादून (शहर)।	बा0वि0परि0, रायपुर देहरादून।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2206 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र I ḁ; k 2608@xvii(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सीमा आर्या	बा0वि0परि0, सहसपुर, देहरादून।	बा0वि0परि0, नौगांव उत्तरकाशी।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून / उत्तरकाशी।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून / उत्तरकाशी।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2205 / आई०सी०डी०एस० / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / XVII(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी०सी०) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सरिता सवाई	बा०वि०परि०, देहरादून (शहर)।	बा०वि०परि०, बहादराबाद– प्रथम हरिद्वार।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी०एस० नपलच्याल)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून / हरिद्वार।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार।

(4) निजी सचिव, मा० मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून / हरिद्वार।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2210/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII (4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविका को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीलम जयसवाल	बा0वि0परि0, रूड़की, हरिद्वार।	बा0वि0परि0, विकासनगर, देहरादून।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, हरिद्वार/देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2222 / आई०सी०डी०एस० / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / XVII(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी०सी०) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विक्रम लाल	बा०वि०परि०, अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग	बा०वि०परि०, विकासनगर, देहरादून।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी०एस० नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग / देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग / देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा० मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रूद्रप्रयाग / देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2223/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लेखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र सिंह धर्म्वाण	बा0वि0परि0, विकासनगर, देहरादून।	बा0वि0परि0, अगस्त्यमुनी रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून/रूद्रप्रयाग।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, देहरादून/रूद्रप्रयाग।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2224 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सहायक को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र सिंह नकोटी	बा0वि0परि0, घनसाली टिहरी गढ़वाल।	बा0वि0परि0, चम्बा, टिहरी गढ़वाल।	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2225/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रवर सहायक को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हेलम सिंह रावत	बा0वि0परि0, जखोली रूद्रप्रयाग।	डी0पी0ओ0 कार्यालय उत्तरकाशी	सांख्यिक सहायक पद के सापेक्ष। निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2226/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608/XVII(4)/2012/1265/09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रवर सहायक को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मोहन लाल सेमल्टी	जिला कार्यालय देहरादून।	निदेशालय आई0सी0डी0एस0, देहरादून।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अपोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून।

(6) सम्बन्धित कार्मिक।

(7) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2227 / आई0सी0डी0एस0 / 1600–स्थानान्तरण / 2012–13

दिनांक 19, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2608 / XVII(4) / 2012 / 1265 / 09 (टी0सी0) दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रवर सहायक को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हिमांशु देशवाल	बा0वि0परि0, सहसपुर / देवाल चमोली।	बा0वि0परि0, चमोली।	जनहित

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(4) निजी सचिव, मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड।

(5) जिला कार्यक्रम अधिकारी, देहरादून।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) सम्बन्धित कार्मिक।

(8) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2140/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 09, अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2515/XVII(4)/2012/09 (टी0सी0) दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कमला कोरंगा	बा0वि0परि0, रामगढ़, नैनीताल	बा0वि0परि0 भीमताल, नैनीताल	निजी अनुरोध
2	श्री प्रकाश बृजवाल	बा0वि0परि0 भीमताल, नैनीताल	बा0वि0परि0 रामगढ़, नैनीताल	जनहित
3	श्री उदय प्रताप सिंह	प्रभा0जि0का0अधि0 पौड़ी गढ़वाल	प्रभा0जि0का0अधि0 हरिद्वार	निजी अनुरोध
4	श्रीमती लक्ष्मी टम्टा	बा0वि0परि0 चौखुटिया, अल्मोड़ा	बा0वि0परि0 कोटाबाग, नैनीताल	जनहित एवं पति पत्नी के एक ही स्थान पर तैनाती प्राविधानानुसार
5	श्री धर्मवीर सिंह	बा0वि0परि0 खटीमा/बागेश्वर	बा0वि0परि0 खटीमा, ऊधमसिंहनगर	जनहित में स्थगित/निरस्त
6	श्रीमती रोहिणी गर्ब्याल	बा0वि0परि0 सितारगंज ऊधमसिंहनगर	बा0वि0परि0 बाराकोट, चम्पावत	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित अधिकारियों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी0एस0 नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी।

(3) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

(4) निजी सचिव,मा0 मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

(5) सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) गार्ड फाईल।

निदेशक

पत्रांक सी–2141/आई0सी0डी0एस0/1600–स्थानान्तरण/2012–13

दिनांक 9,अक्टूबर 2012

आदेश

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 2515/XVII(4)/2012/09 (टी0सी0) दिनांक 08 अक्टूबर, 2012 के अनुक्रम में निम्नलिखित मुख्य सेविकाओं को उनके नाम के सम्मुख कालम 04 में उल्लिखित कार्यालय में समान पद एवं वेतनमान में स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ईला आर्या	बा0वि0परि0, गरूड़, बागेश्वर	बा0वि0परि0 हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल	निजी अनुरोध
2	श्रीमती ऊषा मेहरा	बा0वि0परि0 बेतालघाट, नैनीताल	बा0वि0परि0 ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	जनहित
3	श्रीमती बीरा बिष्ट	बा0वि0परि0 दुगड्डा, पौड़ी	बा0वि0परि0 पौड़ी यथावत्	निजी अनुरोध
4	श्रीमती भाग्यवन्ती पाण्डेय	बा0वि0परि0 काशीपुर ग्रामीण/ चमोली	बा0वि0परि0 काशीपुर ग्रामीण यथावत्	निजी अनुरोध
5	श्रीमती तुलसी चौहान	बा0वि0परि0 खटीमा/नैनीडाण्डा, पौड़ी	बा0वि0परि0 सितारगंज ऊधमसिंह नगर	निजी अनुरोध
6	श्रीमती लक्ष्मी रावत	बा0वि0परि0 खटीमा/बीरोखाल पौड़ी	बा0वि0परि0 खटीमा, ऊधमसिंहनगर यथावत	निजी अनुरोध
7	श्रीमती अनीता गुप्ता	बा0वि0परि0 काशीपुर ग्रा0/ गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	बा0वि0परि0 ग्रा0,ऊधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

1	2	3	4	5
8	श्रीमती रीता छवाण	बा0वि0परि0 गदरपुर/पोखरी चमोली	बा0वि0परि0 ग्रा0, ऊधमसिंह नगर	निजी अनुरोध
9	श्रीमती तुलसी बोरा	बा0वि0परि0 गदरपुर/धौलादेवी अल्मोड़ा	बा0वि0परि0 हल्द्वानी शहर, नैनीताल	निजी अनुरोध
10	श्रीमती शोभा सिंह	बा0वि0परि0 रामगढ़/रामनगर नैनीताल	बा0वि0परि0 धारी नैनीताल	निजी अनुरोध
11	श्रीमती किरनलता जोशी	बा0वि0परि0 पाटी, चम्पावत	बा0वि0परि0 विण, पिथौरागढ़	निजी अनुरोध
12	श्रीमती रजनी अधिकारी	बा0वि0परि0 पोखड़ा, पौड़ी	बा0वि0परि0 पौखड़ा, पौड़ी यथावत	निजी अनुरोध
13	श्रीमती लीला निगवाल	बा0वि0परि0 द्वाराहाट, अल्मोड़ा	बा0वि0परि0 रामगढ़ नैनीताल	निजी अनुरोध
14	श्रीमती भागीरथी नौगांई	बा0वि0परि0 भिकियासैंण, अल्मोड़ा	बा0वि0परि0 रामगढ़ नैनीताल	निजी अनुरोध
15	श्रीमती गीता डिमरी	बा0वि0परि0 दशोली, चमोली	बा0वि0परि0 दशोली, चमोली यथावत्	निजी अनुरोध
16	श्रीमती पुष्पा विश्वकर्मा	बा0वि0परि0 लोहाघाट, चम्पावत	बा0वि0परि0 लोहाघाट चम्पावत यथावत्	निजी अनुरोध
17	श्रीमती सीता देवी	बा0वि0परि0 नारायणबगड़, चमोली	बा0वि0परि0 घाट, चमोली	निजी अनुरोध

स्थानान्तरित कार्मिक को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल कार्यमुक्त करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(सी०एस० नपलच्याल)

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या तथा दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।

(3) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।

(4) निजी सचिव,मा० मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

(5) सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी।

(6) सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी।

(7) गार्ड फाईल।

निदेशक

पी०एस०यू० (आर०ई०) 33 विधान सभा/650–06–03–2014–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।